केवल आधिकारिक उपयोग के लिए

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय

O/o CHIEF CONTROLLER OF ACCOUNTS

लेखा एक झलक 2024-25
ACCOUNTS AT A GLANCE 2024-25

लेखा एक झलक

वर्ष 2024-2025

के लिए

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मुख्य लेखा नियंत्रक
7 वीं मंजिल, ए-विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001

प्रस्तावना

मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा तैयार "लेखा-एक झलक" वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक विनियोग लेखाओं, वित्त लेखाओं, एससीटी और पीएफएमएस के आंकड़ों पर आधारित प्रमुख प्रबंधकीय अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

यह वार्षिक प्रकाशन मंत्रालय के कार्यकलापों और उनके वित्तीय प्रभाव का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है और हितधारकों को व्यय और राजस्व के ट्रेंडस का एक सुलभ सारांश प्रदान करता है। स्पष्टता बढ़ाने के लिए, हमने आंकड़ों को सहज चित्रात्मक प्रस्तुतियों के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल फार्मेट में बनाया है, जिससे उन्हें समझने में आसानी होती है।

हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के "लेखा-एक-झलक" प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि यह रिपोर्ट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करेगी, और हम इसके प्रारूप और विषयवस्तु को और परिष्कृत करने के लिए सुझावों का स्वागत करते हैं।

दिनांक: 09/06/2025

स्थान: नई दिल्ली

(अजय एस. सिंह)
मुख्य लेखा नियंत्रक

विषय-वस्तु

क्रम. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	मंत्रालय का परिदृश्य, भूमिका और कार्य	05-24
2.	(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का लेखा संगठन	25-30
	(ख) मंत्रालयों/विभागों में लेखा संगठन के प्रमुखों के रूप में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए)/सीए (आईसी) के चार्टर के अनुसार सीसीए की भूमिका	31-37
3.	सरकारी लेखे	38-45
4.	लेखा विशेषताएं	46-52
5.	अनुदान विश्लेषण	53-55
6.	(1) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्ति विश्लेषण (2) पिछले पांच वर्षों के दौरान गैर-कर प्राप्तियों (एनटीआर) का विवरण	56-57 58
7.	(1) व्यय विश्लेषण (2) पिछले पांच वर्षों के लिए बजट प्राक्कलन (बी.ई.), संशोधित प्राक्कलन (आर.ई.) और वास्तविक व्यय के साथ-साथ बीई और आरई के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत। (3) पिछले पांच वर्षों के लिए बजट प्राक्कलन के संदर्भ में % सहित बजट प्राक्कलन (बीई) और तिमाहीवार व्यय (4) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए योजना परिव्यय	59-62 63 64 65
8.	लेखाओं का कंप्यूटरीकरण	66-73
9.	महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर	74-82

अध्याय - 1

मंत्रालय का अवलोकन, भूमिका और कार्य

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जन-जन तक पहुँचने और उन्हें सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार का प्रतिनिधि मंत्रालय है। विभिन्न मीडिया माध्यमों द्वारा से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने का महत्वपूर्ण कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, प्रेस और प्रिंट प्रकाशन, डिजिटल और सोशल मीडिया, पोस्टर, विज्ञापन और संचार के पारंपरिक साधन जैसे नृत्य, नाटक, लोकगीत, कठपुतली शो - इन सभी को मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयाँ सूचना के प्रसार और मुक्त प्रवाह में प्रभावी ढंग से शामिल करती हैं।

मंत्रालय निजी प्रसारण, लोक प्रसारण सेवा (प्रसार भारती) के प्रशासन से संबंधित नीतिगत मामलों का केंद्र बिंदु है। भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का मल्टी-मीडिया विज्ञापन और प्रचार, फिल्म प्रचार और प्रिंट और डिजिटल मीडिया का प्रमाणन और विनियमन।

मंत्रालय कार्यात्मक रूप से तीन क्षेत्रों में विभाजित है: सूचना, प्रसारण और फिल्म। इनमें 7 मीडिया इकाइयाँ/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, 3 प्रशिक्षण संस्थानों सहित 5 स्वायत्त निकाय और 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) शामिल हैं।

सूचना क्षेत्र प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों और कार्यकलापों के बारे में सूचना प्रसार और जागरूकता सृजित करने, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर सरकारी विज्ञापनों की दर निर्धारण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने और प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 का प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार है।

प्रसारण क्षेत्र, दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से सरकारी योजनाओं और पहलों के दूरगामी प्रसार में मंत्रालय की सहायता करता है। यह क्षेत्र प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के प्रशासन द्वारा इन लोक प्रसारकों की देखरेख करता है। । यह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और समय-समय पर जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से निजी टीवी चैनलों और मल्टीसिस्टम ऑपरेटरों तथा स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क को भी नियंत्रित करता है। यह डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटरों को उनके संबंधित संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। निजी एफएम रेडियो नेटवर्क का विनियमन मंत्रालय द्वारा एफएम चैनलों की नीलामी और ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन के माध्यम से किया जाता है।

फिल्म क्षेत्र, वृत्तचित्रों के निर्माण और वितरण, फिल्मों के संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के आयोजन और पुरस्कारों की स्थापना द्वारा बेहतर सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। यह चलचित्र अधिनियम, 1952 का प्रशासन करता है, जो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन से संबंधित है और फिल्म उद्योग से संबंधित अन्य मामलों, जिनमें विकासात्मक और प्रचारात्मक गतिविधियाँ शामिल हैं, को भी संभालता है।

एकीकृत वित्त प्रभाग का नेतृत्व अवर सचिव और वित्तीय सलाहाकर (एएस एंड एफए) करते हैं और यह वित्तीय प्रबंधन, बजट और अन्य सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। निदेशक, यूएस और अन्य अधिकारी वित्तीय सहमति और संबंधित मुद्दों में उनकी सहायता करते हैं। एफए के चार्टर के अनुसार, बजट संबंधी संपूर्ण गतिविधि एएस एंड एफए द्वारा बजट और लेखा अनुभाग के माध्यम से प्रबंधित की जाती है। बी एंड ए अनुभाग के प्रमुख मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) हैं, जिन्हें उप सचिव (बी एंड ए), अवर सचिव (बी एंड ए) और अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सीसीए एकाउंटेंट्स का कैडर नियंत्रण प्राधिकरण और लेखा अधिकारियों सीजीए सेटअप के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी है। भारत भर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के खातों की पूरी पूर्व-जांच, भुगतान, रसीद, खाते, समेकन इन अधिकारियों द्वारा पीएओ/एओ/एसीए/डिप्टी सीए/सीए की देखरेख में संभाला जाता है

आर्थिक विंग परिचालन एवं रख-रखाव गतिविधियों से संबंधित मामलों को देखता है तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय को विभिन्न मुद्दों पर आवधिक रिपोर्टिंग करता है।

ऑनलाइन/डिजिटल मीडिया से संबंधित मामलों की देखभाल के लिए एक नया वर्टिकल जोड़ा गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा 9 नवंबर, 2020 को जारी अधिसूचना के मद्देनजर किया गया है, जिसके तहत कार्य आवंटन नियम, 1961 में संशोधन करके इस मंत्रालय से संबंधित कार्य नियमों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

"Vक. डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया

22क. ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में और दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम ।

22ख. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री।"

मंत्रालय के प्रमुख सचिव हैं, जिनकी सहायतार्थ अवर सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए), अवर सचिव (एएस), मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), संयुक्त सचिव (जेएस) और वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/आर्थिक सलाहकार (सीनियर ईए/ईए) हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का क्षेत्रीय गठन:

मीडिया इकाइयाँ/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय

1. पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
2. केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती बीओसी)
3. भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई)
4. प्रकाशन प्रभाग निदेशालय (डीपीडी)
5. न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू)
6. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)
7. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)

स्वायत्त संगठन

1. भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई)
2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)

प्रशिक्षण संस्थान

1. भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई)
2. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई)
3. भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल)
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)

टिप्पणी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर 2020 को चार फिल्म मीडिया इकाइयों, अर्थात् फिल्म प्रभाग, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, फिल्म समारोह निदेशालय और भारतीय बाल चित्र समिति के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दे दी। एनएफडीसी को केंद्रीय क्षेत्र स्कीम अर्थात फिल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार और "सहायता अनुदान " के माध्यम से अन्य केंद्रीय व्यय के तहत बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया में कार्मिक अधिशेष हो गए हैं और उनकी पुनर्नियुक्ति तक मंत्रालय द्वारा उनका वेतन दिया जाता है। अधिकांश पुनर्नियुक्ति पूरी हो चुकी है।

फिल्म क्षेत्र

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई) :

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। इसे केंद्र सरकार से पूर्ण सहायता प्राप्त है। 1960 में अपनी स्थापना के बाद से, एफटीआईआई भारत का प्रमुख फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान बन गया है, जिसके पूर्व छात्र भारतीय फिल्म उद्योग के जाने-माने अभिनेता और निर्देशक बन चुके हैं। एफटीआईआई फिल्म निर्माण और टेलीविजन निर्माण की कला एवं तकनीक में नवीनतम शिक्षा और तकनीकी अनुभव प्रदान करता है। एफटीआईआई तीन वर्षीय और दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और एक वर्षीय पीजी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने इस संगठन को सहायता अनुदान के रूप में 212.28 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसमें से 73.11 करोड़ रुपए वर्ष 2024-25 में जारी किए गए थे।

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
एफटीआईआई को अन्य केंद्रीय व्यय (जीआईए)	68.53	70.64	73.11

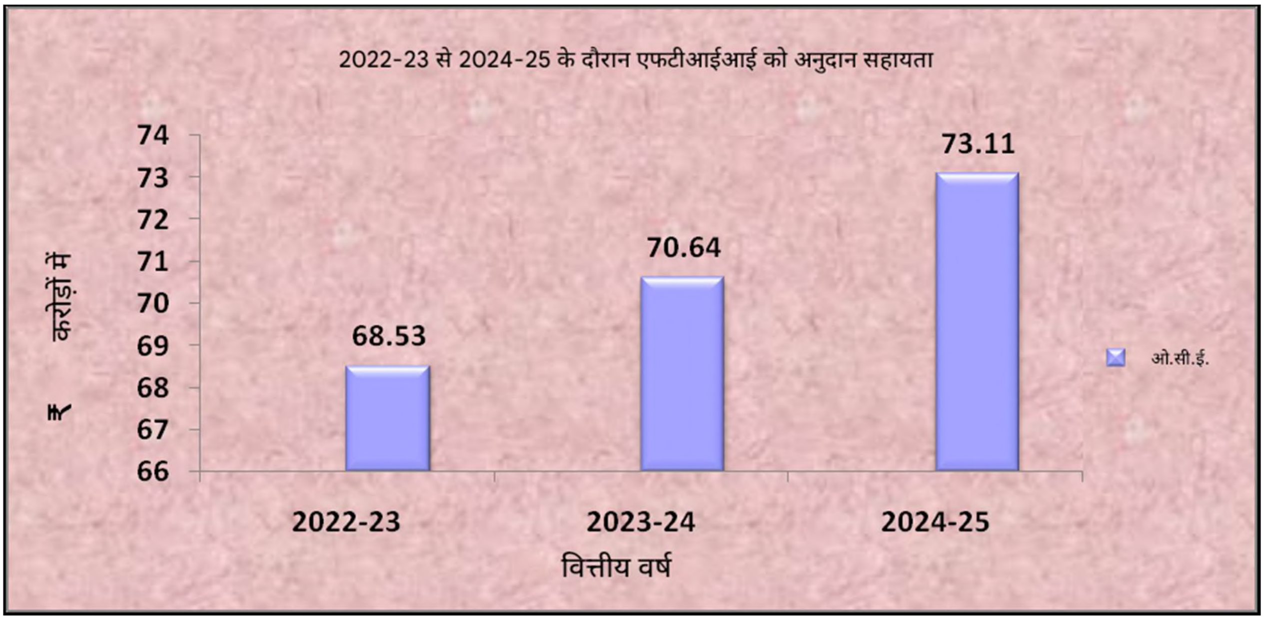

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई) :

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में स्थित एक फिल्म संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1995 में मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इसका नाम प्रख्यात फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के नाम पर रखा गया है।
यह संस्थान सिने-शिक्षा का एक राष्ट्रीय केंद्र है जो फिल्मों में छह विशेषज्ञताएं प्रदान करता है - निर्देशन और पटकथा लेखन, छायांकन, संपादन, ध्वनि रिकॉर्डिंग और डिजाइन, फिल्म और टेलीविजन के लिए निर्माण, एनीमेशन सिनेमा, और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्रबंधन।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने इस संगठन को सहायता अनुदान के रूप में 172.27 करोड़ रुपये जारी किए थे, जिसमें से 53.00 करोड़ रुपए वर्ष 2024-25 में जारी किये गये।

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
एसआरएफटीआईआई को अन्य केंद्रीय व्यय (जीआईए)	60.10	59.17	53.00

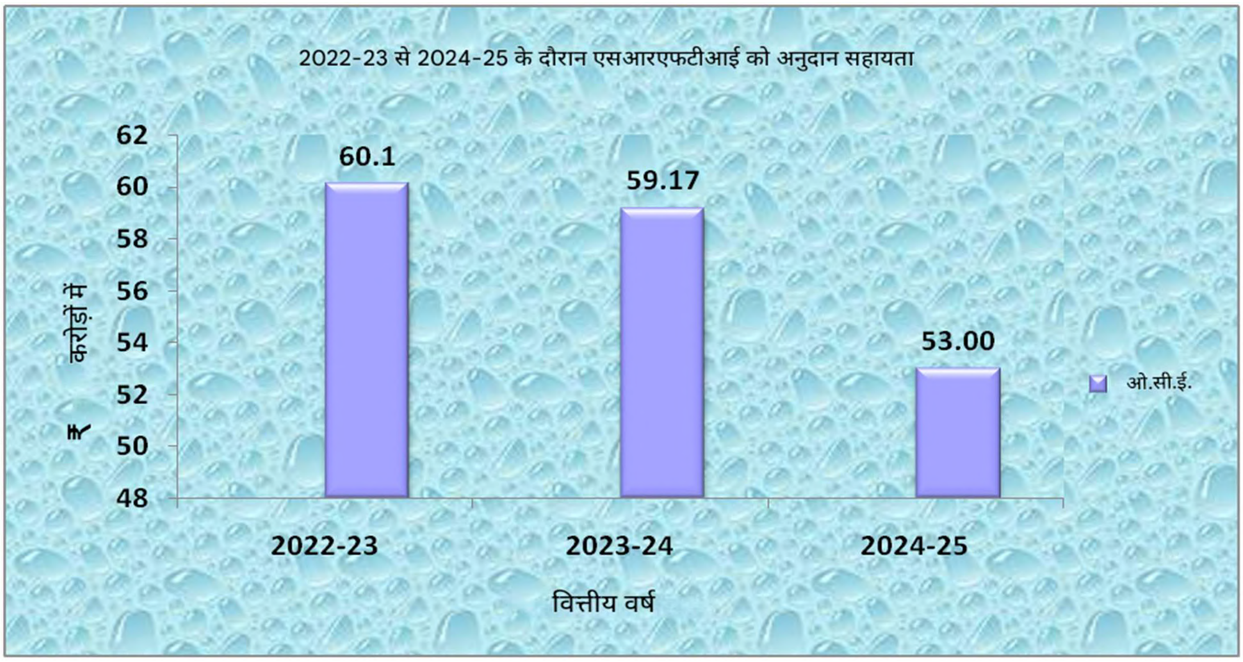

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) :

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जो चलचित्र अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है। फिल्मों को भारत में सार्वजनिक रूप से तभी प्रदर्शित किया जा सकता है जब उन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्य और एक अध्यक्ष (जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है) होते हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से एक-एक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालयों

को फिल्मों के परीक्षण में सलाहकार पैनल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पैनल के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का चयन कर 2 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, सीबीएफसी ने अपनी विभिन्न गतिविधियों पर ₹ 97.20 करोड़ खर्च किए हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
सीबीएफसी की गैर-स्कीम (स्थापना व्यय)	17.54	41.96	37.70

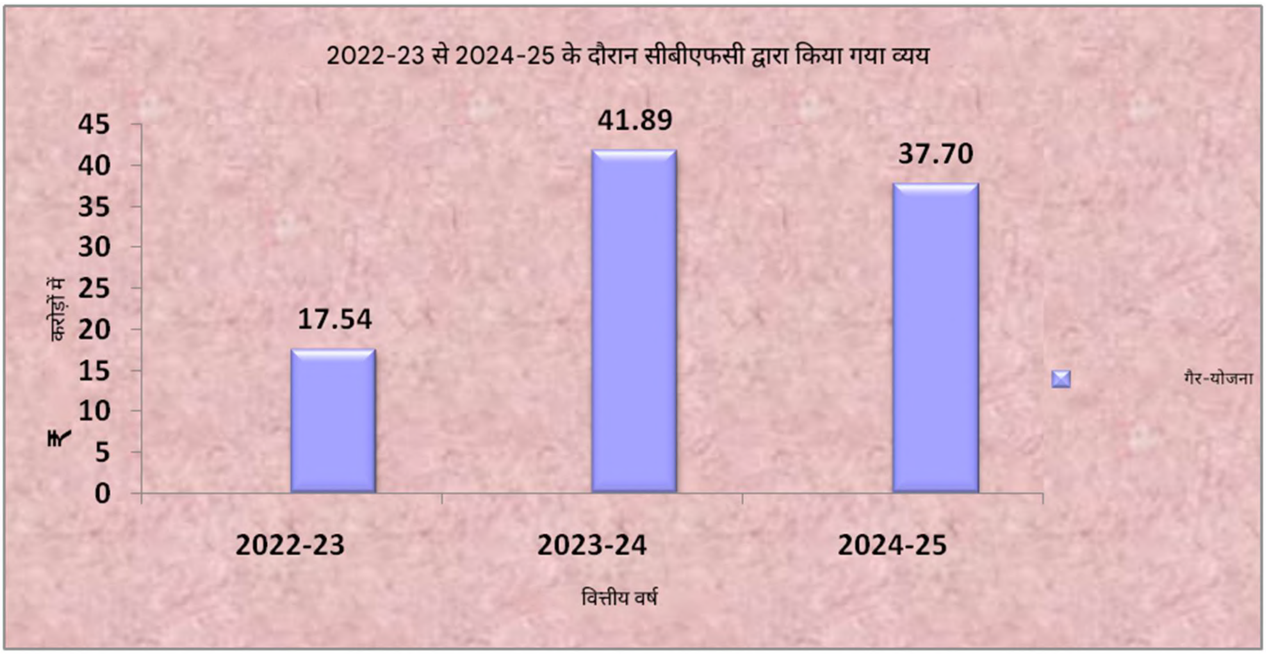

सीबीएफसी फिल्मों का प्रमाणन करते समय कुछ शुल्क भी लेता है। पिछले तीन वर्षों में सीबीएफसी द्वारा अर्जित राजस्व नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
सीबीएफसी की गैर-कर प्राप्ति	15.15	15.13	14.29

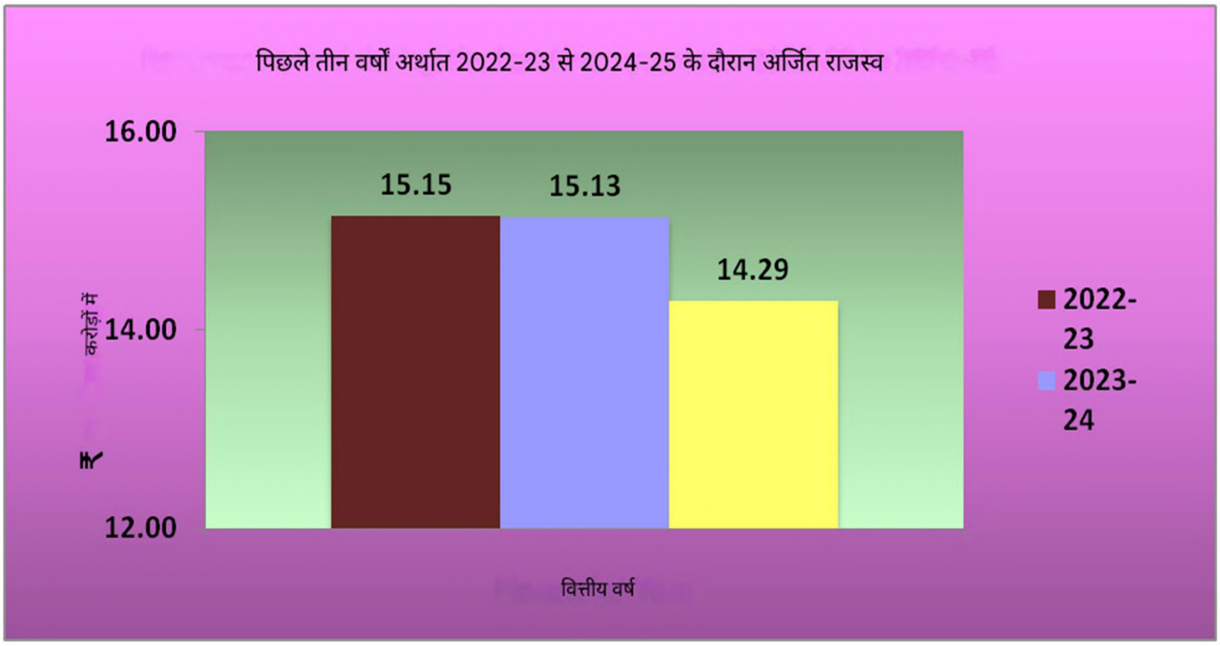

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) :

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1975 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत और कुशल विकास की योजना बनाना, उसे बढ़ावा देना और व्यवस्थित करना है। एनएफडीसी फिल्म वित्त, रंगमंच वित्त, फिल्म वितरण, फिल्म निर्यात और आयात, फिल्म सह-निर्माण, दूरदर्शन पर फिल्मों का प्रसारण और फिल्मों के उपशीर्षक लेखन जैसे कार्यों में संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, डीसीडीएफसी स्कीम के तहत एनएफडीसी को 324.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
स्कीम (डीसीडीएफसी)	122.86	339.88	324.21
अन्य केंद्रीय व्यय (जीआईए)	8.22	23.37	18.00
कुल	131.08	363.25	342.21

सूचना क्षेत्र

प्रकाशन प्रभाग (पीडी) :

प्रकाशन प्रभाग, राष्ट्रीय महत्व के विषयों और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं का एक कोष है, जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी। यह सरकार के एक प्रमुख प्रकाशन गृह के रूप में उभरा है, जो भूमि और लोगों, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, कला और संस्कृति, वनस्पतियां और जीव-जंतु, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियों, और संस्कृति, दर्शन, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों पर गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों के माध्यम से भारत की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करने में राष्ट्रीय ज्ञान भंडार को समृद्ध करता है। प्रकाशन प्रभाग राष्ट्रपतियों/प्रधानमंत्रियों के भाषणों, समकालीन विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास और अन्य विषयों पर पुस्तकों के माध्यम से समकालीन घटनाओं का वृत्तांत प्रस्तुत करता है, जिनका मुख्य ध्यान भारतीय समाज और पाठकों पर केंद्रित होता है। इसके अलावा, यह प्रभाग बच्चों के लिए कथा और गैर-कथा साहित्य भी प्रकाशित करता है।

प्रकाशन प्रभाग ने गांधीवादी विचारों पर कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें अंग्रेजी में 100 खंडों में संकलित महात्मा गांधी की कृतियाँ (सीडब्ल्यूएमजी) भी शामिल है, जिसे गांधीजी के लेखन का सबसे व्यापक और प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। डीपीडी ने राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली के सहयोग से महात्मा गांधी पर एक व्यापक ई-संकलन "डिजिटल युग के लिए गांधी" पूरा किया है।

प्रकाशन प्रभाग चार मासिक पत्रिकाएँ भी निकालता है: योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती, आजकल और एक साप्ताहिक समाचार पत्र एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। ये पत्रिकाएँ आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, साहित्य, संस्कृति, बाल साहित्य जैसे समसामयिक मुद्दों को कवर करती हैं और रोज़गार व करियर के अवसरों की जानकारी देती हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान वस्तु शीर्ष "वेतन" के अंतर्गत 13.34 करोड़ रुपए के अनुमोदित बजट अनुमान के सापेक्ष, 22 समूह 'क' अधिकारी कार्यरत हैं, जिनकी सहायता के लिए 67 समूह 'ख' और 104 समूह 'ग' अधिकारी कार्यरत हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रकाशन प्रभाग ने अपनी विभिन्न गतिविधियों पर ₹ 188.70 करोड़ खर्च किए हैं । विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
कुल गैर-स्कीम (स्थापना व्यय)	87.30	53.33	48.07

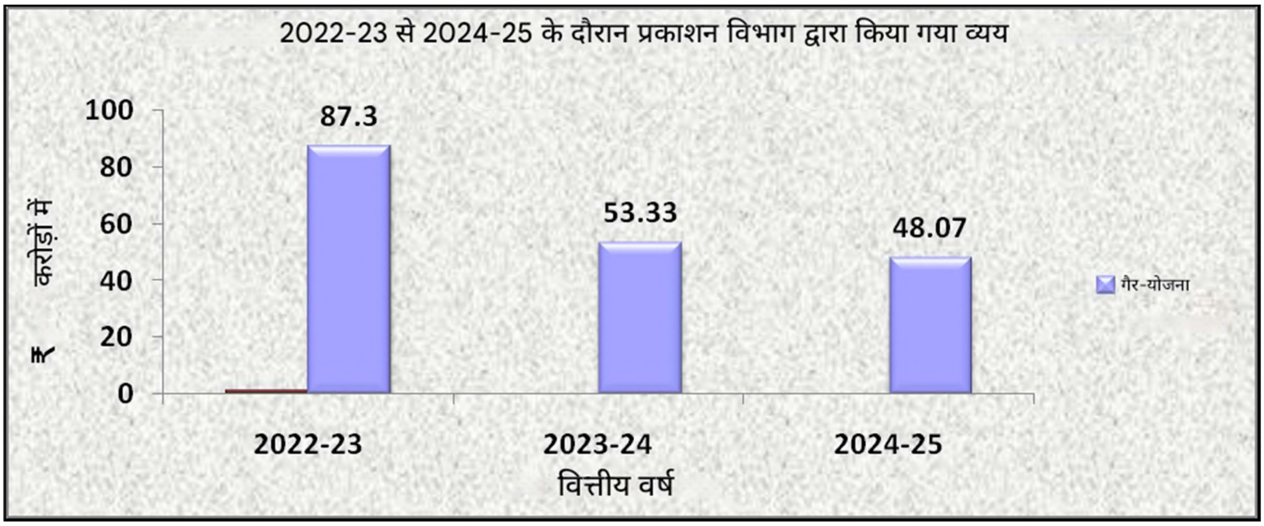

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रभाग द्वारा अर्जित राजस्व नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
प्रकाशन प्रभाग द्वारा अर्जित शुद्ध राजस्व (रोजगार समाचार के अलावा)	47.32	20.84	25.43
रोजगार समाचार का राजस्व	11.02	9.09	7.87

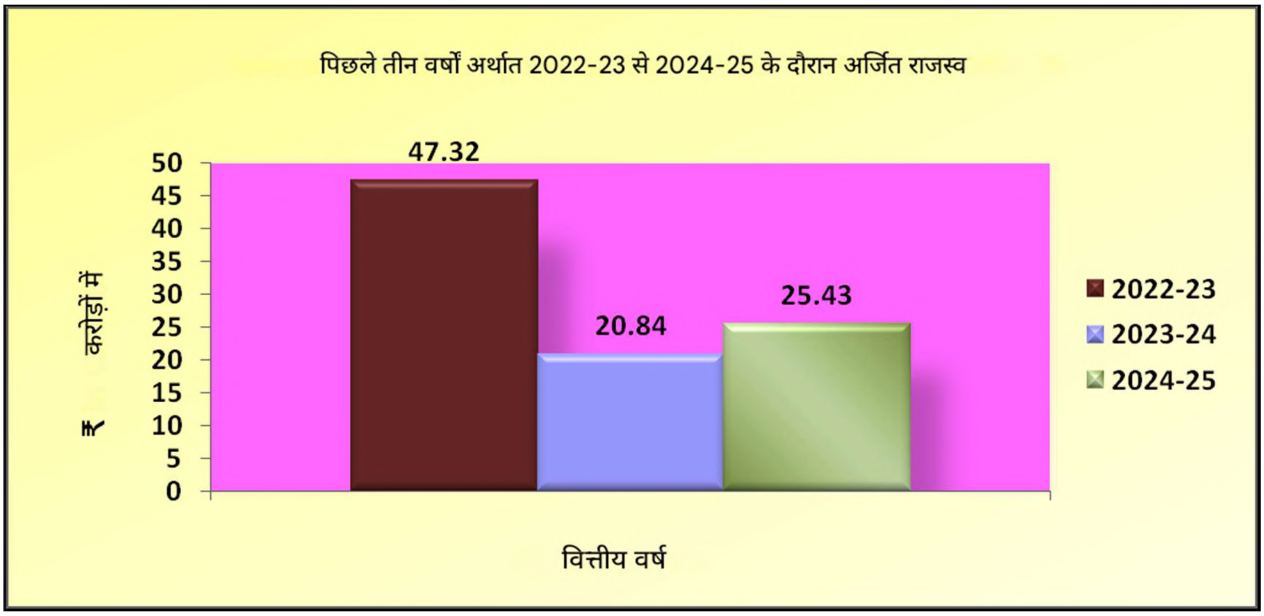

रोजगार समाचार (प्रकाशन प्रभाग के साथ विलय) :

1976 में शुरू किया गया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रमुख रोजगार जर्नल, "रोज़गार समाचार", हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रकाशित होता है । यह केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों में नौकरियों की जानकारी का एक एकल स्रोत है। यह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी सूचनाएं, यूपीएससी, एसएससी और अन्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षाओं की सूचनाएं और परिणाम भी प्रकाशित करता है।

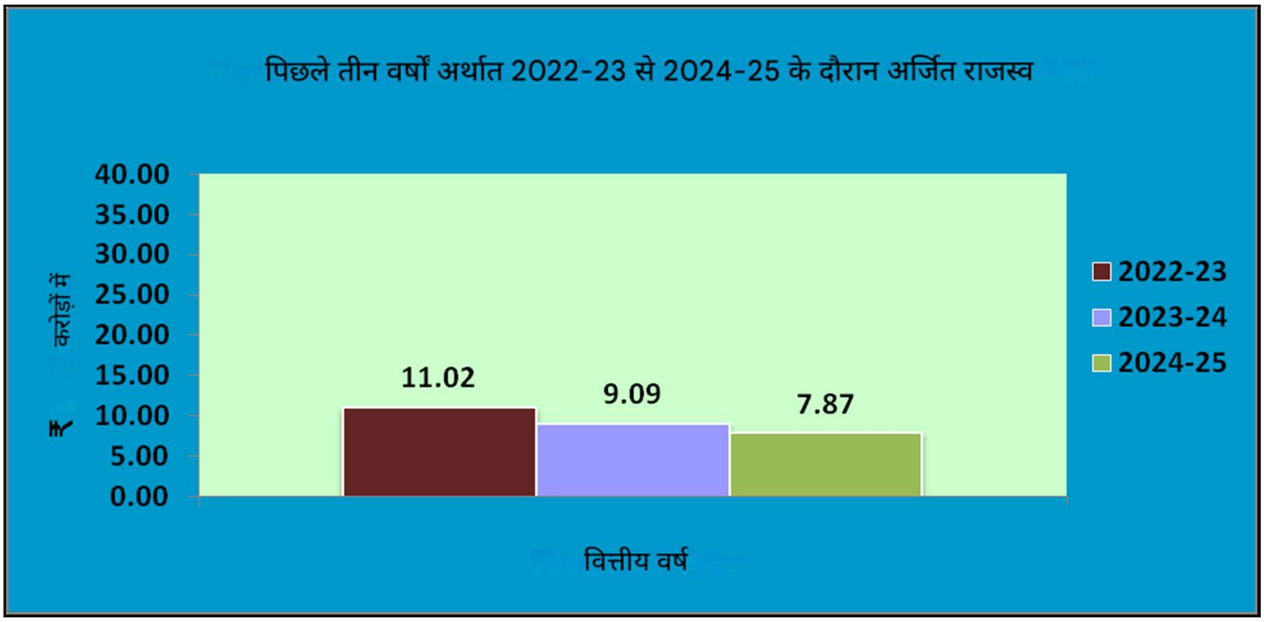

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि राजस्व में काफी गिरावट आई है।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) :

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और उपलब्धियों के बारे में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रसारित करती है। यह सरकार और मीडिया के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और मीडिया में दिखाई देने वाली जनता की प्रतिक्रिया पर सरकार को फीडबैक भी प्रदान करता है। इसके साथ ही, यह सरकार को मीडिया में दिखाई देने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता की धारणा से भी अवगत कराता है। नई दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय के साथ, पीआईबी के 5 क्षेत्र हैं जिनमें 19 क्षेत्रीय कार्यालय और एक सूचना केंद्र सहित 17 शाखा कार्यालय शामिल हैं।

भारत के लोगों को शिक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से, पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) विभिन्न संचार माध्यमों जैसे प्रेस विज्ञप्तियाँ, प्रेस नोट, फीचर लेख, पृष्ठभूमि, प्रेस ब्रीफिंग, साक्षात्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस टूर, और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसारित करता है। यह सूचना अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के साथ-साथ 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की जाती है जो देश भर के समाचार पत्रों और मीडिया संगठनों तक पहुँचती है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वस्तु शीर्ष "वेतन" के अंतर्गत ₹ 43.50 करोड़ के अनुमोदित बजट अनुमान के सापेक्ष 147 समूह 'क' अधिकारी हैं, जिन्हें 124 समूह 'ख' और 371 समूह 'ग' अधिकारी सहायता प्रदान करते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, पीआईबी ने अपने कार्यालयों पर ₹347.09 करोड़ रुपए का व्यय किया है। विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
स्कीम (डीसीआईडी)	7.92	13.00	6.00
गैर-स्कीम (स्थापना व्यय)	100.38	108.07	111.72

कुल	108.30	121.07	117.72

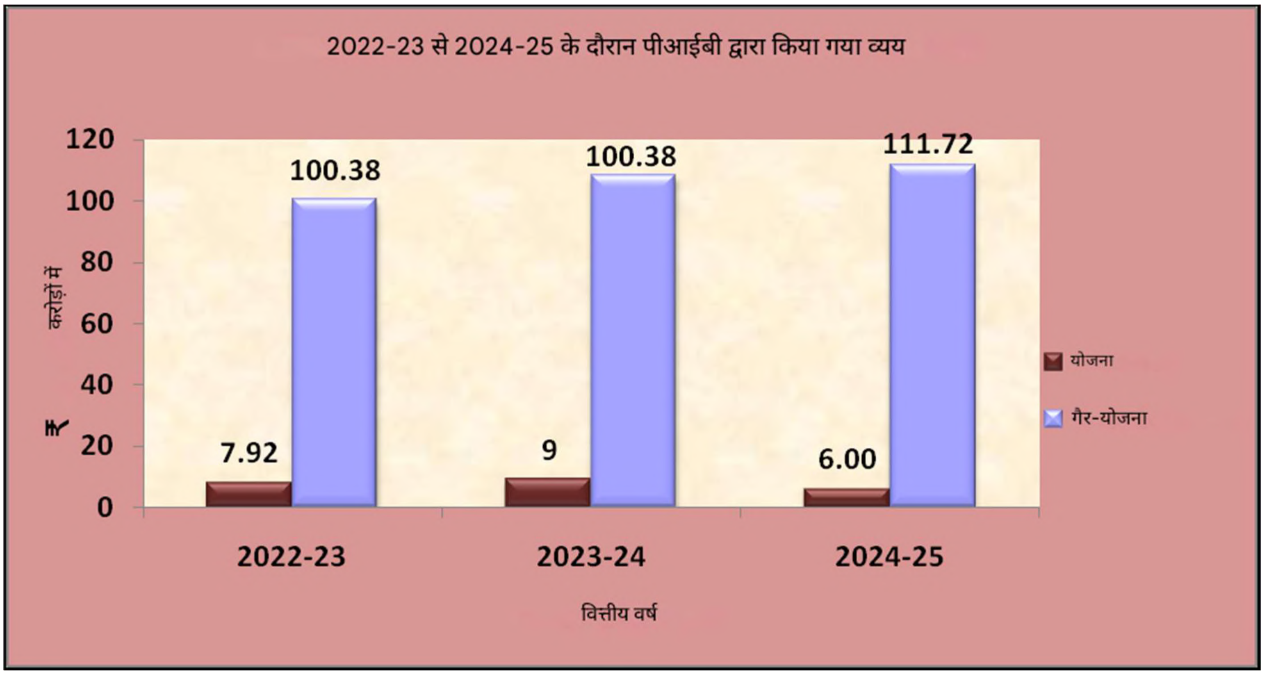

केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती बीओसी आदि) :

केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती बीओसी आदि) की स्थापना 2017 में पूर्ववर्ती विज्ञापन एवं प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) और गीत एवं नाटक प्रभाग (एसएंडडीडी) को एकीकृत करके की गई थी। ब्यूरो का उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/स्वायत्त निकायों को 360° संचार समाधान प्रदान करना है। यह मीडिया रणनीति पर सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। 23 क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी) और 148 क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (एफओबी) के साथ, सीबीसी ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करने के कार्य में लगा हुआ है ताकि विकासात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए यह ब्यूरो संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, प्रदर्शनियों, आउटडोर अभियानों और नए मीडिया का उपयोग करना सुनिश्चित करता है।

सरकार को जन सशक्तिकरण के प्रमुख सूत्रधार के रूप में ब्रांडिंग करना और इसे साकार करने के लिए विभिन्न मीडिया माध्यमों के माध्यम से संदेशों को प्रसारित करना, सीबीसी का कार्य है। सीबीसी का विज्ञापन और दृश्य संचार प्रभाग, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी के प्रसार हेतु सीबीसी का नोडल प्रभाग है।

सीबीसी का लोक संचार प्रभाग विभिन्न प्रदर्शन कलाओं - नाटक, नृत्य-नाटिका, समग्र कार्यक्रम , कठपुतली, बैले, ओपेरा, लोक और पारंपरिक गायन, पौराणिक गायन और अन्य स्थानीय लोक और पारंपरिक रूपों - का उपयोग करते हुए लाइव मीडिया के माध्यम से पारस्परिक संचार करता है।

फील्ड संचार प्रभाग, जनता, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जागरूकता सृजन करने के लिए प्रत्यक्ष और पारस्परिक संचार कार्यक्रम चलाता है। आरओबी और एफओबी, तदनुसार, लोगों को सूचना के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं ताकि वे ऐसे कार्यक्रमों /योजनाओं का लाभ उठा सकें। यह जमीनी स्तर पर सक्रियता और एकीकृत आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करता है । एकीकृत संचार और

आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी) विभिन्न हितधारकों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। पूर्ववर्ती डीएवीपी, डीएफपी और एस एंड डीडी के एकीकरण के साथ, कार्यक्रमों का आयोजन विशेष आउटरीच और लोक घटकों के साथ एकीकृत रूप से किया जा रहा है। आईसीओपी का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करते हुए और विकास प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अधिक प्रभाव सृजित करना है।

सीबीसी अन्य मंत्रालयों की ओर से विज्ञापन और प्रचार का कार्य कर रहा है। ग्राहक मंत्रालय सीबीसी को प्राधिकरण पत्र जारी करते हैं और एलओए या निधि हस्तांतरण के आधार पर, सीबीसी प्रिंट, आउटडोर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चलाता है।

उपरोक्त कार्य को समयबद्ध तरीके से करने के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वस्तु शीर्ष "वेतन" के अंतर्गत ₹ 85.00 करोड़ के स्वीकृत बजट अनुमान के सापेक्ष 65 समूह 'क' अधिकारियों को, 212 समूह 'ख' और 1076 समूह 'ग' अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, सीबीसी (पूर्ववर्ती बीओसी आदि) ने भारत के लोगों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी विभिन्न गतिविधियों पर ₹ 1310.81 करोड़ खर्च किए हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
स्कीम (डीसीआईडी)	269.98	327.00	155.00
गैर-स्कीम (स्थापना व्यय)	179.10	186.04	193.69
कुल	449.08	513.04	348.69

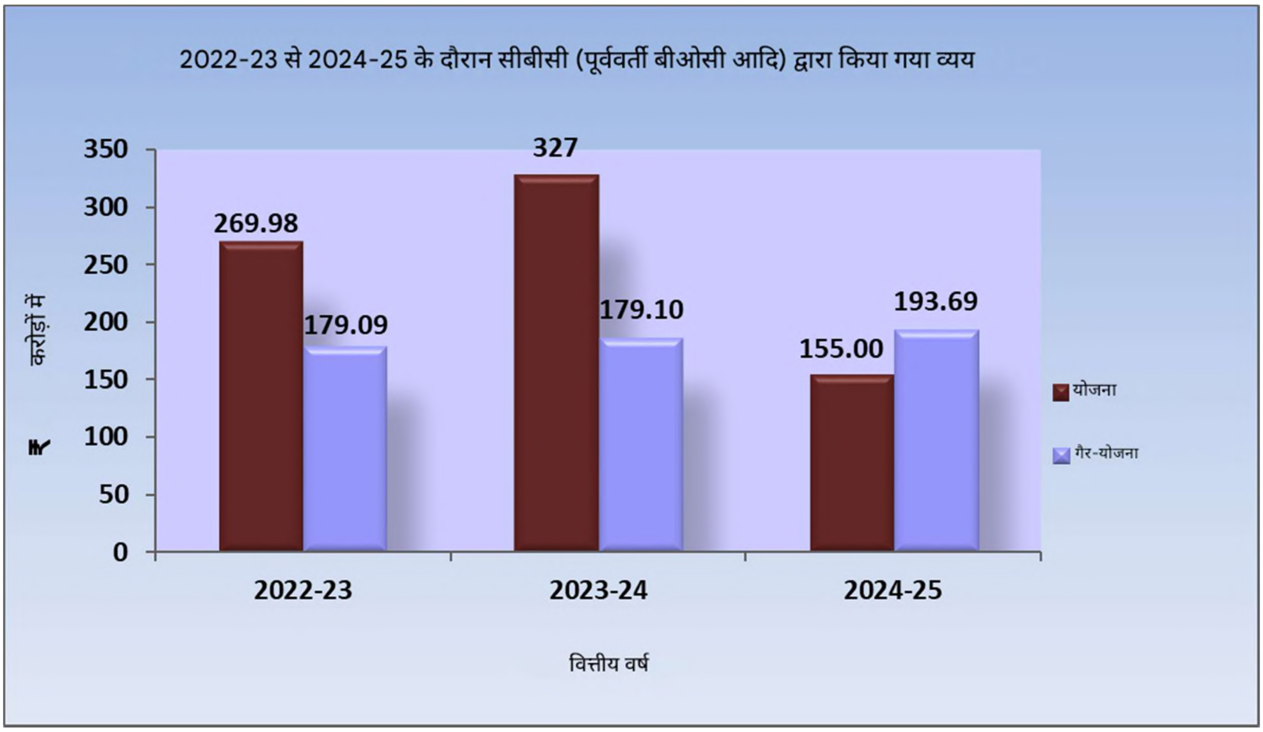

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीबीसी (पूर्ववर्ती बीओसी आदि) की प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
सीबीसी की गैर-कर प्राप्ति	0.11	0	1.16

न्यू मीडिया विंग (पूर्ववर्ती आरआरएंडटीडी) :

*वर्ष 1945 में स्थापित, अनुसंधान, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग, जिसका नाम 2013 में बदलकर **न्यू मीडिया विंग** (एनएमडब्ल्यू) कर दिया गया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सूचना प्रसार इकाई के साथ-साथ मंत्रालय के लिए सूचना सेवा इकाई के रूप में भी कार्य करता है। एनएमडब्ल्यू* के संचालन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं: सामान्यतः भारत सरकार और विशेष रूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए सोशल/डिजिटल मीडिया आउटरीच का प्रबंधन; और मीडिया के विचारों और मतों का फीडबैक और विश्लेषण।

वर्तमान में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वस्तु शीर्ष "वेतन" के अंतर्गत स्वीकृत बजट अनुमान ₹ 1.45 करोड़ के सापेक्ष समूह 'क' के 2 अधिकारी कार्यरत हैं, जिनकी सहायता के लिए समूह 'ख' के 3 और समूह 'ग' के 7 अधिकारी कार्यरत हैं। पिछले तीन वर्षों में, न्यू मीडिया विंग ने अपनी विभिन्न गतिविधियों पर ₹ 27.73 करोड़ खर्च किए हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
स्कीम (डीसीआईडी)	7.00	8.00	7.00
गैर- स्कीम (स्थापना व्यय)	1.41	1.73	2.59
कुल	8.41	9.73	9.59

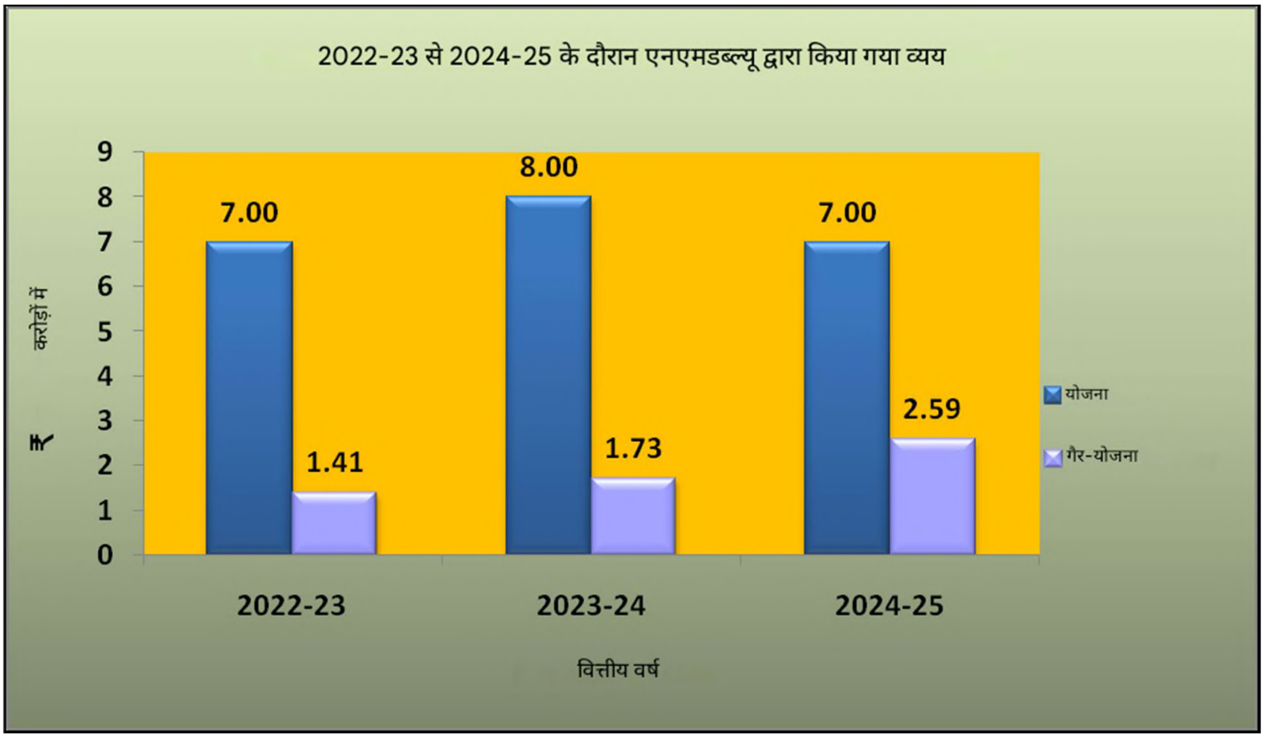

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई):-

भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक अर्ध-न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, जिसे वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत पुनर्स्थापित किया गया था, जिसका दोहरा उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना तथा भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है।

संसद के अधिनियम के तहत गठित निकाय होने के नाते परिषद को संसद द्वारा समुचित विनियोजन के बाद केन्द्रीय सरकार से अनुदान के रूप में अपनी निधि का एक हिस्सा प्राप्त होता है, साथ ही इसे समाचार पत्रों से श्रेणीबद्ध ढांचे पर एकत्रित शुल्क और अन्य प्राप्तियों के रूप में अपनी निधि भी प्राप्त होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने इस संगठन को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 25.23 करोड़ जारी किए थे, जिसमें से ₹ 9.20 करोड़ इस संगठन को प्रदान किए गए। वर्ष 2024-25 में करोड़ रुपये जारी किए गए।

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
अन्य केंद्रीय व्यय (जीआईए)	6.06	9.97	9.20

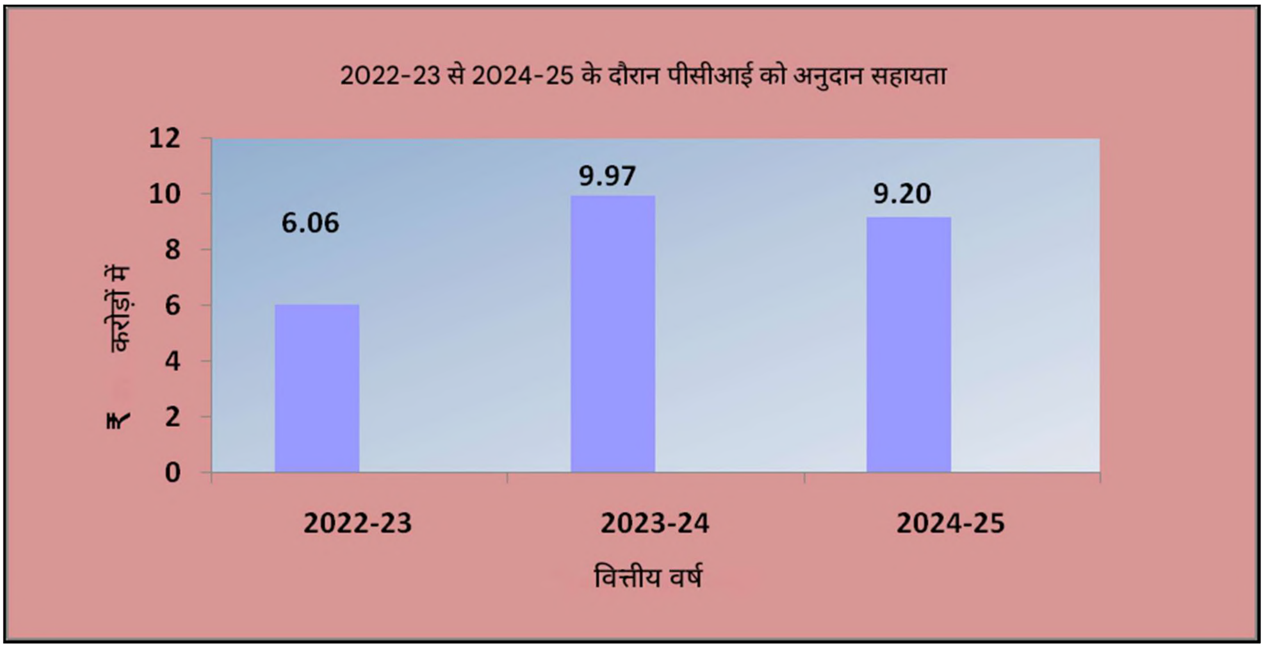

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) :

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) 17 अगस्त, 1965 को अस्तित्व में आया। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। इसकी स्थापना मीडिया एवं जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मूल उद्देश्यों के साथ की गई थी। पिछले 57 वर्षों में, संस्थान ने आधुनिक समय में तेज़ी से विस्तारित और बदलते मीडिया उद्योग की विविध और चुनौतीपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई विशिष्ट पाठ्यक्रम संचालित किए हैं, जो इसके मूल उद्देश्य "सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों की सूचना और प्रचार आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएँ उपलब्ध कराना" के अनुरूप है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने इस संगठन को सहायता अनुदान के रूप में 148.43 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसमें से 83.31 करोड़ रुपए वर्ष 2024-25 में जारी किए गए थे।

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
अन्य केंद्रीय व्यय (जीआईए)	29.22	35.90	83.31
कुल	29.22	35.90	83.31

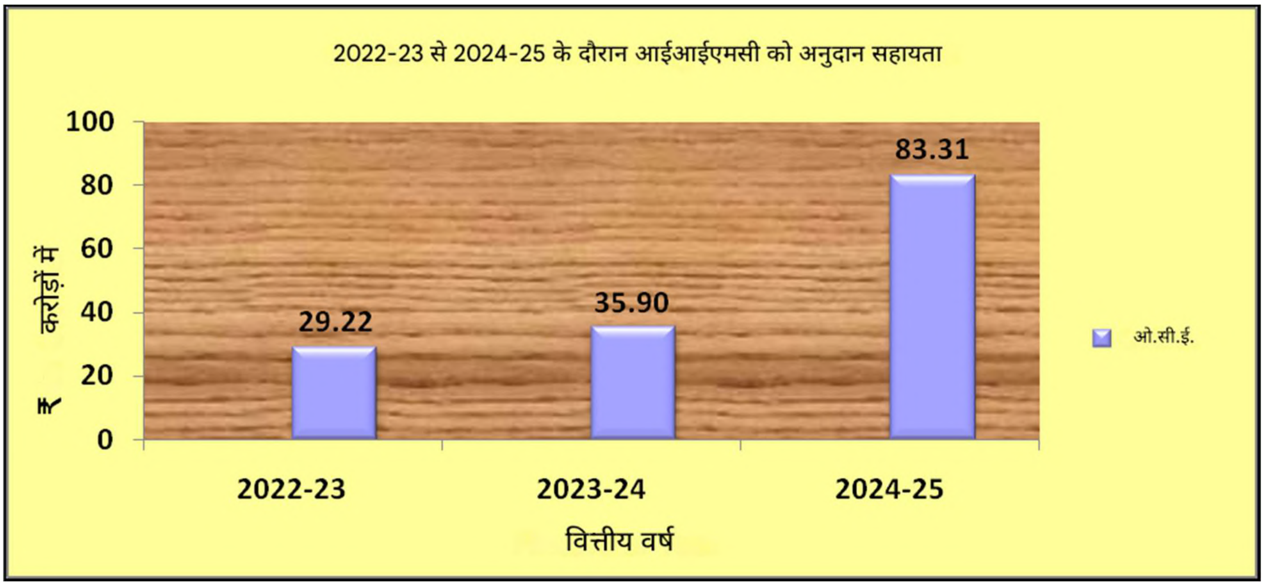

भारत के प्रेस महापंजीयक (पूर्ववर्ती आरएनआई) :

भारत के समाचारपत्र पंजीयक (आरएनआई) का कार्यालय प्रथम प्रेस आयोग (1953) की अनुशंसा पर तथा प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम (पीआरबी), 1867 में संशोधन करके 1956 में स्थापित किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय के रूप में आरएनआई वैधानिक और गैर-वैधानिक कार्य करता है। आरएनआई देश भर में प्रकाशित समाचारपत्रों और प्रकाशनों का एक रजिस्टर रखता है, समाचारपत्रों और प्रकाशनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है, नए समाचारपत्रों के शीर्षकों के अनुमोदन के बारे में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करता है, तथा समाचारपत्रों और प्रकाशनों के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की जांच और विश्लेषण करता है। अपने गैर-वैधानिक कार्यों के अंतर्गत, आरएनआई, आरएनआई के साथ पंजीकृत वास्तविक उपयोगकर्ता प्रकाशनों को अखबारी कागज के आयात के लिए स्व-घोषणा प्रमाणपत्रों को प्रमाणित करता है। कार्यालय प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोधों या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर पत्र सूचना कार्यालय के नामित अधिकारियों के माध्यम से पंजीकृत प्रकाशनों का प्रसार सत्यापन भी करता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वस्तु शीर्ष "वेतन" के अंतर्गत ₹ 3.85 करोड़ के स्वीकृत बजट अनुमान के सापेक्ष, वर्तमान में, समूह 'क' के 9 अधिकारी कार्यरत हैं, जिनकी सहायता के लिए समूह 'ख' के 24 और समूह 'ग' के 18 अधिकारी कार्यरत हैं। आरएनआई ने पिछले तीन वर्षों में अपनी विभिन्न गतिविधियों पर ₹ 32.94 करोड़ खर्च किए हैं। विवरण नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
गैर-स्कीम व्यय	9.77	10.23	12.94

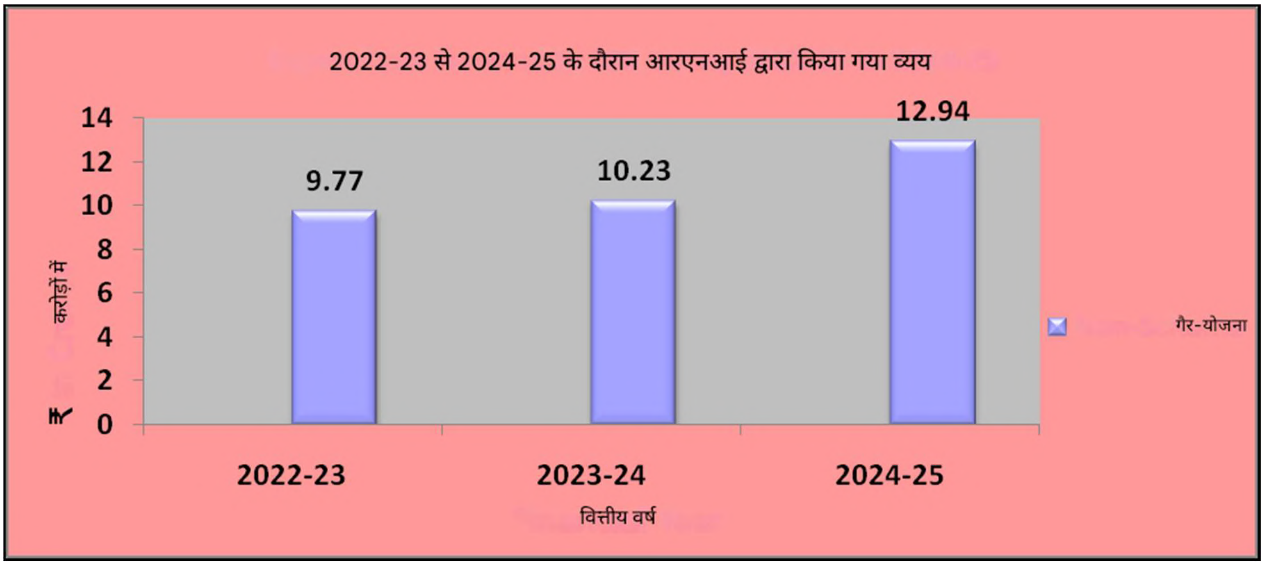

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) :

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत 2008 में स्थापित मीडिया संगठन है, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के लिए देश में प्रसारित होने वाले समाचार चैनलों की निगरानी करता है।

ईएमएमसी के पास वर्तमान में 900 टीवी चैनलों की सामग्री को वास्तविक समय के आधार पर प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने, संग्रहीत करने और पुनः प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी अवसंरचना उपलब्ध है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा आयोजित चुनावों के दौरान, ईएमएमसी सामग्री की निगरानी भी करता है और ईसीआई के निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, ईएमएमसी ने अपनी विभिन्न गतिविधियों पर ₹ 41.15 करोड़ खर्च किए हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
कुल गैर-स्कीम (स्थापना व्यय)	13.57	13.53	14.05

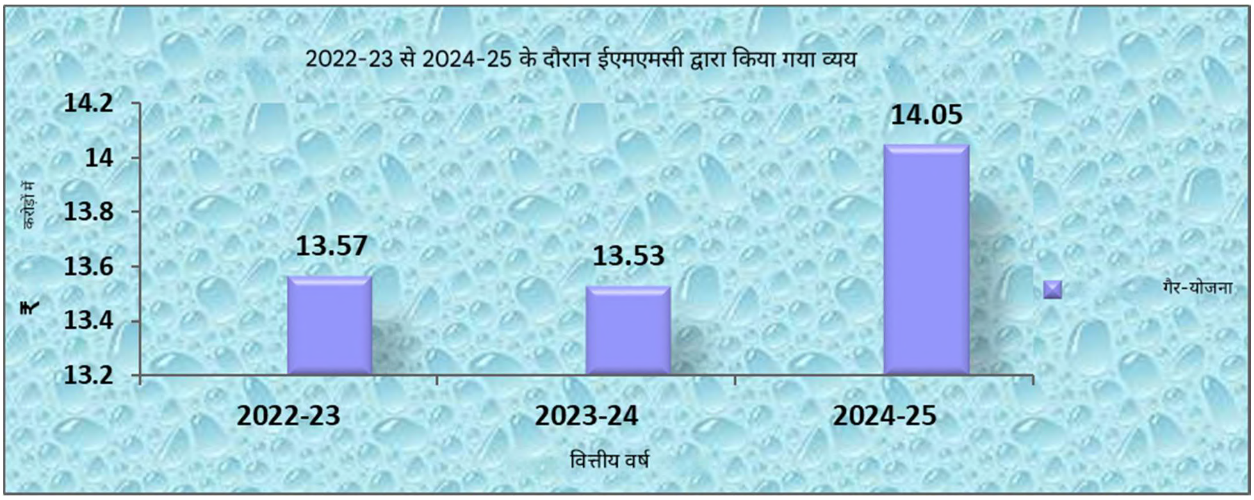

प्रसार भारती (भारत का लोक सेवा प्रसारक) :

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) देश का लोक सेवा प्रसारक है, जिसके दो घटक आकाशवाणी (आकाशवाणी) और दूरदर्शन हैं। 23 नवंबर, 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने तथा देश में प्रसारण के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं का आयोजन और संचालन करना है। प्रसार भारती को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 2641.46 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि जारी की गई।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने प्रसार भारती को ₹ 8449.24 करोड़ की राशि जारी की है। विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
स्कीम (बीआईएनडी)	159.91	371.32	213.69
अन्य केंद्रीय व्यय (जीआईए)	2710.82	2565.73	2427.77
कुल	2870.73	2937.05	2641.46

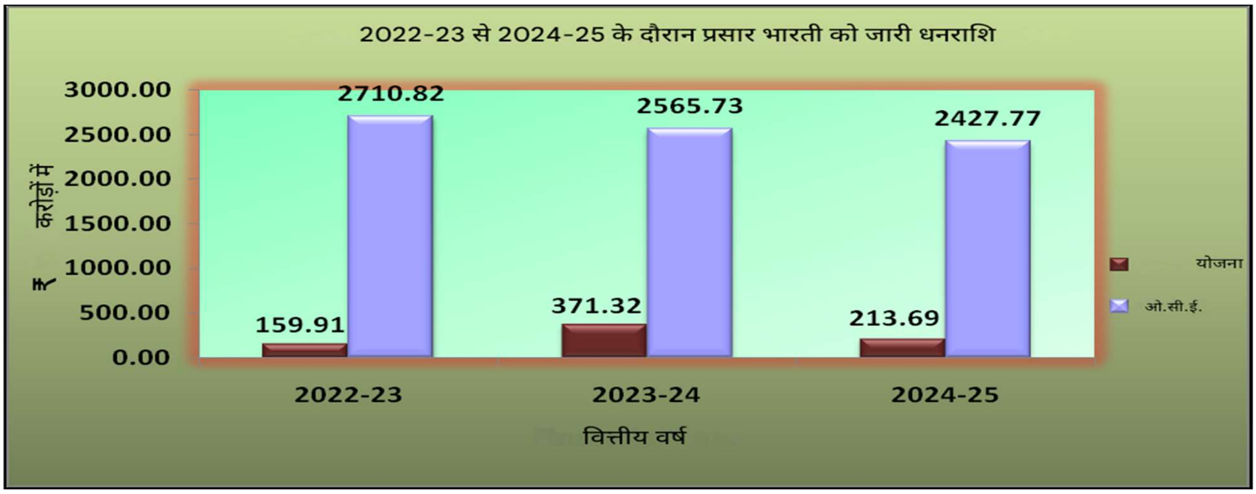

प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल:

एफएम रेडियो देश भर के युवाओं और वयस्कों के बीच मनोरंजन के पसंदीदा माध्यमों में से एक है। स्थानीय भाषाओं में विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रस्तुत विविधता का जनता द्वारा स्वागत किया जा रहा है। यह स्थानीय व्यवसायों के लिए रेडियो विज्ञापनों के माध्यम से अपनी पहुँच बढ़ाने के एक संभावित माध्यम के रूप में भी विकसित हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी सरकार के विकासात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जनता तक पहुँचने हेतु निजी एफएम रेडियो का उपयोग एक मंच के रूप में कर रहा है।

संघ राज्य क्षेत्रों यथा लद्दाख के लेह और कारगिल तथा जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों यथा भद्रवाह, कठुआ और पुंछ में निजी एफएम रेडियो चैनल शुरू किए गए हैं। 31 मार्च, 2024 तक, देश भर के 26 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 113 शहरों में 388 एफएम रेडियो चैनल चालू हैं।

सरकार निजी प्रसारकों से गैर-वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क, गैर-वापसी योग्य एकमुश्त प्रवास शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क, टावर किराया और प्रसंस्करण शुल्क के माध्यम से राजस्व प्राप्त करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एफएम चैनलों से अर्जित कुल राजस्व नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
एफएम चैनलों की नीलामी से गैर-कर प्राप्ति	0.11	0	1.16

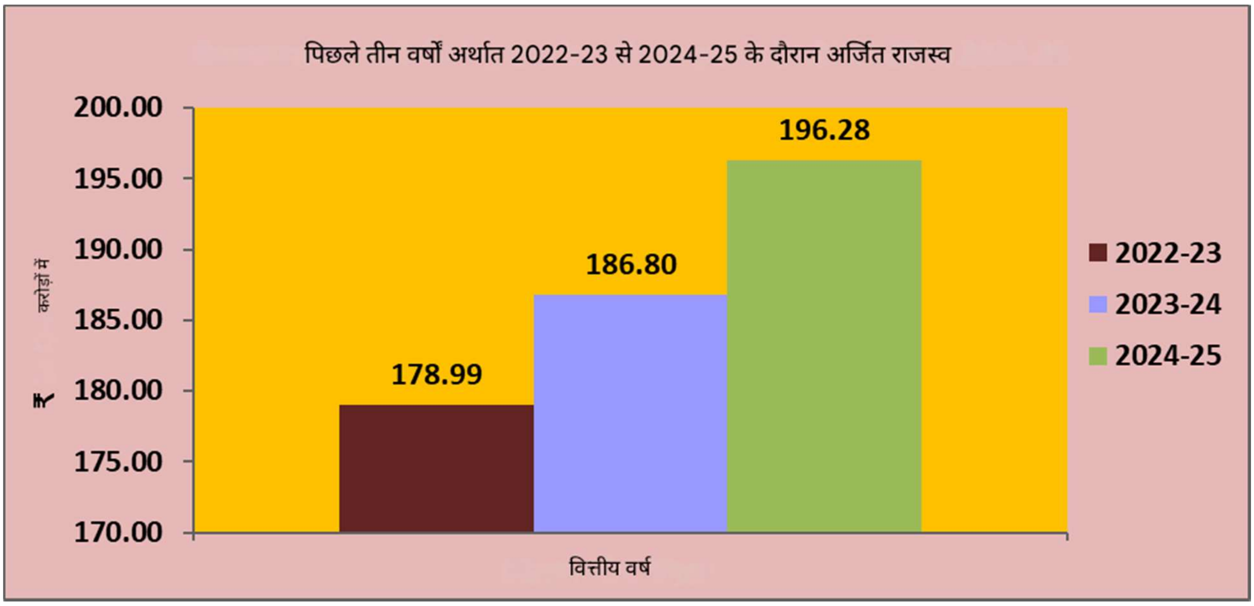

डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) :

डीटीएच एक एड्रेसेबल सिस्टम है और पूरे देश को कवर करता है। डीटीएच सेवा में, बड़ी संख्या में टेलीविजन चैनलों को डिजिटल रूप से संपीड़ित, एन्क्रिप्ट किया जाता है और केयू बैंड के उच्च शक्ति वाले उपग्रहों से प्रसारित किया जाता है। डीटीएच के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों को इमारतों में सुविधाजनक स्थानों पर छोटे डिश एंटेना लगाकर सीधे घरों में प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में, पाँच निजी डीटीएच ऑपरेटर हैं। इसके अलावा, दूरदर्शन भी फ्री टू एयर आधार पर अपनी डीटीएच सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
डीटीएच की गैर-कर प्राप्ति	859.96	692.00	648.73

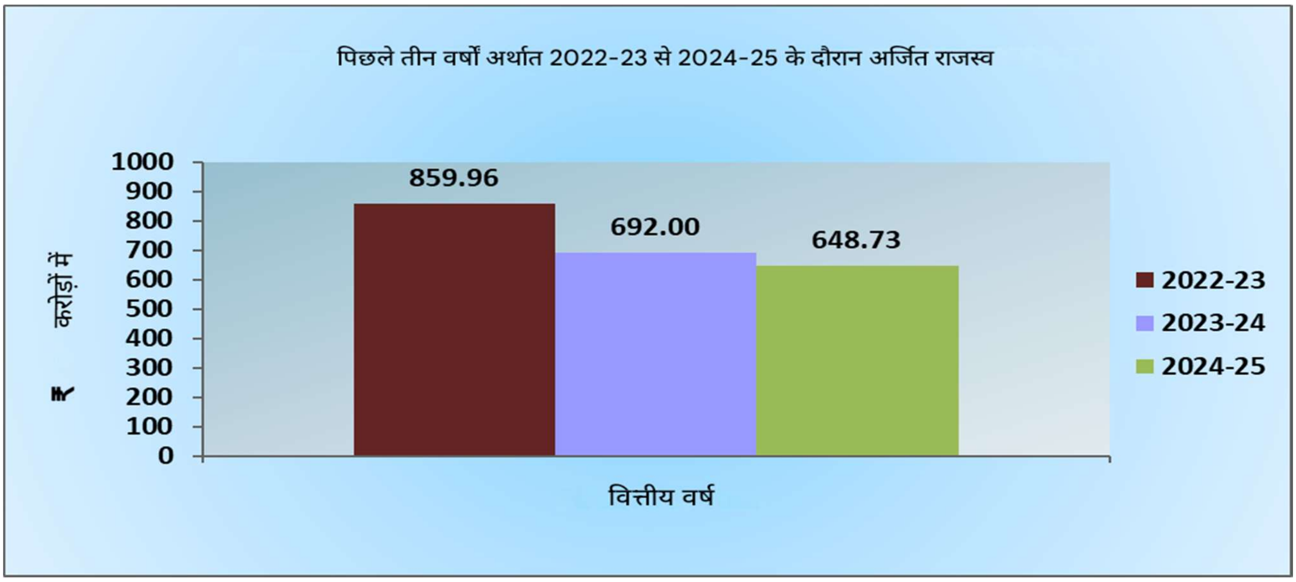

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) :

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल), सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जो, स्थलीय और सैटेलाइट प्रसारण, केबल और ध्वनिकी और ऑडियो-वीडियो सिस्टम सहित विभिन्न आईटी से संबंधित क्षेत्र सहित विशेष क्षेत्रों में टर्नकी समाधान सहित ट्रांसमिशन और निर्माण प्रौद्योगिकियों में प्रसारण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों की परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था। बेसिल भारत और विदेशों में रेडियो और टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग के संपूर्ण दायरे अर्थात सामग्री निर्माण सुविधाएं, स्थलीय प्रसारण, ट्रांसमिशन और सैटेलाइट और केबल प्रसारण को शामिल करते हुए परियोजना परामर्श सेवाएं और टर्नकी समाधान प्रदान करता है। यह प्रसारण से संबंधित भवन डिजाइन और निर्माण, मानव संसाधन से संबंधित कार्यकलापों जैसे प्रशिक्षण और श्रमशक्ति प्रदान करने जैसी संबंधित सेवाएं भी प्रदान करता है। बेसिल रक्षा, पुलिस विभागों और विभिन्न अर्धसैनिक बलों को विशेष संचार, निगरानी, सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों की आपूर्ति भी करता है। बेसिल का मुख्यालय नई दिल्ली में, कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा में और एक क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु में है।

अध्याय -2 (क)

लेखा संगठन
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वह अपर सचिव (वित्तीय सलाहकार) और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपने वित्तीय, बजट, लेखा और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों का निर्वहन करते हैं।

2. जीएफआर 2017 के नियम 70 के अनुसार, किसी मंत्रालय/विभाग के सचिव, जो मंत्रालय/ विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं, वे:-

(i) अपने मंत्रालय या विभाग के वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे।
(ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को आवंटित लोक निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए वे दिए गए थे।
(iii) प्रदर्शन मानकों का अनुपालन करते हुए, उस मंत्रालय के घोषित परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त करने में मंत्रालय के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगे।
(iv) जांच के लिए लोक लेखा समिति तथा किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।
(v) अपने मंत्रालय को सौंपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के निष्पादन की नियमित समीक्षा और निगरानी करेंगे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि घोषित उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं।
(vi) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों, दिशा-निर्देशों या निर्देशों के अनुसार अपने मंत्रालय से संबंधित व्यय और अन्य विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
(vii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय वित्तीय लेनदेन का पूर्ण और उचित रिकॉर्ड बनाए रखें तथा ऐसी प्रणालियां और प्रक्रियाएं अपनाएंगे जो हर समय आंतरिक नियंत्रण बनाए रख सकें।
(viii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्यों के निष्पादन के साथ-साथ सेवाओं और आपूर्तियों की खरीद के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करेंगे और इसे निष्पक्ष, न्यायसंगत, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करेंगे।
(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी और उचित कदम उठाएंगे कि उनका मंत्रालय:-

(क) सरकार को देय समस्त धनराशि एकत्रित करता है, और
(ख) अनधिकृत, अनियमित और व्यर्थ व्यय से बचता है।

3. सिविल लेखा नियमावली के पैरा 1.2.2 के अनुसार मुख्य लेखा नियंत्रक, मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उसकी ओर से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है: -
क) वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से सभी भुगतानों की व्यवस्था करना, सिवाय इसके कि जहां आहरण और संवितरण अधिकारी कुछ निश्चित प्रकार के भुगतान करने के लिए अधिकृत हैं।

नोट: किसी मंत्रालय/विभाग के लेखाओं के विभागीकरण की योजना में शामिल चेक आहरण डीडीओ की सूची में प्रस्तावित किसी भी एडिशन (शामिल करने) के लिए वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

ख) मंत्रालय/विभाग के लेखाओं का संकलन और समेकन और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में महालेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना; अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदान मांगों के लिए वार्षिक विनियोग लेखे तैयार

करना, उनका विधिवत ऑडिट करवाना और उन्हें मुख्य लेखा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करके सीजीए को प्रस्तुत करना।

ग) विभाग के विभिन्न अधीनस्थ संरचनाओं और वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा रखे गए भुगतान और लेखा रिकॉर्ड के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे गए सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण करना।

4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक मुख्यालय में अपने कर्तव्यों का पालन, लेखा नियंत्रक, उप लेखा नियंत्रक, सहायक लेखा नियंत्रक, तीन प्रधान लेखा अधिकारी (प्रशासन, बी एंड ए और आईएडब्ल्यू) तथा मंत्रालय के चौदह वेतन और लेखा कार्यालयों की सहायता से करते है जिनमें 06 (छह) पीएओ केवल प्रसार भारती से (पेंशन/जीपीएफ हेतु) संलग्न है। वित्त मंत्रालय की स्वीकृति से मेचिंग सेविंग बेसिस पर 21 क्षेत्रिय प्रचार निदेशालयों (अब क्षेत्रीय आऊटरीच ब्यूरो, सीबीसी) में 21 वरिष्ठ लेखा अधिकारी पद सृजित किए गए है, जो एनसीडीडीओएस/सीडीडीओएस एवं आईएफए का कार्य कर रहे है। चेन्नई, कोलकाता एवं मुंबई में वरिष्ठ लेखा परीक्षक दल तैनात है जिनके कार्यो की निगरानी मुख्यालय स्थित आंतरिक लेखा विंग करता है। मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में कार्य वितरण का वितरण परिशिष्ट `क` (पृष्ठ संख्या ....) पर दिया गया है।

5. सूचना और प्रसारण मंत्रालय में 21 सीडीडीओ सहित 84 डीडीओ और प्रसार भारती के 699 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। गैर-चेक सिस्टम के अन्तर्गत डीडीओ वेतन एवं लेखा कार्यालय को बिल प्रस्तुत करते है। लेखाकंन संबंधी सूचना प्रवाह चार्ट (फ्लो चार्ट) परिशिष्ट **'ख'** (पृष्ठ संख्या ....) पर दिया गया है।

6. सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.4 के अनुसार, नई दिल्ली में प्रधान लेखा कार्यालय एक प्रधान लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करता है, जो निम्नलिखित कार्यो के लिए जिम्मेदार है:-

क. सीजीए द्वारा निर्धारित तरीके से मंत्रालय/विभाग के लेखाओं का समेकन;

ख. मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदान मांगों के वार्षिक विनियोग लेखे तैयार करना, केंद्रीय लेनदेन के विवरण और केंद्र सरकार (सिविल) के वित्त लेखे के लिए सामग्री को महालेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना;

ग. भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण और अनुदान का भुगतान, और जहां भी इस कार्यालय का आहरण खाता है, वहां से संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन को भुगतान;

घ. प्रबंधन लेखांकन प्रणाली के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैनुअल तैयार करना, यदि कोई हो, और वेतन और लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह प्रदान करना, सीजीए कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखांकन मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण को कार्यान्वित करना;

ङ. मंत्रालय/विभाग द्वारा संचालित विभिन्न अनुदानों के तहत व्यय की प्रगति पर नजर रखने के लिए समग्र रूप से मंत्रालय/विभाग के लिए विनियोग लेखापरीक्षा रजिस्टर बनाना;

7. प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय कार्य भी करते है तथा विभाग के साथ-साथ स्थानीय और बाहरी वेतन एवं लेखा कार्यालयों को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखा संबंधी सलाह भी देते हैं।

8. सिविल अकाउंटस मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार, वेतन एवं लेखा कार्यालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों से जुड़े भुगतान करते हैं तथा कुछ मामलों में भुगतान विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) जिन्हें निधियों के आहरण की अनुमति होती है, वे ई-भुगतान/अधिकृत बैंक की शाखाओं से जारी चेक के माध्यम से भुगतान करते है। इन भुगतानों का लेखा पृथक स्क्रॉल में रखा जाता है जिसे संबंधित मंत्रालय/विभाग के वेतन और लेखा कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक वेतन एवं लेखा कार्यालय अथवा चेक द्वारा भुगतान करने हेतु अधिकृत आहरण एवं संवितरण अधिकारी केवल उसी मान्यता प्राप्त बैंक की शाखा/शाखाओं से आहरण करेगा जिसके साथ वेतन एवं लेखा कार्यालय

अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी का खाता संबद्ध है। मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों को भी अंततः वेतन एवं लेखा कार्यालय की पुस्तकों में ही दर्ज किया जाता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय विभागीय लेखा संगठन की मूल इकाई है। इसके मुख्य कार्यों में निम्नलिखित हैं: -

- गैर-चेक आहरण डी.डी.ओ. द्वारा प्रस्तुत ऋण और सहायता-अनुदान सहित सभी बिलों की पूर्व-जांच और भुगतान।
- निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप सटीक और समय पर भुगतान।
- प्राप्तियों का समय पर भुगतान।
- चेक आहरण करने वाले डीडीओ को त्रैमासिक ऋण पत्र जारी करना तथा उनके वाउचर/बिल का चेक पोस्ट करना
- उनके द्वारा प्राप्तियों और व्ययों के मासिक लेखाओं का संकलन करना तथा उन्हें चेक आहरण करने वाले डी.डी.ओ. के लेखाओं में शामिल करना।
- विलयित डीडीओ के अलावा जीपीएफ खातों का रखरखाव और सेवानिवृत्ति लाभों का अनुमोदन।
- सभी डीडीआर शीर्षों का रखरखाव।
- ई-भुगतान के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली द्वारा मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।
- निर्धारित लेखांकन मानकों, नियमों और सिद्धांतों का पालन करना।
- समय पर, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग।

9. किसी नए वेतन एवं लेखा कार्यालय के सृजन (या पुनर्गठन) या किसी मंत्रालय/विभाग के लेखा विभागीकरण योजना में शामिल चेक आहरण डीडीओ की सूची में शामिल करने के किसी भी प्रस्ताव के संबंध में वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन की समग्र जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:-

- मासिक लेखाओं का समेकन।
- वार्षिक विनियोग लेखे।
- केंद्रीय लेनदेन का विवरण।
- मंत्रालय और सीजीए को इसकी प्रस्तुति।
- "लेखा-जोखा एक नजर में" तैयार करना।
- केंद्रीय वित्त लेखे जो सीजीए, वित्त मंत्रालय और प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाते हैं।
- अनुदान प्राप्त संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान का भुगतान।
- सभी पीएओ और मंत्रालय को तकनीकी सलाह प्रदान करना; यदि आवश्यक हो, तो डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और सीजीए आदि जैसे अन्य संगठनों से परामर्श करना।
- प्राप्ति बजट तैयार करना
- पेंशन बजट तैयार करना
- पीएओ/चेक आहरण डीडीओ और व्यक्तिगत जमा खाता धारकों के लिए एवं उनकी ओर से चेक बुक की खरीद एवं आपूर्ति करना।
- महालेखा नियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना तथा लेखांकन मामलों और मान्यता प्राप्त बैंक में समग्र समन्वय और नियंत्रण लागू करना ।
- मान्यता प्राप्त बैंक के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से किए गए सभी प्राप्तियों और भुगतानों का सत्यापन एवं मिलान करना।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के खातों का रखरखाव करना तथा शेष नकदी का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों और इसके अनुदान प्राप्त संस्थानों आदि की आंतरिक लेखापरीक्षा।
- सभी संबंधित प्राधिकारियों को लेखांकन सूचना उपलब्ध कराना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट समन्वय कार्य।
- नई पेंशन योजना की निगरानी और 2016 से पहले और 2006 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के पेंशन संशोधन मामलों की निगरानी।
- खातों का कम्प्यूटरीकरण और ई-भुगतान।
- लेखांकन संगठन का प्रशासनिक एवं समन्वय कार्य।
- अनुदान प्राप्त संस्थानों सहित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत पीएफएमएस की शुरूआत।
- वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय में गैर-कर रिसीप्ट पोर्टल (एनटीआरपी) का संचालन।

11. प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए मीडिया प्रमुखों, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा प्राधिकरण को भी लेखांकन सूचना और डेटा प्रदान किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदान के विभिन्न उप-शीर्षों/वस्तु-शीर्षों के तहत मासिक और प्रगामी व्यय संबंधी आंकड़े मीडिया प्रभाग के संयुक्त सचिव सहित मंत्रालय के बजट अनुभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय की प्रगति भी मासिक रूप से व्यय की बेहतर निगरानी के प्रयोजनों के लिए सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के साथ-साथ मंत्रालय के अनुदान के नियंत्रित करने वाले प्रभागों के प्रमुखों को प्रस्तुत की जाती है।

12. लेखा संगठन गृह निर्माण अग्रिम और मोटर कार अग्रिम जैसे दीर्घकालिक अग्रिमों और मंत्रालय के कर्मचारियों के जीपीएफ खातों का भी रखरखाव करता है।

13. अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन संबंधी अधिकारों का सत्यापन और प्राधिकरण वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा कार्यालय प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत सेवा विवरण और पेंशन कागजात के आधार पर किया जाता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभ और भुगतान जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन के बराबर नकद राशि और साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना; सामान्य भविष्य निधि आदि के तहत भुगतान डीडीओ से प्रासंगिक सूचना/बिल प्राप्त होने पर पीएओ कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा विंग:

आंतरिक लेखापरीक्षा विंग मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में पालन किया जा रहा है।

आंतरिक लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आश्वासन और परामर्शी कार्यकलाप है जिसे मूल्य वर्द्धित करने और संगठन के कार्यों में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मूल उद्देश्य जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण लाकर संगठन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करना है। यह वस्तुनिष्ठ आश्वासन और सलाह प्रदान करने के लिए एक प्रभावी उपकरण भी है जो मूल्य वर्द्धित करता है, शासन के संवर्धन में सहायक परिवर्तन को प्रभावित करता है, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रियाओं की सहायता करता है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार करता है। यह प्रक्रियात्मक गलतियों और कमियों को सुधारने के लिए मूल्यवान सूचना भी प्रदान करता है और इस प्रकार, प्रबंधन के लिए सहायता

के रूप में कार्य करता है। किसी इकाई के ऑडिट की आवधिकता उसके कार्य की प्रकृति और मात्रा और निधियों की मात्रा द्वारा विनियमित होती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा प्रकृति में पूरक हैं और जवाबदेही के समग्र ढांचे को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक लेखापरीक्षा और बाह्य लेखापरीक्षा दोनों की अपनी भूमिकाएं हैं। वास्तव में, आंतरिक लेखापरीक्षा को प्रबंधकीय प्रदर्शन को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए एक प्रभावी उपकरण माना जाता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय ने स्वयं भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग के भीतर एक मजबूत आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया है और इसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने "भारत सरकार की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने" पर अपनी 14वीं रिपोर्ट में दोहराया है। वित्त मंत्री के अनुमोदन से वित्त मंत्रालय के अपर सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में गठित कार्य समूह ने भी भारत सरकार में नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। कार्य समूह ने 22 नवंबर, 2011 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा समिति की नियमित प्रणाली की आवश्यकता का भी समर्थन किया है, जिससे वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने में सहायता मिलेगी।
इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बाद की तारीख में सीएंडएजी की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं आती है। इसलिए, आंतरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार और सचिव जो जीएफआर-2017 के नियम-70 के अनुसार मुख्य लेखा प्राधिकारी है, के पास एक मजबूत साधन है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय स्वामित्व और वित्तीय विनियमन के उच्च मानक को बनाए रखा जा रहा है और उनका पालन किया जा रहा है और प्रक्रियात्मक चूक और अनियमितताओं के पता चलते ही निर्देशों पर ध्यान दिया जाता है ताकि सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए बहुत कम कार्य रह जाए।

महालेखा नियंत्रक कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या जी.25014/33/2015-16/एमएफ.सीजीए/आईएडी/306-53 दिनांक 15.05.2017 के अनुसरण में और सीजीए कार्यालय द्वारा जारी जेनेरिक आंतरिक ऑडिट मैनुअल (संस्करण 1.0) में निहित प्रावधानों के अनुसार, सचिव (सू. और प्र.) के अनुमोदन से अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (सू. और प्र.) की अध्यक्षता में इस मंत्रालय में ऑडिट समिति का गठन किया गया और आंतरिक लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों को सीसीए कार्यालय के का.ज्ञा. संख्या Pr.AO/I&B/IAW (मुख्यालय)/NZ/17-18/1016-1065 दिनांक 27.07.2017 में परिभाषित किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों के अधीन (स्वायत्त संस्थानो और अन्य अनुदान प्राप्त संस्थानों और विशिष्ट योजनाओं को छोड़कर) कुल 536 लेखा इकाइयां/डीडीओ हैं (प्रसार भारती-459 एवं गैर प्रसार भारती - 77) वित्तीय वर्ष 2024-25 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 133 कार्यालयों का लेखा परीक्षण किया गया। इन लेखा इकाइयों की समीक्षा की जा रही है क्योंकि क्षेत्रीय इकाइयों का पुर्नगठन हो रहा है और लेखा परीक्षण की आवश्यकता भी है।

31.03.2025 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती में उत्कृष्ट आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा की स्थिति नीचे दी गई है:-

I. प्रसार भारती				
क्षेत्र	**01.04.2025 तक बकाया पैरा**	पैरा को वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़ाया गया	पैरा को वित्तीय वर्ष के दौरान हटा (ड्राप) दिया गया	**31.03.2025 तक कुल बकाया पैरा**
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई)	574	78	136	516
पश्चिम क्षेत्र (मुंबई)	410	57	43	424
उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली)	390	83	63	410
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	627	144	161	610

कुल (I)	2001	362	403	1960
II. गैर प्रसार भारती				
क्षेत्र	01.04.2025 तक बकाया पैरा	पैरा को वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़ाया गया	पैरा को वित्तीय वर्ष के दौरान हटा (ड्राप) दिया गया	31.03.2025 तक कुल बकाया पैरा
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई)	302	00	24	278
पश्चिम क्षेत्र (मुंबई)	631	07	40	598
उत्तर क्षेत्र (दिल्ली)	501	29	69	461
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	377	12	53	336
कुल (II)	**1811**	**48**	**186**	**1673**
कुल योग (I + II)	**3812**	**410**	**589**	**3633**

14. <u>बैंकिंग व्यवस्थाएँ</u> :- भारतीय स्टेट बैंक सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अधिकृत बैंक है। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा संसाधित ई-भुगतान का निपटान सीएमपी, एसबीआई, हैदराबाद के माध्यम से विक्रेताओं/लाभार्थियों के खातों में किया जाता है और कुछ मामलों में; पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी किए गए चेक भुगतान के लिए अधिकृत बैंक की नामित शाखा में प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राप्तियां भी संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा मान्यता प्राप्त बैकों में जमा कराई जाती है, गैर-कर-प्राप्ति पोर्टल के अतिरिक्त/मान्यता प्राप्त बैंक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक की विशेष स्वीकृति आवश्यक होती है। अधिकृत बैंक में किसी भी परिवर्तन के लिए लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, प्रधान लेखा कार्यालय में 14 (चौदह) वेतन एवं लेखा कार्यालय हैं, जिनमें प्रसार भारती से संबद्ध 06 वेतन एवं लेखा कार्यालय शामिल हैं। पांच पीएओ नई दिल्ली में, दो-दो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में तथा एक-एक नागपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में स्थित हैं। विभाग/मंत्रालय से संबंधित सभी भुगतान संबंधित पीएओ से जुड़े पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने दावे/बिल नामित पीएओ/सीडीडीओ के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो सिविल लेखा मैनुअल, प्राप्ति एवं भुगतान नियमों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने के पश्चात चेक जारी करते हैं/ई-भुगतान जारी करते हैं।

अध्याय-2 (ख)

मंत्रालय/विभाग में लेखांकन संगणनों के प्रमुखों के रूप में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/सीसीए/सीए (आईसी) के चार्टर के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक की भूमिका

मुख्य लेखा नियंत्रक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं। निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत उनके कार्य इस प्रकार हैं: -

(1) प्राप्तियां, भुगतान और लेखे :

i. यह सुनिश्चित करना कि केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों और भुगतानों के लेखांकन के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रण के साथ प्रभावी और कुशल प्रणालियां विद्यमान हों।

ii. निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप विभिन्न केंद्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा चेक आहरण एवं संवितरण कार्यालयों (सीडीडीओ) के माध्यम से भुगतान और प्राप्तियों का पर्यवेक्षण करना।

iii. कोडल प्रावधानों के अनुसार दावेदारों (सरकारी कर्मचारियों, विक्रेताओं, अनुदानकर्ताओं और ऋण प्राप्त करने वाली संस्थाओं आदि, जिसमें जीईएम के माध्यम से खरीद के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान भी शामिल है) को समय पर भुगतान का पर्यवेक्षण करना।

iv. सीजीए कार्यालय को मासिक और वार्षिक खातों की दक्षता, सटीकता और समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करना।

v. समय पर, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

vi. सीजीए कार्यालय को मासिक रिपोर्ट की सटीकता और समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करना।

vii. मान्यता प्राप्त/प्राधिकृत बैंकों द्वारा मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करने की निगरानी करना तथा सरकारी खातों में प्राप्तियों की समय पर प्राप्ति के लिए उनकी प्रणाली की निगरानी करना।

viii. निर्धारित लेखांकन मानकों, नियमों और सिद्धांतों के अनुपालन की निगरानी करना।

ix. मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लेखापरीक्षित वार्षिक विनियोग लेखों को सीजीए कार्यालय को समय पर प्रस्तुत सुनिश्चित करना।

x. अपने मंत्रालय/विभाग के संबंध में वार्षिक 'लेखा-एक झलक' तैयार करना सुनिश्चित करना।

xi. भारत के लोक लेखा में नव निर्मित निधि को संचालित करने के लिए उसके संबंध में पर्सनल डिपोजिट खाता खोलने अथवा लेखा प्रक्रिया तैयार करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के प्रस्ताव की जांच करना।

xii. समय-समय पर सीजीए कार्यालय द्वारा निर्धारित मौद्रिक सीमा के अनुसार सीसीए/सीए द्वारा भुगतान स्वीकृतियों (जीएसटी रिफंड मंजूरी सहित) की समीक्षा।

xiii. ऋण, जमा, उचंत (सस्पेंस) एवं रेमेटेंस (डीडीएसआर) शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि के निपटान की निगरानी करना तथा शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष राशि के निपटान के लिए समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करना।

xiv. बजट परिपत्र और एलएमएमएचए के अनुसार नई स्कीमों के लिए उपयुक्त खाता शीर्ष खोलने की निगरानी करना।

xv. सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाने की निगरानी करना।

xvi. खरीद और संबंधित भुगतान से संबंधित मामलों पर जीईएम स्थायी समिति के साथ समन्वय करना।

xvii. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों के लेखांकन से संबंधित मामलों पर सीबीडीटी और सीबीआईसी को विशिष्ट वित्तीय और तकनीकी सलाह।

उपरोक्त जिम्मेदारियों के संबंध में मुख्य लेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक के निर्देश, अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

(2) आउटकम बजट सहित बजट तैयार करना :

i. बजटीय प्रस्ताव तैयार करने में सहायता करना तथा प्रत्येक कार्यक्रम/उप-कार्यक्रम के व्यय और रूपरेखा के विश्लेषण के आधार पर बजटीय सीमा के भीतर बेहतर पारस्परिक कार्यक्रम प्राथमिकता/आवंटन में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना।

ii. वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय-सारिणी/दिशानिर्देशों के अनुसार आउटकम बजट/आउटपुट-आउटकम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) तैयार करने में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक सहायता प्रदान करना।

ii. बजट प्रभाग को लोक लेखा के लेनदेन के संबंध में बजट अनुमान और बजट प्रभाग द्वारा नियंत्रित समग्र मांगों को बजट में शामिल करने के लिए प्रस्तुत करना।

iv. कर्मचारियों के भविष्य निधि शेष पर तथा रिजर्व निधि सहित लोक लेखा में विभिन्न जमाराशियों पर ब्याज के लिए बजट आकलन प्रस्तुत करना।

v. बजट दस्तावेजों से संबंधित सभी रिपोर्टों और विवरणों की निगरानी करना।

(3) गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का आकलन :

प्रशासनिक प्रभागों के साथ मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न गैर-कर राजस्व प्राप्तियों की समय-समय पर समीक्षा में एफए की सहायता करना और बजट प्रभाग, डीईए को गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का आकलन प्रस्तुत करना।

(4) आंतरिक लेखापरीक्षा/निष्पादन लेखापरीक्षा :

i. पीएसी, सीएंडएजी और आंतरिक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा पैरा की समीक्षा करने और सहवर्ती अनुपालन/पाठ्यक्रम सुधार के लिए प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता वाली आंतरिक लेखापरीक्षा समिति के सदस्य सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करना।

ii. वे मुख्य लेखा प्राधिकारी या सीजीए के निर्देशानुसार मंत्रालयों/विभागों में विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। सीसीए/सीए के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम करने वाली आंतरिक लेखापरीक्षा विंग अनुपालन/विनियामक लेखापरीक्षा की मौजूदा प्रणाली से आगे बढ़ेगी और निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगी:

क. सामान्य रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन, विशेष रूप से वित्तीय प्रणालियों की सुदृढता और वित्तीय और लेखांकन रिपोर्टों की विश्वसनीयता का आकलन;
ख. जोखिम कारकों की पहचान और निगरानी (आउटकम बजट/ओओएमएफ फ्रेमवर्क में शामिल कारकों सहित);
ग. लागत का उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए सेवा वितरण तंत्र की दक्षता और प्रभावशीलता तथा अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन; और
घ. मिडकोर्स सुधार के लिए एक प्रभावी निगरानी प्रणाली प्रदान करना।

iii. स्कीमों का वित्तीय मूल्यांकन प्रस्तुत करना तथा नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से परियोजनाओं और स्कीमों की निगरानी करना।

iv. जहां कहीं आवश्यक हो, संगठनों में सरकारी लेनदेन के संबंध में मान्यता प्राप्त बैंकों, प्राधिकृत/अन्य बैंकों/सीपीपीसी और ई-एफपीबी सहित फोकल प्वाइंट बैंक शाखाओं की लेखापरीक्षा करना।

v. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना और वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा समीक्षा तैयार करना सुनिश्चित करना।

उपरोक्त कार्य सीजीए द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।

(5) लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और आईटी परियोजनाएं :

i. पीएफएमएस और इसके विभिन्न मॉड्यूलों के उपयोग की निगरानी करना तथा मंत्रालय और सीजीए के कार्यालय के पीएफएमएस प्रभाग के साथ नोडल अधिकारी के रूप में समन्वय स्थापित करना।
ii. अंतिम स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी तक निधियों के प्रवाह और भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीमों के तहत इसके उपयोग पर नज़र रखने के उद्देश्य से समय पर, सटीक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग पीएफएमएस की सहायता से उपलब्ध कराई जाती है।
iii. सरकारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीआईएफएमआईएस) की स्थापना के लिए डेटा बेस और प्रक्रियाओं के एकीकरण का समन्वय करना।
iv. प्रणाली के दृष्टिकोण से वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कामकाज में पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करना और इसे और अधिक प्रभावी बनाना।
v. पीएफएमएस के एक्सेस नियंत्रण और अन्य संबंधित सुरक्षा पहलुओं के लिए जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और प्रणाली की नियमित निगरानी करके डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
vi. सटीक व्यय रिपोर्टिंग के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लेखांकन बास्केट की सही मैपिंग सुनिश्चित करना।
vii. पीएफएमएस में रिपोर्टों और सूचनाओं की नियमित समीक्षा करना तथा निर्णय लेने के लिए उसे कार्यपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना।
viii. अपने-अपने मंत्रालयों में स्कीमों के प्रदर्शन से संबंधित रिपोर्टों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी रिपोर्टों और डैशबोर्ड की नियमित आधार पर निगरानी करना।
ix. एजेंसियों आदि के निष्क्रिय पंजीकरण का समय पर वीडिंग आउट सुनिश्चित करना।

(6) व्यय एवं नकदी प्रबंधन :

बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नकदी प्रबंधन प्रणाली दिशानिर्देशों, मासिक व्यय योजना (एमईपी)/त्रैमासिक व्यय योजना (क्यूईपी) सीमाओं के अनुपालन के लिए मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय, 'जस्ट-इन टाइम' में स्वायत्त निकायों को निधि जारी करने के लिए टीएसए प्रणाली का कार्यान्वयन।

(7) एफआरबीएम अधिनियम के तहत प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं :

संपूर्ण सरकार के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा संकलित समेकित विवरण में शामिल करने के लिए उनके मंत्रालय/विभाग के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम के तहत आवश्यक प्रकटीकरण विवरण तैयार करने में सहायता करना।

(8) परिसंपत्तियों और देनदारियों की निगरानी :

परिसंपत्तियों और देनदारियों का व्यापक रिकार्ड बनाए रखने और सरकारी गारंटियों की निगरानी के लिए मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना ।

(9) वित्त मंत्रालय और वित्तीय सलाहकार के बीच वार्ता:

मुख्य लेखा नियंत्रक, सचिव (व्यय) के साथ वित्तीय सलाहकार (एफए) की त्रैमासिक बैठक के लिए आवश्यक सामग्री और सहायता प्रदान करेंगे तथा समय-समय पर एफए द्वारा अपेक्षित अन्य वित्तीय इनपुट भी उपलब्ध कराएंगे।

(10) सामान्य प्रशासन एवं समन्वय :

i. लेखा संगठन के विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करना तथा प्रशासन और स्थापना संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार होना।

ii. नियुक्ति प्राधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में प्रयोग की जाने वाली सांविधिक शक्तियों के संदर्भ में उत्तरदायित्वों का निर्वहन।

बैंकिंग व्यवस्था

लेखांकन (अकाउंटिंग) भुगतान का फ्लो डायग्राम

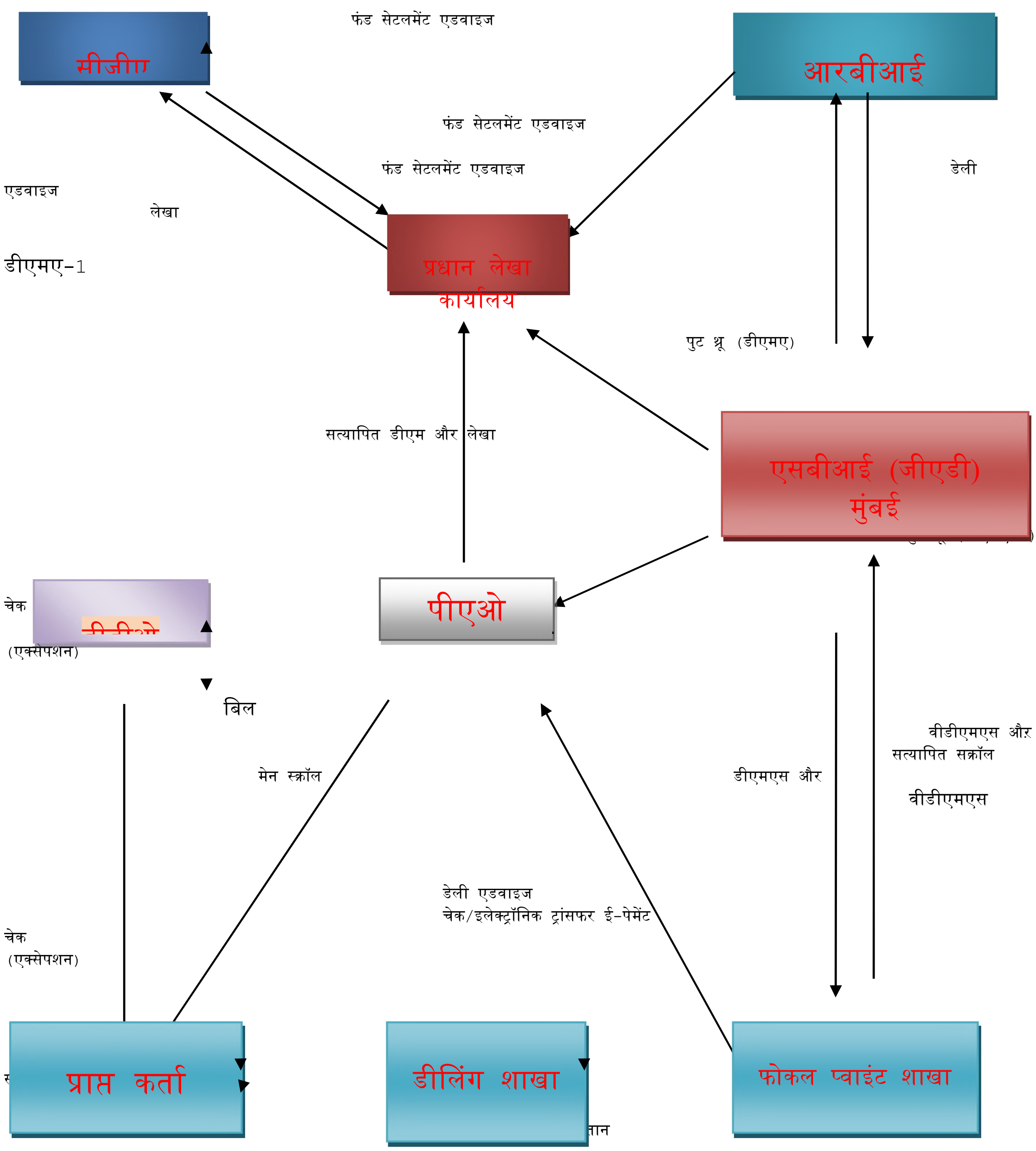

प्रदर्शनी- `एक'

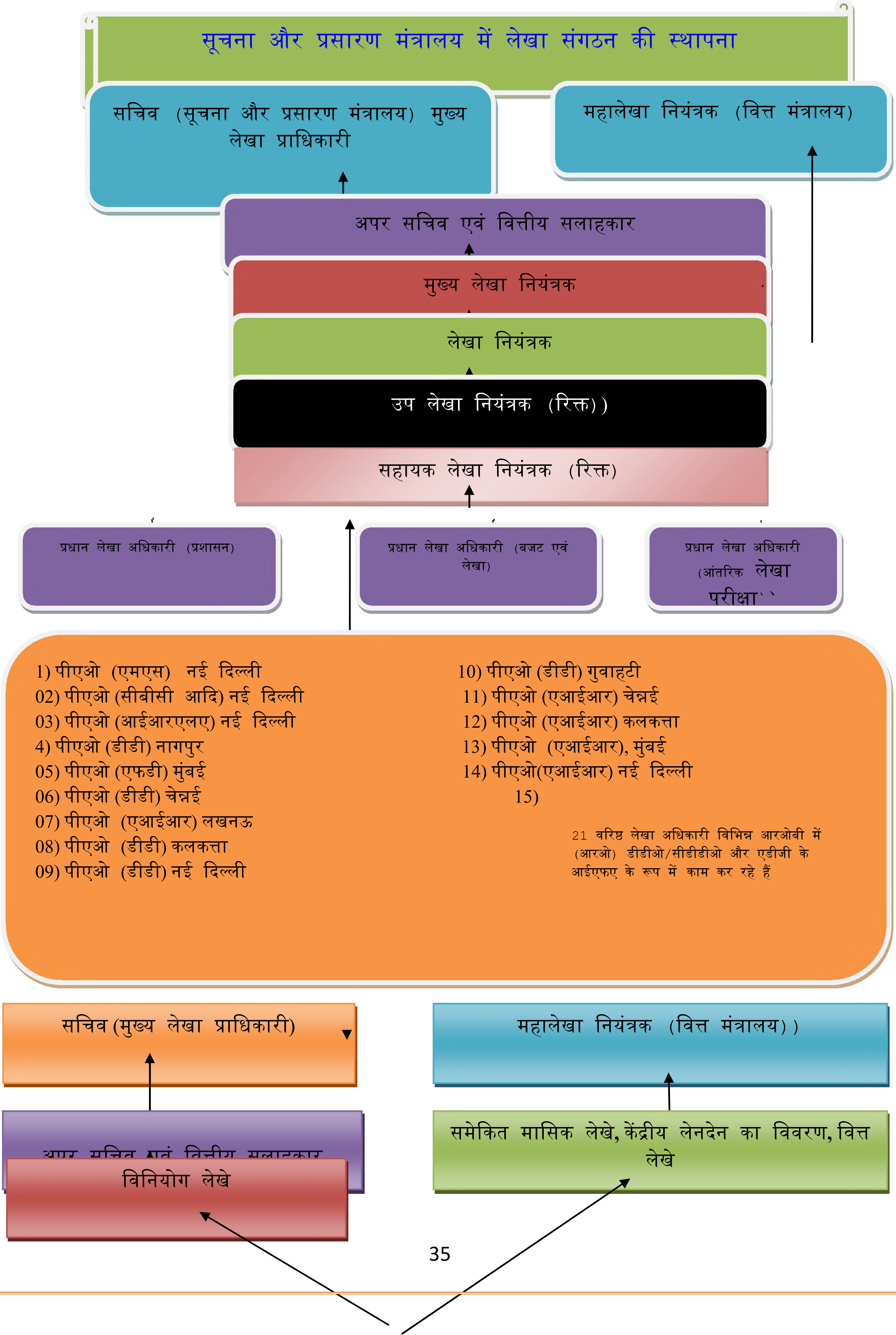
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में लेखा संगठन की स्थापना
सचिव (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) मुख्य लेखा प्राधिकारी
महालेखा नियंत्रक (वित्त मंत्रालय)
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
मुख्य लेखा नियंत्रक
लेखा नियंत्रक
उप लेखा नियंत्रक (रिक्त))
सहायक लेखा नियंत्रक (रिक्त)
प्रधान लेखा अधिकारी (प्रशासन)
प्रधान लेखा अधिकारी (बजट एवं लेखा)
प्रधान लेखा अधिकारी (आंतरिक लेखा परीक्षा`
1) पीएओ (एमएस) नई दिल्ली
02) पीएओ (सीबीसी आदि) नई दिल्ली
03) पीएओ (आईआरएलए) नई दिल्ली
4) पीएओ (डीडी) नागपुर
05) पीएओ (एफडी) मुंबई
06) पीएओ (डीडी) चेन्नई
07) पीएओ (एआईआर) लखनऊ
08) पीएओ (डीडी) कलकत्ता
09) पीएओ (डीडी) नई दिल्ली
10) पीएओ (डीडी) गुवाहटी
11) पीएओ (एआईआर) चेन्नई
12) पीएओ (एआईआर) कलकत्ता
13) पीएओ (एआईआर), मुंबई
14) पीएओ(एआईआर) नई दिल्ली
15)
21 वरिष्ठ लेखा अधिकारी विभिन्न आरओबी में (आरओ) डीडीओ/सीडीडीओ और एडीजी के आईएफए के रूप में काम कर रहे हैं
सचिव (मुख्य लेखा प्राधिकारी)
महालेखा नियंत्रक (वित्त मंत्रालय))
समेकित मासिक लेखे, केंद्रीय लेनदेन का विवरण, वित्त लेखे
विनियोग लेखे

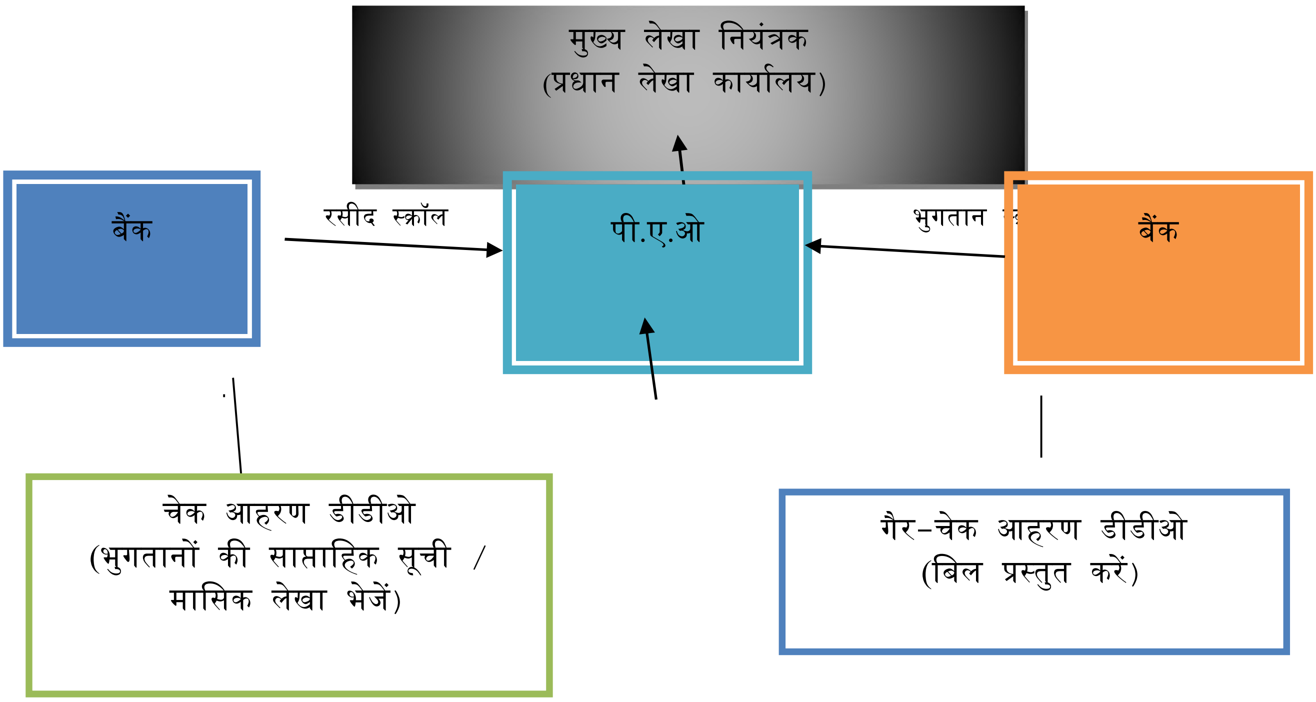
मुख्य लेखा नियंत्रक
(प्रधान लेखा कार्यालय)
बैंक
रसीद स्क्रॉल
पी.ए.ओ
भुगतान
बैंक
चेक आहरण डीडीओ
(भुगतानों की साप्ताहिक सूची / मासिक लेखा भेजें)
गैर-चेक आहरण डीडीओ
(बिल प्रस्तुत करें)

अध्याय 3

सरकारी लेखे

लेखाओं की तैयारी और प्रस्तुति :

केंद्र सरकार के लेखे हर साल तैयार किए जाएंगे, जिसमें वर्ष के लिए प्राप्तियां और संवितरण, वर्ष के दौरान उत्पन्न अधिशेष या घाटा और सरकारी देनदारियों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन शामिल होंगे। लेखे लेखा महानियंत्रक द्वारा तैयार किए जाएंगे और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित होंगे। इन लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को, अधिमानतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे।

लेखाओं का स्वरूप :

संविधान के अनुच्छेद 150 के उपबंधों के आधार पर, केंद्र सरकार के लेख को ऐसे रूप में रखा जाएगा जैसा राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित कर सकते हैं।

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) में लेखा महानियंत्रक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति की ओर से संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप निर्धारित करने तथा उससे संबंधित नियमों और नियमावलियों को बनाने या संशोधित करने के लिए उत्तरदायी है।

लेखांकन के सिद्धांत :

भारत सरकार के लेखाओं को बनाए रखने के मुख्य सिद्धांत सरकारी लेखा नियम, 1990; कोषागारों के लिए लेखा नियम; तथा लेखा संहिता खंड-III में निहित हैं। डाक विभाग तथा अन्य तकनीकी विभागों के अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले तथा प्रस्तुत किए जाने वाले आरंभिक तथा सहायक लेखाओं के प्रारूपों से संबंधित विस्तृत नियम तथा अनुदेश संबंधित लेखा मैनुअल या संबंधित विभाग से संबंधित विभागीय विनियमों में दिए गए हैं।

नकदी आधारित लेखांकन :

सरकारी लेखे नकद आधार पर तैयार किए जाएंगे। सरकारी लेखा नियम, 1990 या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत ऐसे बही समायोजनों के अपवाद के साथ, सरकारी लेखाओं में लेन-देन एक वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों और संवितरणों को दर्शाएगा, जो उसी अवधि के दौरान सरकार को या सरकार द्वारा देय राशि से अलग होगा।

लेखा अवधि :

केन्द्रीय सरकार के वार्षिक लेखों में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले लेन-देन का रिकॉर्ड होगा।

लेखा किस मुद्रा में रखे जाते हैं :

सरकार के लेखा भारतीय रुपये में रखे जाएंगे। सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन और विदेशी सहायता को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के बाद ही लेखा में लाया जाएगा।

लेखाओं के मुख्य प्रभाग और संरचना :

सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाएंगे, अर्थात् समेकित निधि (भाग-I), आकस्मिकता निधि (भाग-II) और लोक लेखा (भाग-III)।

भाग I – समेकित निधि को दो प्रभागों में विभाजित किया गया है, अर्थात् 'राजस्व' और 'पूंजी' प्रभाग। राजस्व प्रभाग में निम्नलिखित अनुभाग शामिल हैं:
'प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)' कराधान की आय और राजस्व के रूप में वर्गीकृत अन्य प्राप्तियों से संबंधित है और 'व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)' अनुभाग उससे पुरा होने वाले राजस्व व्यय से संबंधित है। पूंजी प्रभाग में तीन खंड शामिल हैं, अर्थात 'प्राप्ति शीर्ष (पूंजी लेखा)', 'व्यय शीर्ष (पूंजी लेखा)' और लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, आदि। इन खंडों को 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं', आर्थिक सेवाएं' आदि जैसे क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसके तहत विशिष्ट कार्यों या सेवाओं को योजना वर्गीकरण के क्षेत्रों के अनुरूप समूहीकृत किया जाता है और जिन्हें प्रमुख शीर्षों (जहां आवश्यक हो, उप-प्रमुख शीर्षों सहित) द्वारा दर्शाया जाता है।

भाग II – आकस्मिकता निधि, संविधान के अनुच्छेद 267 या संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 की धारा 48 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित आकस्मिकता निधि से जुड़े दर्ज किए गए लेनदेन हैं। लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक ही प्रमुख शीर्ष होगा इसके अंतर्गत, जिसके बाद लघु, उप और/या विस्तृत शीर्ष होंगे।

भाग III – लोक लेखा, ऋण से संबंधित लेनदेन (भाग- I में शामिल के अलावा), आरक्षित निधि, जमा, अग्रिम, उचंत, प्रेषण और नकद शेष दर्ज किए जाएंगे।

सरकारी लेखाओं में लेनदेन का वर्गीकरण :

एक सामान्य नियम के रूप में, सरकारी लेखाओं में लेन-देन का वर्गीकरण, सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों और गतिविधियों तथा राजस्व या व्यय के उद्देश्य से अधिक प्रासंगिक होगा, न कि उस विभाग के अनुसार जिसमें राजस्व या व्यय होता है।

मुख्य शीर्ष (जहाँ आवश्यक हो, उप-मुख्य शीर्षों को शामिल करते हुए) को लघु शीर्षों में विभाजित किया जाता है। लघु शीर्षों में कई अधीनस्थ शीर्ष हो सकते हैं, जिन्हें आम तौर पर उप-शीर्षक के रूप में जाना जाता है। उप-शीर्षकों को आगे विस्तृत शीर्षों में विभाजित किया जाता है, जिसके बाद वस्तु शीर्ष होते हैं।

व्यय शीर्षों के सेक्टर के अंतर्गत आने वाले मुख्य लेखा शीर्ष आम तौर पर सरकार के कार्यों से संबंधित होते हैं, जबकि लघु शीर्ष मुख्य शीर्षों द्वारा दर्शाए गए कार्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यक्रमों की पहचान करते हैं। उप-शीर्ष योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को दर्शाता है और वस्तु शीर्ष वेतन और मजदूरी, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, पेशेवर सेवाएँ, सहायता अनुदान आदि जैसे व्यय की आर्थिक प्रकृति को दर्शाते हुए विनियोग की प्राथमिक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। उपरोक्त छह स्तरों को एक अद्वितीय 15-अंकीय संख्यात्मक कोड द्वारा दर्शाया जाता है।

लेखा का नया शीर्ष खोलने का प्राधिकार :

संघ और राज्य के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग-भारत के महालेखा नियंत्रक) द्वारा रखी जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 150 की शक्तियों के तहत भारत के

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर एक नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए प्राधिकृत है। इसमें लेखाओं के शीर्ष खोलने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश शामिल हैं (और उनमें से कुछ के तहत कुछ उप/विस्तृत शीर्ष भी खोले जाने के लिए प्राधिकृत हैं)।

मंत्रालय/विभाग वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के परामर्श से आवश्यकतानुसार उप-शीर्ष और विस्तृत शीर्ष खोल सकते हैं। उनका प्रधान लेखा कार्यालय उपरोक्त शर्तों के अधीन भारत के लोक लेखे के अंतर्गत आने वाले लघु शीर्षों के अंतर्गत आवश्यक उप/विस्तृत शीर्ष खोल सकता है।

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों के नियम 8 के तहत भारत सरकार के आदेशों के तहत वस्तु शीर्ष निर्धारित किए गए हैं। इन वस्तु शीर्षों में संशोधन या संशोधन करने और नए वस्तु शीर्ष खोलने की शक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पास है।

वर्गीकरण के नियमों के साथ बजट शीर्षों की अनुरूपता :

सरकार द्वारा तैयार किए गए प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों या किसी विनियोग आदेश में प्रदर्शित बजट शीर्ष वर्गीकरण के निर्धारित नियमों के अनुरूप होंगे।

विभागीय अधिकारी का उत्तरदायित्व:

सरकारी देय राशि की वसूली या सरकारी धन के व्यय के लिए उत्तरदायी प्रत्येक अधिकारी को यह देखना होगा कि प्राप्तियों और व्यय के उचित लेखे, जैसा भी मामला हो, को ऐसे प्रारूप में बनाए रखा जाए जैसा कि सरकार के वित्तीय लेनदेन के लिए निर्धारित किया गया हो, जिसके साथ वह संबंधित है और वह सरकार, नियंत्रण अधिकारी या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा अपेक्षित ऐसे सभी लेखाओं और उनसे संबंधित रिटर्न को सटीक और शीघ्रता से प्रस्तुत करते।

आहरण अधिकारी द्वारा सभी बिलों और चालानों में वर्गीकरण दर्ज किया जाना चाहिए:

आहरण अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा आहरित सभी बिलों पर उपयुक्त वर्गीकरण दर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार, सरकारी धन को बैंक में जमा करने वाले चालानों पर वर्गीकरण को सरकारी बकाया आदि के संग्रह के लिए उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों द्वारा दर्शाया या दर्ज किया जाएगा। जिन शीर्षों के तहत लेनदेन का हिसाब लगाया जाना चाहिए, उनके बारे में संदेह के मामलों में, ऐसे मामले को जहां भी आवश्यक हो, वित्त मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक के स्पष्टीकरण के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रधान लेखा अधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

प्रभारित या दतमत्त व्यय :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अंतर्गत आने वाला व्यय भारत की संचित निधि पर प्रभारित होता जाता है। और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। भारत की संचित निधि से किए गए अन्य सभी व्यय को दत्तमत व्यय माना जाता है। प्रभारित या दत्तमत व्यय को लेखाओं के साथ-साथ बजट दस्तावेजों में भी अलग से दिखाया जाएगा।

पूंजीगत या राजस्व व्यय :

मूर्त संपत्ति या स्थायी प्रकृति (संगठन में उपयोग के लिए और व्यवसाय के सामान्य संचालन में बिक्री के लिए नहीं) अर्जित करने या मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण व्यय को मोटे तौर पर पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। रखरखाव, मरम्मत, संभाल और कामकाजी खर्चों पर बाद के प्रभार, जो परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, साथ ही संगठन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी व्यय, जिसमें प्रतिष्ठान और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। लेखाओं में पूंजीगत और राजस्व व्यय को अलग-अलग दिखाया जाएगा।

लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) :

1. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक की एक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का उपयोग मंजूरी बनाने, बिल प्रसंस्करण, भुगतान, रसीद प्रबंधन, निधि प्रवाह प्रबंधन (फंड फ्लो) और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए किया जाएगा।
2. सहायता अनुदान को मंजूरी देने वाले सभी मंत्रालय निधि प्रवाह और अव्ययित शेष को ट्रैक करने के लिए पीएफएमएस पर कार्यान्वयन के अंतिम स्तर तक सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को पंजीकृत करेंगे।

3. जहां तक संभव हो, मंत्रालयों द्वारा सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से 'जस्ट-इन-टाइम' जारी किए जाएंगे।

4. विस्तृत अनुदान मांगें (डीडीजी), जैसा कि अनुमोदित है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में पीएफएमएस पर अपलोड की जानी चाहिए।

5. सभी पुनर्विनियोग आदेश, अभ्यर्पण आदेश पीएफएमएस प्रणाली के यूबीआईएस के माध्यम से सृजित किये जायेंगे।

6. सभी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान पीएफएमएस पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे, हालांकि इसे अभी भी पूरी तरह से लागू नही किया गया है।

वार्षिक लेखे

विनियोग लेखा :

केंद्रीय मंत्रालयों (रेल मंत्रालय के अलावा) और केंद्रीय सिविल विभागों (डाक विभाग और रक्षा सेवाओं को छोड़कर) के विनियोग लेखे संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रधान लेखा कार्यालय (महालेखा नियंत्रक के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत) और उनके संबंधित मुख्य लेखा प्राधिकारियों अर्थात् संबंधित मंत्रालयों या विभागों के सचिवों द्वारा हस्ताक्षरित कर तैयार किए जाएंगे। संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) उपरोक्त विनियोग लेखाओं को समेकित करके लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किए जाएंगे।

वित्त लेखा :

भारत सरकार के वार्षिक लेखे, जो (डाक विभाग और रक्षा और रेलवे मंत्रालयों के लेनदेन और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के भारत के लोक लेखे के तहत लेनदेन सहित), संबंधित शीर्षों के तहत संघ के उद्देश्य के लिए वार्षिक प्राप्तियां और संवितरण दिखाते हैं, को वित्त लेखा कहा जाता है, और इन्हें महालेखा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जाएगा।

वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति :

उपर्युक्त विनियोग और वित्त लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परस्पर सहमत तिथि पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में, तैयार किए जाएंगे और उन्हें प्रमाण-पत्र दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। प्रमाणित वार्षिक लेखे और लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 11 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (1) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएंगी।

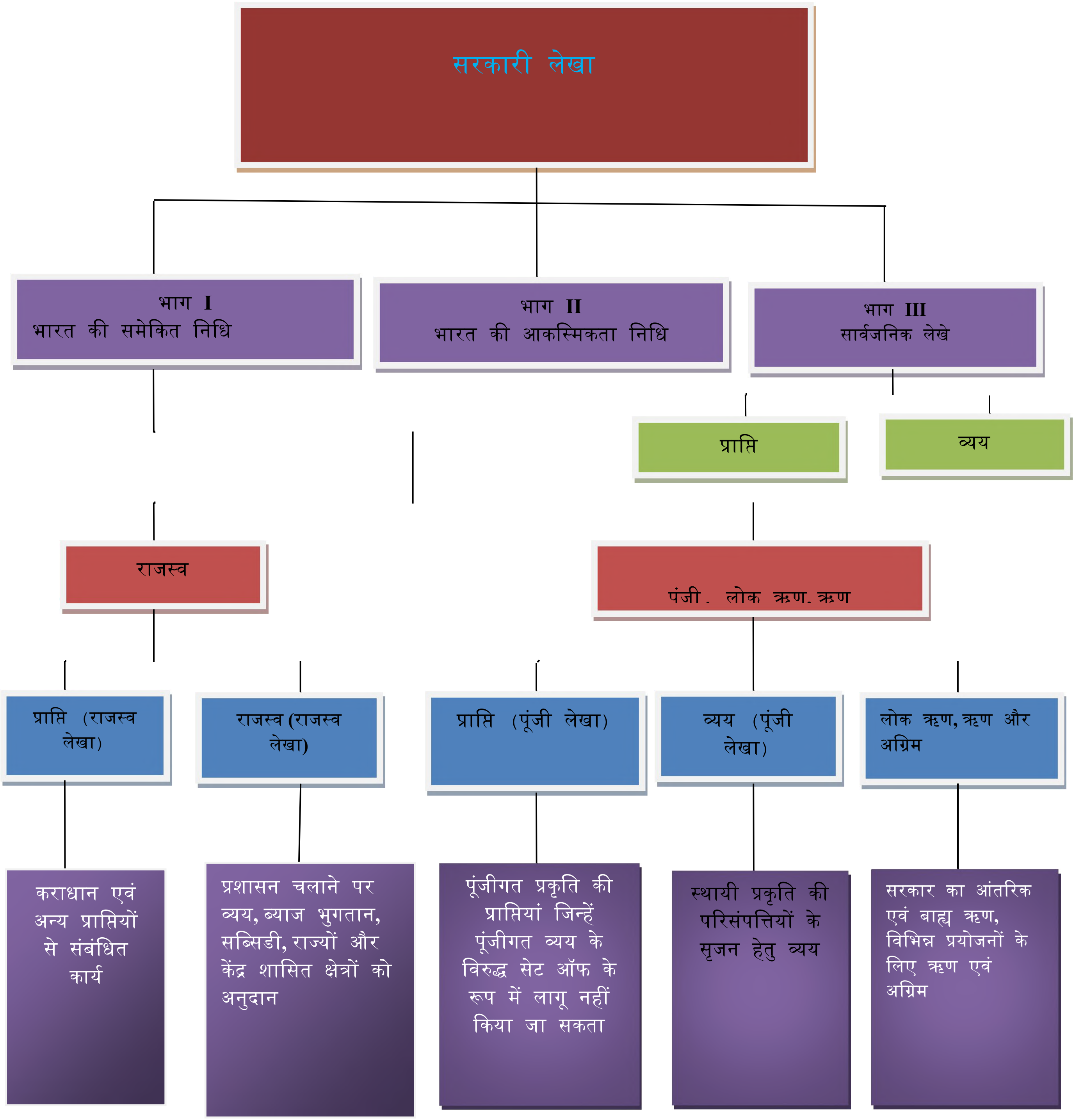
सरकारी लेखा
भाग I
भारत की समेकित निधि
भाग II
भारत की आकस्मिकता निधि
भाग III
सार्वजनिक लेखे
प्राप्ति
व्यय
राजस्व
पंजी . लोक ऋण- ऋण
प्राप्ति (राजस्व लेखा)
राजस्व (राजस्व लेखा)
प्राप्ति (पूंजी लेखा)
व्यय (पूंजी लेखा)
लोक ऋण, ऋण और अग्रिम
कराधान एवं अन्य प्राप्तियों से संबंधित कार्य
प्रशासन चलाने पर व्यय, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को अनुदान
पूंजीगत प्रकृति की प्राप्तियां जिन्हें पूंजीगत व्यय के विरुद्ध सेट ऑफ के रूप में लागू नहीं किया जा सकता
स्थायी प्रकृति की परिसंपत्तियों के सृजन हेतु व्यय
सरकार का आंतरिक एवं बाह्य ऋण, विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण एवं अग्रिम

लेखांकन परिचालन – एक अवलोकन

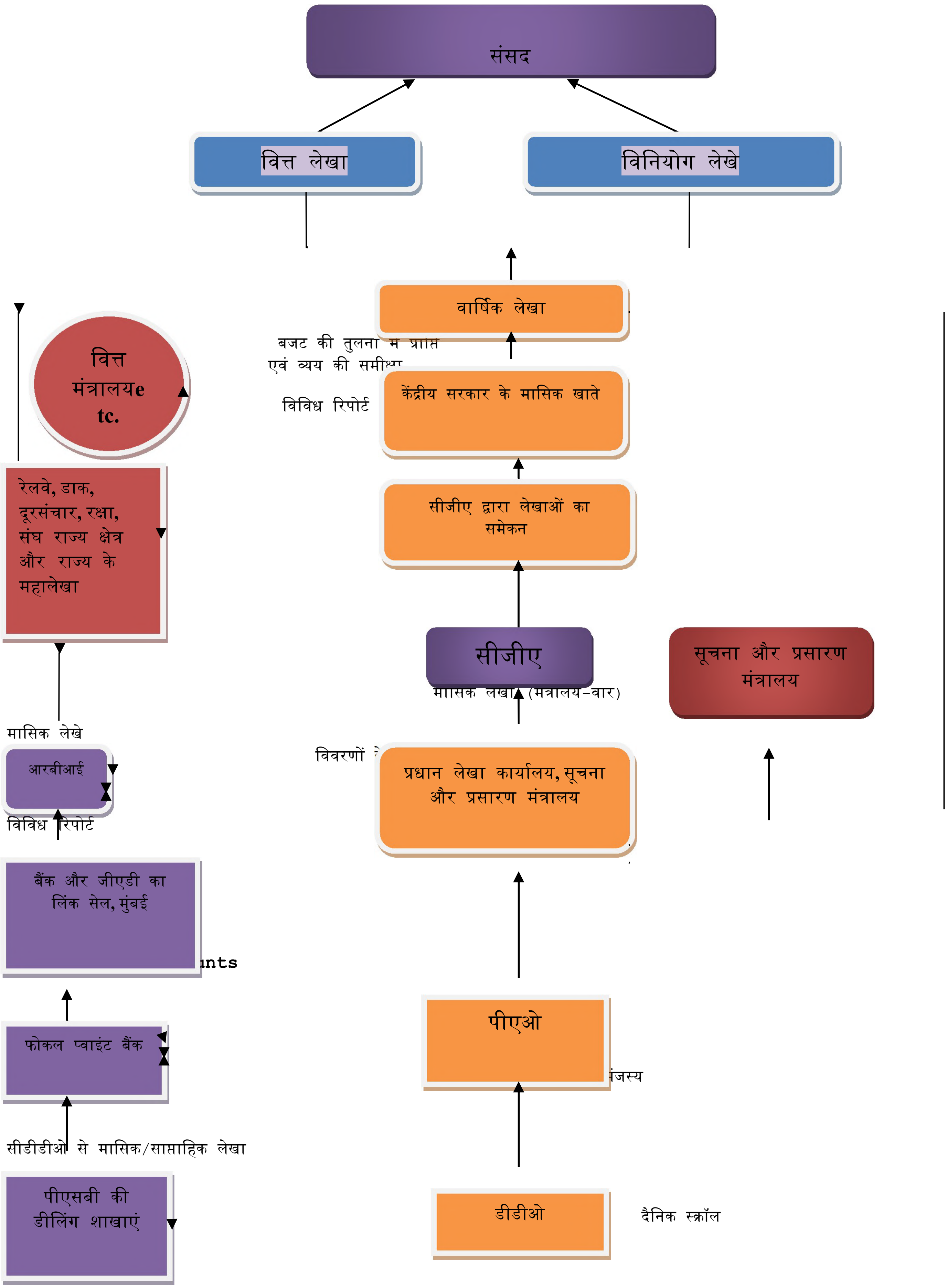

अध्याय - 4

लेखा संबंधी मुख्य बातें

वर्ष 2024-25 के दौरान भारत की समेकित निधि में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कुल प्राप्तियां ₹1198.59 करोड़ थीं। इसमें राजस्व लेखे से ₹1198.07 करोड़ और ऋण एवं अग्रिम से ₹0.52 करोड़ शामिल हैं।

कुल राजस्व प्राप्तियों में ₹47.11 करोड़ सकल कर राजस्व और ₹1151.48 करोड़ सकल गैर-कर राजस्व शामिल है, जिसमें इस मंत्रालय की ₹1005.10 करोड़ की गैर-कर प्राप्तियां शामिल हैं।

2024-25 के दौरान कुल प्राप्तियां	
	(करोड़ ₹ में)
कुल प्राप्तियां	**1214.90**
(क) राजस्व प्राप्तियां (i) कर राजस्व (ii) गैर-कर राजस्व (लाइसेंस शुल्क और सीजीएचएस सदस्यता आदि के कारण प्राप्त राशि सहित)	 47.11 1151.48
(ख) पूंजी प्राप्तियां (i) ऋणों की वसूली	 0.52

(स्रोत: केंद्रीय लेनदेन विवरण 2024-25)

2024-25 के दौरान कुल प्राप्तियों की ग्राफ़िकल प्रस्तुति

(करोड़ ₹ में)

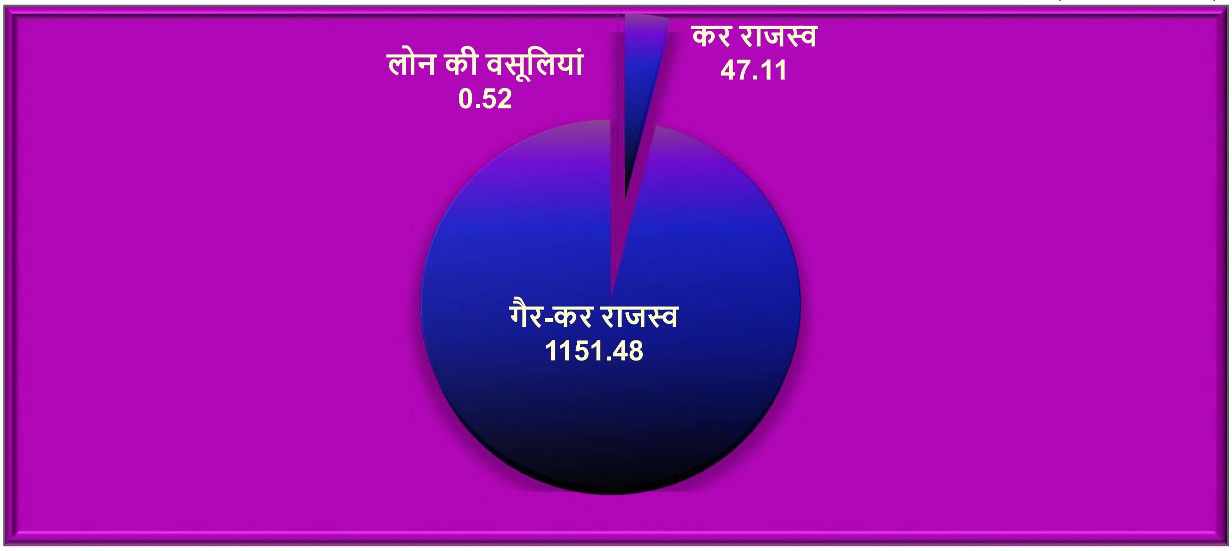

2024-25 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्राप्तियों का विश्लेषण

प्राप्तियों में इनका प्रमुख योगदान था: - (करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	धनराशि
(क)	0021 – निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	47.11
(ख)	0049 – ब्याज प्राप्तियां	0.50
(ग)	0050 – लाभांश और लाभ	0.00
(घ)	0070 – अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	0.02
(ङ)	0071 – पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूली	136.04
(च)	0075 – विविध सामान्य सेवाएँ	0.65
(छ)	0202 – शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	14.29
(ज)	0210 – चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य– (सीजीएचएस सदस्यता))	6.80
(झ)	0216 – आवास – (लाइसेंस शुल्क)	1.85
(ञ)	0220 – सूचना और प्रसार	35.72
(ट)	0221 – प्रसारण	955.09
(ठ)	7610 – सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण।	0.52
कुल		**1198.59**

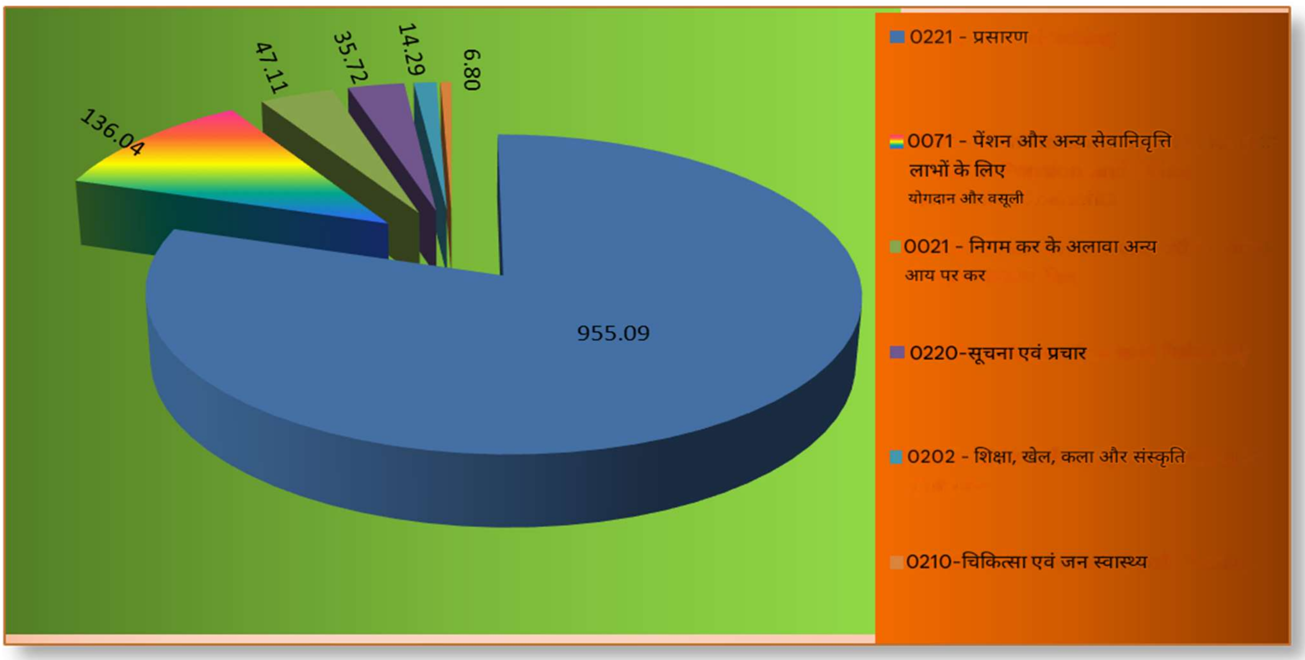

विनियोग लेखे

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदान संख्या 61 के अंतर्गत वार्षिक विनियोग लेखे 2024-25, राजस्व अनुभाग और पूंजी अनुभाग में दत्तमत व्यय से संबंधित है।

₹4629.58 करोड़ के कुल बजट प्राक्कलन की तुलना में, विनियोग लेखे में दर्शाए अनुसार कुल व्यय ₹4306.78 करोड़ है तथा अनुदान संख्या 61 के दत्तमत भाग में ₹322.88 करोड़ की शुद्ध बचत है।

(*करोड़ ₹ में*)

अनुदान सं./ विनियोग सं.	बजट प्राक्कलन	अनुपूरक/ अतिरिक्तता	अनुपूरक के बाद कुल बजट प्राक्कलन	दत्तमत व्यय	बचत (-) अतिरिक्त (+)
61	4342.55	287.03	4629.58	4306.78	-322.80

(स्रोत: विनियोग लेखा 2024-25)

विनियोग लेखे संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदान राशि विनियोग की तुलना में सरकार के व्यय को दर्शाते हैं। विनियोग। ये लेखे संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, और इसका उद्देश्य यह दर्शाना होता है:

क. यह कि उसमें संवितरित की गई धनराशि उस सेवा या उद्देश्य के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध और लागू थी जिसके लिए उन्हें लागू किया गया था या प्रभारित किया गया था;

ख. व्यय उस प्राधिकारी के अनुरूप है जो इसे नियंत्रित करता है;

ग. मंत्रालय, विभाग द्वारा जारी सभी पुनर्विनियोजन, अभ्यर्पण आदेशों का प्रभाव सम्मिलित किया जाता है ।

अनुदान संख्या 61 के संबंध में विनियोग लेखे मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा तैयार किए जाते हैं और महालेखा नियंत्रक/प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, डीजीए (सीई) को भेजे जाते हैं ।

विनियोग लेखाओं की मुख्य विशेषताएं (2024-25)

(करोड़ ₹ में)

मुख्य शीर्ष	बजट प्राक्कलन	पुनर्विनियोजन/अनुपूरक के बाद कुल बजट अनुमान	व्यय	अतिरिक्त (+) बचत (-)
2251 - सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	117.18	112.20	109.48	-2.72
2205 - कला और संस्कृति	36.93	38.59	37.59	-1.00
2220 - सूचना और प्रसार	1089.23	1544.91	1473.14	-71.77
2221 - प्रसारण	2959.94	2724.83	2641.46	-83.37
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	100.43	14.46	-	-
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि	-	132.74	-	132.74
राजस्व खंड (I)	4303.71	4567.71	4261.68	-306.05
4220 - सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	38.84	61.35	45.10	-16.25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि	-	0.52	-	0.52
पूंजी खंड (II)	38.84	61.87	45.10	-16.77
कुल **(I + II)**	**4342.55**	**4629.58**	**4306.78**	**-322.80**

(स्रोत: विनियोग लेखा 2024-25)

(स्रोत: ई-लेखा/ विनियोग लेखा 2024-25)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निधियों का विवरण

(करोड़ ₹ में)

2024-25 के दौरान उप-शीर्षवार व्यय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (अनुदान संख्या 61)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप शीर्ष	बजट प्राक्कलन (बी.ई.)	कुल बजट प्राक्कलन (टी.बी.ई.) पूरक/पुनर्विनियोजन के बाद	कुल व्यय	बजट प्राक्कलन की तुलना में व्यय का %	टी.बी.ई. की तुलना में व्यय का %
	मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय- सामाजिक सेवाएं					
1	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	87.83	83.84	**82.61**	94.05%	98.53%
2	प्रधान लेखा कार्यालय (सूचना और प्रसारण)	29.35	28.35	**26.87**	91.55%	94.77%
	कुल मुख्य शीर्ष "2251"	117.18	112.20	**109.48**	93.42%	97.57%
	मुख्य शीर्षक "2205" – कला और संस्कृति					
1	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	36.93	38.59	**37.59**	101.78%	97.40%
	कुल मुख्य शीर्ष "2205"	36.93	38.59	**37.59**	101.78%	97.40%
	मुख्य शीर्षक "2220" – सूचना और प्रचार					
1	एफटीआईआई, पुणे	87.11	73.11	**73.11**	83.92%	100.00%
2	एसआरएफटीआई, कोलकाता	81.45	53.00	**53.00**	65.07%	100.00%
3	फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)	289.24	360.49	**298.46**	103.18%	82.79%
4	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	23.00	18.00	**18.00**	78.26%	100.00%
5	भारतीय जनसंचार संस्थान	54.69	83.40	**83.31**	152.33%	99.89%
6	न्यू मीडिया विंग (पूर्ववर्ती आरआरएंडटीडी)	2.38	2.73	**2.59**	108.82%	94.87%
7	केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती बीओसी)	200.11	193.26	**190.27**	95.08%	98.45%
8	विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)	134.38	169.48	**167.74**	124.82%	98.97%
9	पत्र सूचना कार्यालय	118.81	107.30	**106.96**	90.02%	99.68%
10	अन्य मदें	15.64	9.48	**9.20**	58.82%	97.04%
11	भारत के समाचारपत्र के पंजीयक का कार्यालय	11.66	13.27	**12.69**	108.83%	95.62%
12	प्रकाशन प्रभाग	51.67	47.44	**46.38**	89.76%	97.76%
13	भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता	4.50	9.71	**7.65**	170.00%	78.78%
14	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र	14.25	12.74	**12.30**	86.31%	96.54%
15	संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) में योगदान	0.0001	--	--	0.00%	--

16	एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) की वार्षिक सदस्यता का भुगतान	0.34	0.34	**0.33**	97.05%	97.05%
17	एनीमेशन, विज़ुअल इफ़ेक्ट, गेमिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र	0.00	391.15	**391.15**	0.00%	100.00%
	कुल मुख्य शीर्ष "2220"	**1089.23**	**1544.91**	**1473.14**	**135.24%**	**95.35%**
	मुख्य शीर्ष "2221" - प्रसारण					
1	प्रसार भारती	2509.94	2448.81	**2427.77**	96.72%	99.14%
2	प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)	450.00	276.02	**213.69**	47.48%	77.41%
	कुल मुख्य शीर्ष "2221"	**2959.94**	**2724.83**	**2641.46**	**89.24%**	**96.94%**
	मुख्य शीर्ष "2552"-पूर्वोत्तर क्षेत्र	100.43	14.46	--	--	--
	कुल मुख्य शीर्ष "2552"	100.43	14.46	--	--	--
	मुख्य शीर्ष "4220" सूचना और प्रचार पर पूंजीगत व्यय					
1	मशीनरी और उपकरण: फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)	1.10	1.10	**1.08**	98.18%	98.18%
2	अन्य खंड: फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)	24.66	24.66	**24.66**	100.00%	100.00%
3	सचिवालय	2.00	21.19	**5.39**	269.50%	25.43%
4	संबंधित कार्यालय	8.22	10.73	**10.53**	128.10%	98.13%
5	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र	2.85	1.76	**1.74**	61.05%	98.86%
6	एनीमेशन, विज़ुअल इफ़ेक्ट, गेमिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र	0.00	1.70	**1.70**	0.00%	100.00%
7	पीआईबी के राष्ट्रीय प्रेस केंद्र और मिनी मीडिया केंद्र की स्थापना	0.01	0.21	**0.00**	0.00%	0.00%
	कुल मुख्य शीर्ष "4220"	**38.84**	**61.35**	**45.10**	**116.11%**	**73.51%**
	अनुदान के अंतर्गत अभ्यर्पण या निकासी	--	**133.26**	--	--	--
	कुल सूचना और प्रसारण मंत्रालय	**4342.55**	**4629.58**	**4306.78**	**99.17%**	**93.02%**

प्राप्तियां (क्रेडिट)	राशि	राशि संवितरण (डीआर)	राशि
भारत की समेकित निधि		भारत की समेकित निधि	
I. राजस्व		I. राजस्व	
1. कर राजस्व	47.11	सामान्य सेवाएँ	1084.36
2. गैर कर राजस्व	1150.96	सामाजिक सेवाएँ	4552.28
(क) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	0.50	आर्थिक सेवाएँ	144.29
(ख) अन्य प्राप्तियां	1150.46		
II. पूंजी प्राप्तियां		II. पूंजी	
(क) ऋण वसूली	0.52	पूंजीगत व्यय	
		सामाजिक सेवाएं	45.10
		ऋण और अग्रिम	0.51
कुल सी.एफ.आई. (**I+II)**	**1198.59**	कुल सी.एफ.आई. (**I+II)**	**5826.56**
लोक लेखा		लोक लेखा	
भविष्य निधि	414.23	भविष्य निधि	851.33
अवधि एवं अग्रिम	173.52	अवधि एवं अग्रिम	201.96
धनप्रेषण, आरक्षित निधि उचंत एवं विविध	6657.85	धनप्रेषण, आरक्षित निधि उचंत एवं विविध	1564.34
कुल लोक लेखा	**7245.60**	कुल लोक लेखा	**2617.63**
कुल प्राप्तियां	**8444.19**	कुल संवितरण	**8444.19**

(स्रोत: केंद्रीय लेनदेन विवरण *2024-25)*

(नोट: उपरोक्त तालिका में अन्य मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित समग्र अनुदानों से संबंधित आंकड़े शामिल हैं, जैसे पेंशन, सरकारी कर्मचारियों को ऋण, ब्याज भुगतान, आदि)

निधियों की प्राप्ति और संवितरण
(2024-25)

प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

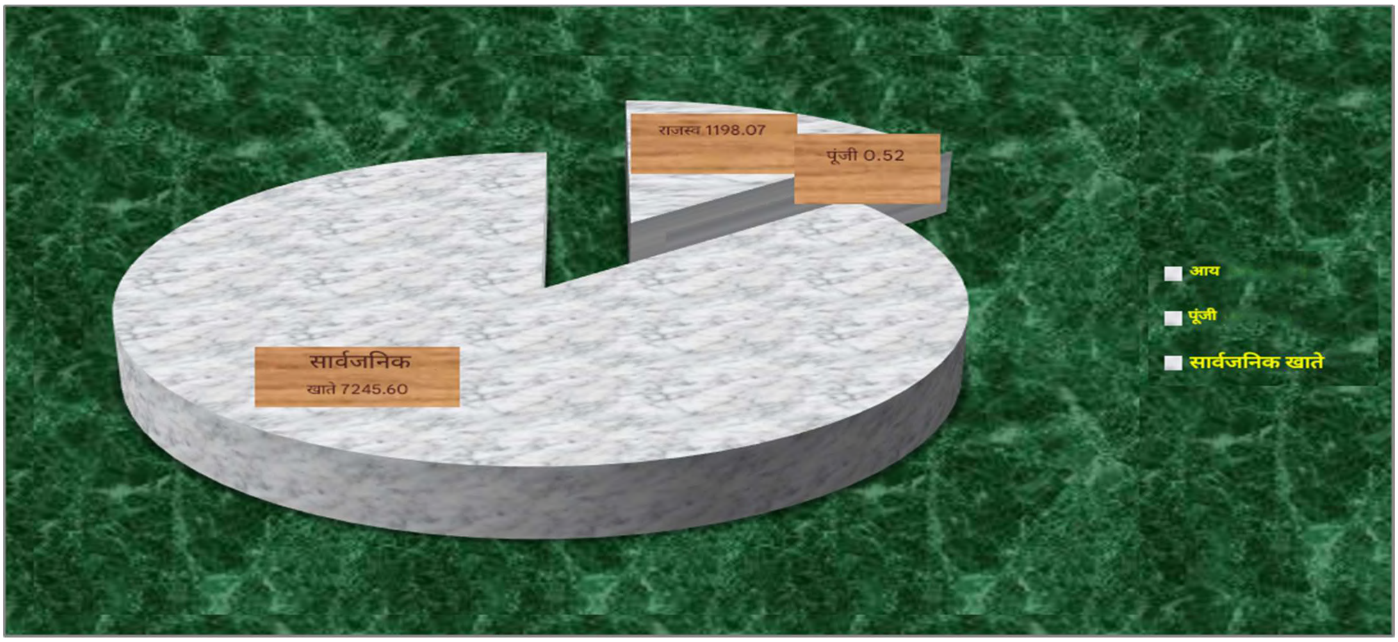

संवितरण

(₹ करोड़ में)

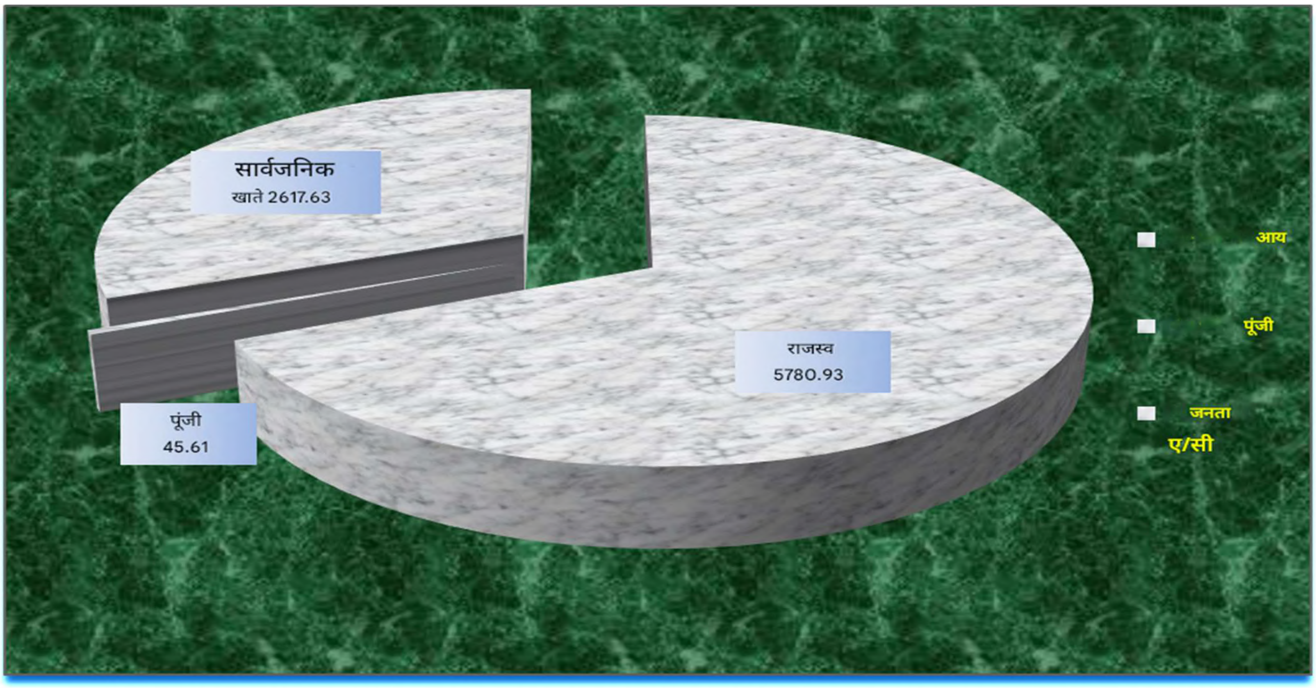

अध्याय- 5

अनुदान विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान संख्या 61 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट प्रदान किया गया।

अनुदान संख्या 61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है और मुख्य तौर पर तीन क्षेत्रों अर्थात सूचना क्षेत्र, फिल्म क्षेत्र और प्रसारण क्षेत्र में व्यय से संबंधित है।

वर्ष 2024-25 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कुल व्यय ₹4306.78 करोड़ रहा है।

कुल व्यय 4306.78 करोड़ रुपए

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट, वसूली और व्यय
वित्तीय वर्ष 2024-25

(करोड़ ₹ में)

बजट प्राक्कलन	अनुपूरक/ अतिरिक्तता	अनुपूरक के पश्चात कुल बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	विचलन*
4342.55	287.03	4629.58	4306.78	-322.80

* अनुपूरक के पश्चात कुल बजट अनुमान से तुलना।

वस्तु शीर्ष-वार बजट बनाम व्यय 2024-25
अनुदान संख्या 61 (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)

(करोड़ ₹ में)

वस्तु शीर्ष	लेखा का विवरण	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय
01	वेतन	217.00	202.23	196.26
02	मजदूरी	0.80	0.64	0.56
03	समयोपरि भत्ता	0.00	0.00	0.00
05	रिवाड्र्स	1.92	1.94	1.70
06	चिकित्सा व्यय	5.38	7.06	6.94
07	भत्ते	166.00	165.78	164.06
08	छुट्टी यात्रा रियायत	5.58	2.73	2.33
09	प्रशिक्षण व्यय	2.88	1.69	1.27
11	घरेलू यात्रा व्यय	6.70	7.44	8.10
12	विदेश यात्रा व्यय	0.82	0.81	1.10
13	कार्यालय व्यय	54.57	49.56	45.17
14	किराया, दरें और कर	12.55	11.33	11.34
15	रॉयल्टी	1.00	0.85	0.85
16	प्रकाशन	11.64	10.80	9.53
18	अन्यों के लिए किराया	5.01	5.80	5.38
19	डिजिटल उपकरण	6.48	5.53	5.19
20	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	0.00
21	आपूर्ति और सामग्री	2.02	1.49	1.24
24	ईंधन और स्नेहक	1.38	0.93	0.71
26	विज्ञापन और प्रचार	144.08	161.77	162.29
27	लघु कार्य	6.10	5.89	5.95
28	पेशेवर सेवाएँ	38.38	49.27	47.84
29	मरम्मत और रखरखाव	8.20	7.74	7.27
31	सहायता अनुदान-सामान्य	464.96	520.93	440.23
32	योगदान	0.34	0.34	0.33
35	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	547.30	832.47	650.67
36	सहायता अनुदान-वेतन	2586.81	2504.80	2482.04
40	अवॉर्ड्स और पुरस्कार	0.37	0.15	0.11

49	अन्य राजस्व व्यय	5.42	5.12	3.21
50	अन्य शुल्क	0.00	0.00	0.00
51	मोटर वाहन	0.24	0.40	0.25
52	मशीनरी और उपकरण	3.36	3.58	3.48
53	मुख्य कार्य	0.00	0.00	0.00
54	निवेश	0.00	1.70	1.70
71	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण	9.71	12.99	12.89
72	भवन और फिक्स्चर	24.67	41.27	24.66
74	फर्नीचर और फिक्स्चर	0.84	1.90	2.11
77	अन्य अचल संपत्तियाँ	0.02	0.02	0.02
	कुल	**4342.55**	**4626.71**	**4306.78**

अध्याय-6 (क)
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्तियों का विश्लेषण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय गैर-कर प्राप्तियों के मामले में राजस्व अर्जित करने वाला मंत्रालय है। मंत्रालय की प्राप्तियों में केवल कर-राजस्व, गैर-कर राजस्व, ऋण वसूली आदि शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के लिए मंत्रालय की कुल प्राप्ति ₹1198.59 करोड़ थी।

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्तियों का रुझान

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कर राजस्व	30.54	36.64	43.19	48.97	47.11
गैर-कर राजस्व	2091.93	1964.69	1358.35	1165.39	1151.48
ऋण वसूली (पूंजी प्राप्तियां)	0.67	0.47	0.41	0.54	0.52
कुल	**2123.14**	**2001.80**	**1401.95**	**1214.90**	**1198.59**

(स्रोत: केंद्रीय लेनदेन का विवरण)

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्तियों का ग्राफिकल विश्लेषण

(करोड़ ₹ में)

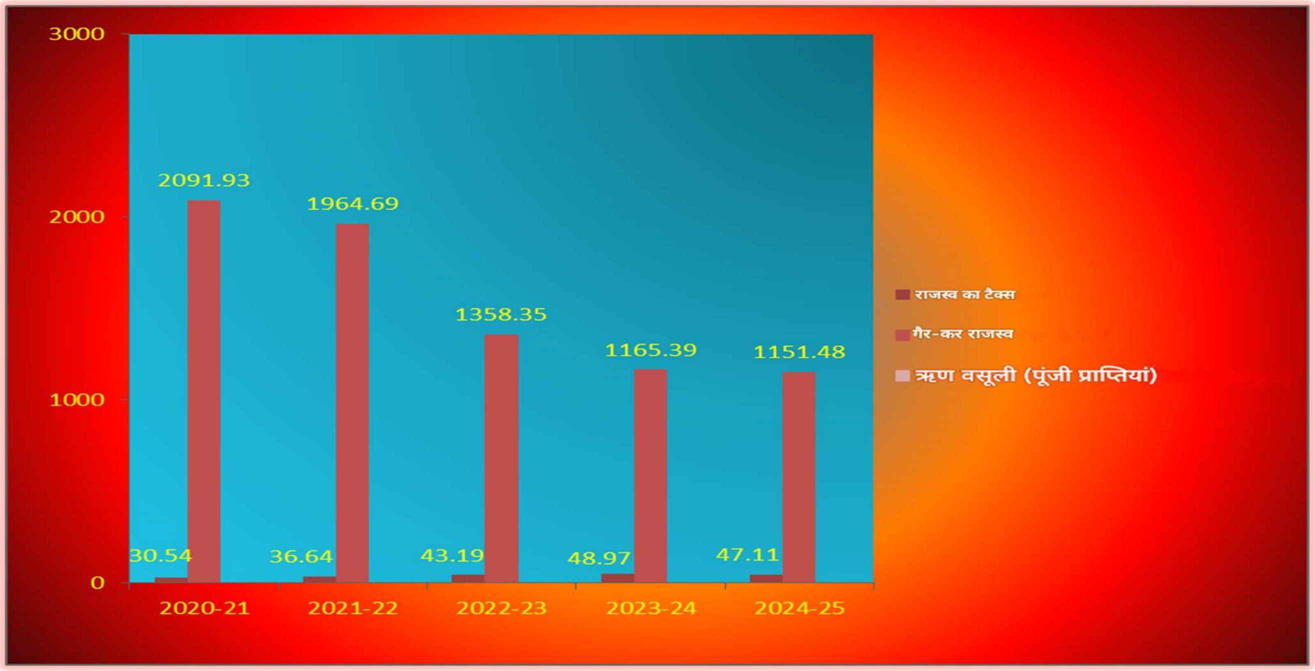

वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार है: -

(करोड़ ₹ में)

क.	कर राजस्व	
0021	निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	47.11
	कुल कर राजस्व	**47.11**
ख.	गैर-कर राजस्व	
0049	ब्याज प्राप्तियां	0.50
0050	लाभांश और लाभ	0.00
0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	0.02
0071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान और वसूली	136.04
0075	विविध सामान्य सेवाएँ	0.65
0202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	14.29
0210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	6.80
0216	आवास	1.85
0220	सूचना एवं प्रचार	35.72
0221	प्रसारण	955.09
	कुल गैर-कर राजस्व	**1151.48**
ग.	ऋण एवं अग्रिम (पूंजी प्राप्तियां)	
7610	सरकारी कार्मिक आदि को कुल ऋण	0.52
	सरकारी कार्मिक ऋण आदि	**0.52**
	कुल प्राप्ति	1198.59

स्रोत:- केंद्रीय लेनदेन विवरण

2024-25)

वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्तियों का ग्राफिकल विश्लेषण

(करोड़ ₹ में)

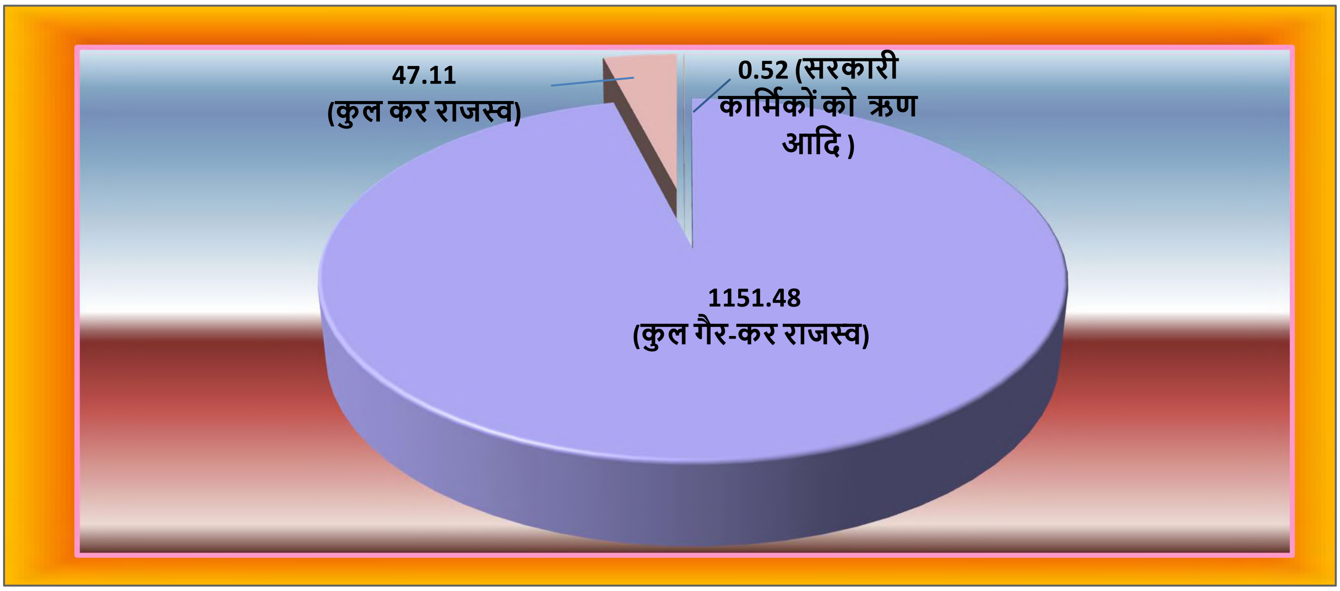

अध्याय-6 (ख)

पिछले पांच वर्षों के दौरान गैर-कर प्राप्तियों का विवरण (एनटीआर)

(करोड़ ₹ में)

- नोट: उपरोक्त आंकड़े पेंशन और छुट्टी अंशदान के लिए अंशदान और वसूली, लाइसेंस शुल्क और सीजीएचएस अंशदान के रूप में प्राप्त राशि को छोड़कर हैं तथा इसमें केवल सूचना और प्रचार, प्रसारण और फिल्म क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त एनटीआर शामिल है।
- वित्त वर्ष 2020-21 के वास्तविक आंकड़ों में 1.18 करोड़ रुपये की कटौती रिफंड को शामिल नहीं किया गया है।
- * प्राप्ति में काफी कमी आई है.
- ** जिसमें माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 28.06.2021 के निर्देशों के अनुसार सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड को ₹53.39 करोड़ की बोली राशि की वापसी का प्रभाव भी शामिल है।

लेखा शीर्ष	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक
0202 – शिक्षा खेल कला और संस्कृति (क)	**15.70**	**15.20**	**8.47**	**15.70**	**7.00**	**12.54**	**12.00**	**14.50**	**15.15**	**15.00**	**14.50**	**15.13**	**15.00**	**15.50**	**14.29**
0202.04.103 – सिनेमैटोग्राफिक नियमों से प्राप्तियां	15.50	15.00	8.46	15.50	7.00	12.54	12.00	14.50	15.15	15.00	14.50	15.13	15.00	15.50	14.29
0202.04.800 – अन्य प्राप्तियां	0.20	0.20	0.01	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0220 – सूचना और प्रचार (ख)	**47.55**	**55.33**	**139.42**	**44.55**	**22.38**	**35.29**	**33.28**	**29.23**	**67.34**	**45.53**	**44.31**	**37.57**	**43.65**	**36.95**	**35.06**
0220.60.106 – सीबीसी (पूर्ववर्ती बीओसी) से प्राप्तियां	2.02	2.00	0.22	2.02	1.60	0.04	1.75	1.75	0.11	1.9	1.9	0.00	1.90	0.25	1.16
0220.01.102 – फ़िल्मों से प्राप्तियां	2.00	10.00	1.60	2.00	0.25	1.08	1.00	0.65	0.87	0.65	-	0.00	0.00	0.00	0.00
0220.01.800 – अन्य प्राप्तियां	10.50	10.50	0.98	7.50	1.50	1.63	7.50	6.60	5.25	6.60	5.00	1.81	5.00	2.00	0.00
0220.01.801– अनुदान प्राप्तकर्ता से अव्ययित शेष राशि पर ब्याज या अन्य आय	-	-	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.39	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	0.01
0220.60.105 – सामुदायिक रेडियो और टेलीविजन से प्राप्तियां	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.01	0.05	0.02	0.03	0.04
0220.60.112 – रोजगार समाचार	25.00	25.00	9.07	25.00	8.00	13.85	10.00	13.50	11.02	11.12	8.00	9.09	8.00	9.00	7.87
0220.60.113 – प्रकाशन से प्राप्तियां	7.00	7.00	12.41	7.00	10.00	17.48	12.00	5.66	47.32	24.23	24.23	20.84	24.23	20.00	25.43
0220.60.800 – अन्य प्राप्तियां	1.00	0.80	1.58	1.00	1.00	1.18	1.00	1.00	2.34	1.00	4.50	5.11	4.50	4.00	0.55
0221–प्रसारण (ग)	**1962.25**	**1371.25**	**1788.54**	**1164.75**	**1685.02**	**1761.25**	**1035.02**	**1075.11**	**1123.18**	**975.05**	**975.01**	**972.93**	**951.01**	**947.71**	**955.08**
0221.02.104 – डीटीएच ऑपरेटर (सी) से लाइसेंस शुल्क*	1100.00	1100.00	1559.27	900.00	1500.00	1581.41	800.00	840.00	859.96	740.00	720.00	691.98	695.00	661.69	648.73
0221.02.103 – वाणिज्यिक सेवाएँ (टीवी)	100.00	90.00	72.09	85.00	85.00	83.00	85.00	85.00	84.12	85.00	85.00	94.14	86.00	86.00	110.06
0221.01.800 – अन्य प्राप्तियां	0.25	0.25	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.11	0.11	0.05	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
0221.01.102 – वाणिज्यिक सेवाएँ (एफएम)	762.00	181.00	155.09	179.70	100.00	**96.61****	150.00	150.00	178.99	150.00	170.00	186.80	170.00	200.00	196.28
कुल (क) + (ख) + (ग)	**2186.63**	**1602.91**	**1936.43**	**1225.00**	**1714.40**	**1809.08**	**1080.30**	**1118.80**	**1205.67**	**1035.58**	**1033.82**	**1025.63**	**1173.08**	**1160.93**	**1004.43**

अध्याय – 7 (क)
व्यय का विश्लेषण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का 2024-25 के लिए कुल बजट ₹4629.58 करोड़ (राजस्व और पूंजीगत) था। राजस्व बजट ₹4567.71 करोड़ और पूंजी ₹61.87 करोड़ था। इस बजट की तुलना में वास्तविक व्यय ₹4306.78 करोड़ (राजस्व पक्ष पर ₹4261.68 करोड़ और पूंजी पक्ष पर ₹45.10 करोड़) था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यय की प्रवृत्ति

(करोड़ ₹ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल बजट प्राक्कलन	**4375.21**	**4079.71**	**4182.01**	**4700.05**	**4629.58**
वास्तविक व्यय (राजस्व खंड)	3374.12	3707.90	3998.48	4276.68	4261.68
वास्तविक व्यय (पूंजी खंड)	6.32	21.09	25.65	37.55	45.10
कुल वास्तविक व्यय (राजस्व और पूंजी)	**3380.44**	**3728.99**	**4024.13**	**4314.24**	**4306.78**

(स्रोत: विनियोग लेखा 2024-25)

पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल बजट प्राक्कलन और वास्तविक व्यय की ग्राफिकल प्रस्तुति

(₹ करोड़ में)

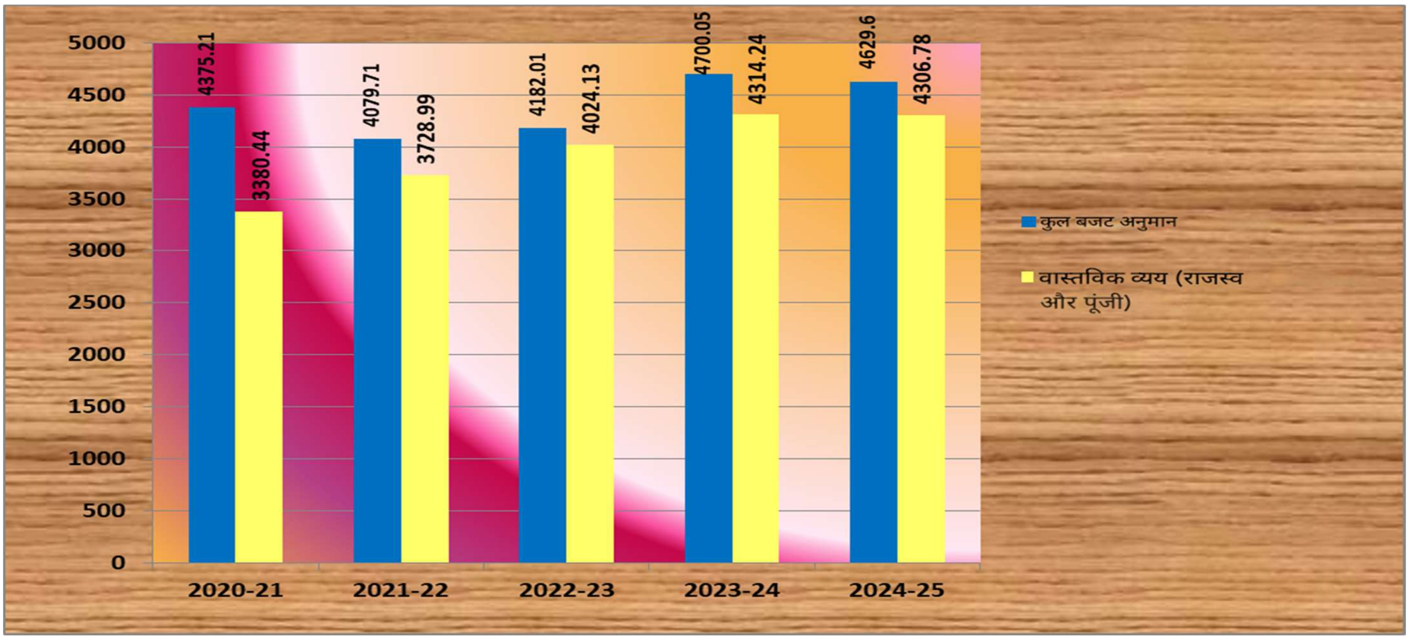

पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व और पूंजीगत व्यय का ग्राफिकल प्रस्तुति

(करोड़ ₹ में)

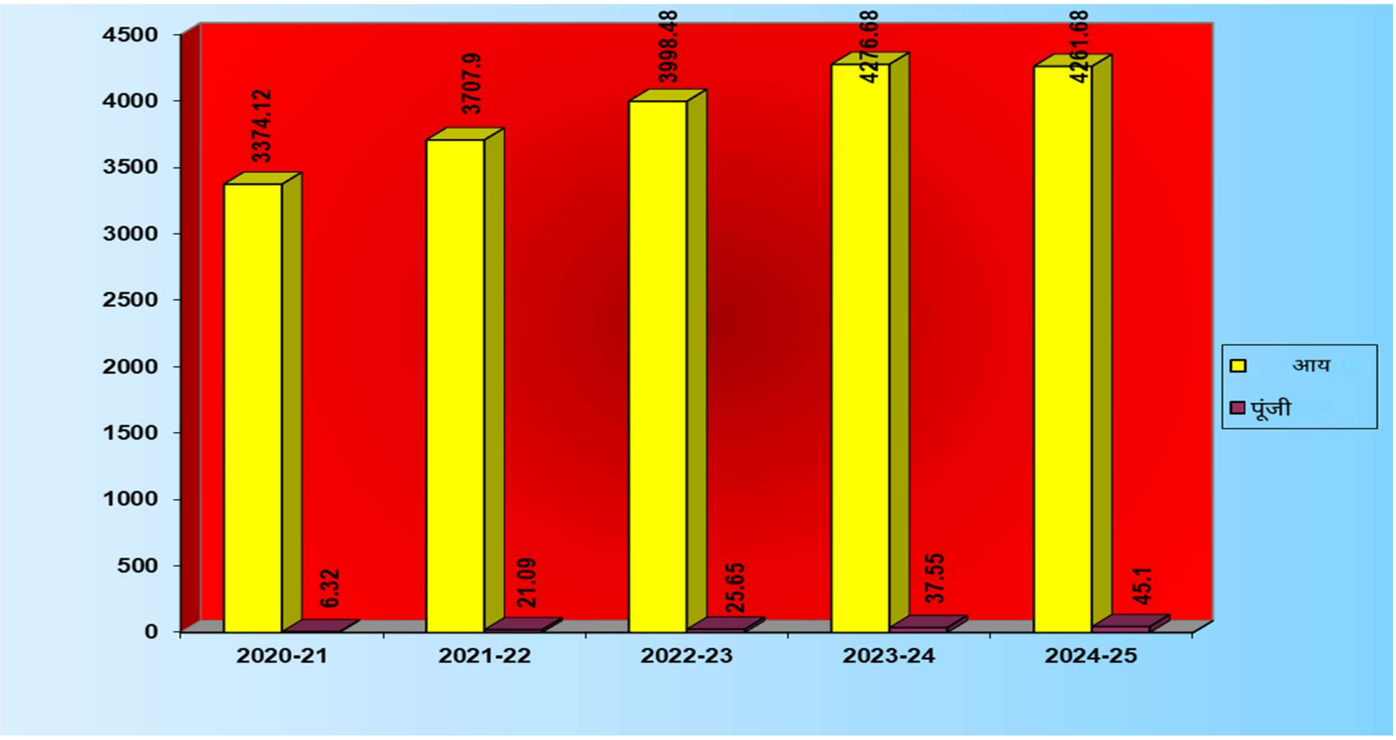

व्यय के सेक्टोरल विश्लेषण की प्रवृत्ति (2024-25)

(करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष सेक्टर	2022-23	2023-24	2024-25
सचिवालय	106.40	105.51	115.17
फिल्म	333.27	535.01	506.01
सूचना	698.13	756.16	1022.12
प्रसारण	2886.33	2917.56	2663.48
कुल	**4024.13**	**4314.24**	**4306.78**

अनुदान संख्या 61 के लिए 2024-25 के दौरान व्यय का मासिक प्रवाह

(करोड़ ₹ में)

माह	कुल व्यय
अप्रैल, 2024	954.63
मई, 2024	199.06
जून, 2024	126.40
जुलाई, 2024	257.24
अगस्त, 2024	512.47
सितंबर, 2024	100.15
अक्टूबर, 2024	749.80
नवंबर, 2024	103.03
दिसंबर, 2024	149.68
जनवरी, 2025	264.02
फरवरी, 2025	255.31
मार्च, 2025	634.38
कुल	**4306.78**

(स्रोत:- ई-लेखा)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में व्यय का शीर्ष-वार तुलनात्मक अध्ययन

(करोड़ ₹ में)

क्र.स.	मुख्य शीर्ष	2024-25	प्रभार/दत्तमत
1.	2251 – सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	109.48	दत्तमत
2.	2205 – कला और संस्कृति	37.59	दत्तमत
3.	2220 – सूचना और प्रचार	1473.14	दत्तमत
4.	2221 – प्रसारण	2641.46	दत्तमत
5.	4220 – सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	45.10	दत्तमत
	कुल (राजस्व और पूंजीगत) व्यय	**4306.78**	**दत्तमत**

(स्रोत:- विनियोग लेखे एवं एससीटी 2024-25)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों को सहायता अनुदान

(करोड़ ₹ में)

एजेंसी का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
	स्कीम	अन्य केन्द्रीय व्यय	स्कीम	अन्य केन्द्रीय व्यय	स्कीम	अन्य केन्द्रीय व्यय
भारतीय प्रेस परिषद	-	6.06	-	9.27	-	9.20
आई.आई.एम.सी.	-	29.22	-	35.90	-	83.31
बाल चित्र समिति	-	2.11	-	0.00	-	0.00
एस.आर.एफ.टी.आई. कोलकाता	-	60.10	-	59.17	-	53.00
एफ.टी.आई.आई. पुणे	-	68.53	-	70.64	-	73.11
प्रसार भारती	159.91	2710.82	345.38	2554.41	213.69	2427.77
आईआईसीटी (एनसीओई एवीजीसी एक्सआर)	-	-	-	-	-	392.85
एनएफडीसी	-	-	-	-	-	18.00

(स्रोत:- ई-लेखा/पीएफएमएस)

बजट प्राक्कलन (बी.ई.) संशोधित प्राक्कलन (आर.ई.) का विवरण और पिछले पांच वर्षों के लिए बी.ई., आर.ई. के संदर्भ में व्यय की प्रतिशतता सहित वास्तविक व्यय

2020-21

स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	आर.ई.	वास्तविक व्यय	बी.ई. के संदर्भ में % व्यय	आर.ई. के संदर्भ में % व्यय
स्कीम	740.00	346.73	333.34	45.05%	96.14%
गैर-स्कीम	3635.21	3303.52	3047.10	83.82%	92.24%
कुल	**4375.21**	**3650.25**	**3380.44**	**77.26%**	**92.61%**

2021-22

स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	आर.ई.	वास्तविक व्यय	बी.ई. के संदर्भ में % व्यय	आर.ई. के संदर्भ में % व्यय
स्कीम	632.05	450.00	452.66	71.62%	100.59%
गैर-स्कीम	3439.18	3314.69	3276.33	95.26%	98.84%
कुल	**4071.23**	**3764.69**	**3728.99**	**91.60%**	**99.05%**

2022-23

स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	आर.ई.	वास्तविक व्यय	बी.ई. के संदर्भ में % व्यय	आर.ई. के संदर्भ में % व्यय
स्कीम	630.00	639.00	569.68	90.43%	89.15%
गैर-स्कीम	3350.77	3543.01	3454.45	103.09%	97.50%
कुल	**3980.77**	**4182.01**	**4024.13**	**101.09%**	**96.23%**

2023-24

स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	आर.ई.	वास्तविक व्यय	बी.ई. के संदर्भ में % व्यय	आर.ई. के संदर्भ में % व्यय
स्कीम	1105.00	1027.28	1037.02	93.85%	100.95%
गैर-स्कीम	3587.00	3422.48	3277.21	91.36%	95.76%
कुल	**4692.00**	**4449.76**	**4314.24**	**91.95%**	**96.95%**

2024-25

स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	आर.ई.	वास्तविक व्यय	बी.ई. के संदर्भ में % व्यय	आर.ई. के संदर्भ में % व्यय
स्कीम	1004.31	984.21	713.29	71.02%	72.47%
गैर-स्कीम	3338.24	3642.50	3593.49	107.65%	98.65%
कुल	**4342.55**	**4626.71**	**4306.78**	**99.18%**	**93.09%**

अध्याय – 7 (ग)

पिछले पांच वर्षों के लिए बी.ई. के संदर्भ में प्रतिशतता के साथ बजट प्राक्कलन (बी.ई.) और व्यय वार तिमाही विवरण

(करोड़ ₹ में)

2020-21									
स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	पहली तिमाही में व्यय.	दूसरी तिमाही में व्यय.	तीसरी तिमाही में व्यय.	चौथी तिमाही में व्यय	बी.ई. की तुलना में पहली तिमाही में % व्यय	बी.ई. की तुलना में दूसरी तिमाही में % व्यय.	तीसरी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय.	चौथी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय..
स्कीम	740.00	89.72	47.12	138.54	57.96	12.12%	6.37%	18.72%	7.83%
गैर-स्कीम	3635.21	923.83	747.64	592.62	783.01	25.41%	20.57%	16.30%	21.54%
कुल	**4375.21**	**1013.55**	**794.76**	**731.16**	**840.97**	**23.17%**	**18.17%**	**16.71%**	**19.22%**
2021-22									
स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	पहली तिमाही में व्यय.	दूसरी तिमाही में व्यय.	तीसरी तिमाही में व्यय.	चौथी तिमाही में व्यय	बी.ई. की तुलना में पहली तिमाही में % व्यय	बी.ई. की तुलना में दूसरी तिमाही में % व्यय.	तीसरी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय.	चौथी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय..
स्कीम	632.05	99.26	41.38	117.38	194.64	15.70%	6.55%	18.57%	30.80%
गैर-स्कीम	3439.18	1003.74	754.36	890.56	627.67	29.19%	21.93%	25.89%	18.25%
कुल	**4071.23**	**1103.00**	**795.74**	**1007.94**	**822.31**	**27.09%**	**19.55%**	**24.76%**	**20.20%**
2022-23									
स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	पहली तिमाही में व्यय.	दूसरी तिमाही में व्यय.	तीसरी तिमाही में व्यय.	चौथी तिमाही में व्यय	बी.ई. की तुलना में पहली तिमाही में % व्यय	बी.ई. की तुलना में दूसरी तिमाही में % व्यय.	तीसरी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय.	चौथी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय..
स्कीम	630.00	132.45	71.34	143.20	222.69	21.02%	11.32%	22.73%	35.35%
गैर-स्कीम	3350.77	1120.17	837.78	858.27	638.22	33.43%	25.00%	25.61%	19.05%
कुल	**3980.77**	**1252.62**	**909.12**	**1001.47**	**860.91**	**31.47%**	**22.84%**	**25.16%**	**21.63%**
2023-24									
स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	पहली तिमाही में व्यय.	दूसरी तिमाही में व्यय.	तीसरी तिमाही में व्यय.	चौथी तिमाही में व्यय	बी.ई. की तुलना में पहली तिमाही में % व्यय	बी.ई. की तुलना में दूसरी तिमाही में % व्यय.	तीसरी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय.	चौथी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय..
स्कीम	1105.00	252.80	119.61	199.34	465.27	22.88%	10.82%	18.04%	42.11%
गैर-स्कीम	3587.00	1103.71	786.94	854.63	531.93	30.77%	21.94%	23.83%	14.83%
कुल	**4692.00**	**1356.51**	**906.55**	**1053.97**	**997.20**	**28.11%**	**19.32%**	**22.46%**	**21.25%**
2024-25									
स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	पहली तिमाही में व्यय.	दूसरी तिमाही में व्यय.	तीसरी तिमाही में व्यय.	चौथी तिमाही में व्यय	बी.ई. की तुलना में पहली तिमाही में % व्यय	बी.ई. की तुलना में दूसरी तिमाही में % व्यय.	तीसरी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय.	चौथी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय..
स्कीम	1004.31	227.69	82.91	190.57	212.12	22.67%	8.26%	18.98%	21.12%
गैर-स्कीम	3338.24	1052.40	786.95	811.94	941.59	31.52%	23.56%	24.32%	28.20%
कुल	**4342.55**	**1280.09**	**869.86**	**1002.51**	**1153.71**	**29.48%**	**20.03%**	**23.08%**	**26.57%**

अध्याय – 7(घ)

एनईआर के लिए स्कीम परिव्यय

केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अपने वार्षिक योजना बजट का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास घाटे को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक साहसिक कदम है। 1998-99 से हर साल केंद्र सरकार के 52 मंत्रालयों के वार्षिक योजना बजट का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र में खर्च के लिए निर्धारित किया जाता है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत का 7.9% (3287263 वर्ग किमी में से 2,62,179 वर्ग किमी) भूभाग और 3.76% (121 करोड़ में से 4.55 करोड़) जनसंख्या है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों का एकमुश्त प्रावधान राजस्व व्यय के लिए मुख्य शीर्ष '2552' और पूंजीगत व्यय के मामले में '4552' के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इन्हें शुरू में संबंधित मंत्रालय/विभाग के बजट अनुमान विवरण (एसबीई) और अनुदानों की विस्तृत मांगों में एकमुश्त प्रावधान के रूप में दिखाया जाता है। ऐसी राशियों को बाद में व्यय करने के उद्देश्य से लेखाओं के कार्यात्मक शीर्षों में पुनः विनियोजित किया जाता है। मुख्य शीर्ष '2552' और '4552' से एकमुश्त प्रावधान से पुनर्विनियोजन संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिवों के अनुमोदन से किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को ₹138.31 करोड़ की राशि जारी की है। विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्कीमों/परियोजनाओं के नाम (सभी स्कीमें/परियोजनाएं)	वित्तीय प्रगति/पूर्णता पिछले 3 वित्त वर्षों में योजना/परियोजनावार आवंटन (बीई) पिछले 3 वित्त वर्षों में योजना/परियोजनावार व्यय (करोड़ रुपये में और प्रतिशत में))								
		2022-23			2023-24			2024-25		
		बीई	व्यय	%	बीई	व्यय	%	बीई	व्यय	%
1	डीसीआईडी	18.68	9.38	50.21%	20.00	17.52	87.60%	14.93	12.91	86.47%
2	डीसीडीएफसी	13.00	12.62	97.08%	30.00	35.07	116.90%	35.00	23.00	65.71%
3	भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता	0.32	0.24	75.00%	0.50	0.13	26.00%	0.50	0.69	138.00%
4	बीआईएनडी	31.00	3.00	9.68%	60.00	34.08	56.80%	50.00	38.00	76.00%

अध्याय–8

लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभागीय लेखांकन संगठन में लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा लेखांकन कार्य के कम्प्यूटरीकरण के साथ शुरू हुईI मासिक समेकित खाते के कम्प्यूटरीकरण के लिए वेतन और लेखा कार्यालयों में कॉम्पैक्ट नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था। इस मंत्रालय में कॉम्पैक्ट नामक सॉफ्टवेयर पर सभी पीएओ, वाउचर स्तर का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा था। प्री-चेक, चेक लेखन, चेक समीक्षा, स्क्रॉल, ट्रांसफर प्रविष्टियां और समेकन जैसे सभी चरण इस पैकेज का उपयोग करके किए जा रहे थे। नवंबर, 2008 से प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा ऑनलाइन

स्वीकृति के साथ पुट थ्रू स्टेटमेंट के पीएओ-वार समायोजन के बाद मासिक लेखा सीजीए कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे विंडो आधारित एप्लिकेशन का उपयोग शीर्ष-वार विनियोग लेखे, संघ सरकार के वित्त लेखे (सिविल) की सामग्री और मंत्रालय को प्रस्तुत करने और अन्य विविध उद्देश्यों के लिए मासिक व्यय और रसीद विवरण तैयार करने के लिए भी किया जाता है।

इम्प्रूव, कॉम्पैक्ट से लेकर पीएफएमएस तक, लेखांकन में आईटी पहल अभूतपूर्व रही है:

मौजूदा इम्प्रूव सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए वेतन और लेखा कार्यालय स्तर पर उपयोग के लिए एक बहु उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर शामिल किया गया था। यह सॉफ्टवेयर सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों में काम को कम्प्यूटरीकृत करने की दृष्टि से विकसित किया गया था।

ई-पेमेंट पर पहल

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में ई-पेमेंट प्रणाली को 2011 से चरण-II के तहत सफलतापूर्वक लागू किया गया था।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की शुरुआत पूर्ववर्ती योजना आयोग की सीपीएसएमएस नामक योजना स्कीम के रूप में 2008-09 में चार राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम में चार प्रमुख स्कीमों जैसे एमजीएनआरईजीएस, एनआरएचएम, एसएसए और पीएमजीएसवाई के लिए पायलट के रूप में हुई थी। मंत्रालयों/विभागों में नेटवर्क स्थापित करने के शुरुआती चरण के बाद, केंद्र, राज्य सरकारों और राज्य सरकारों की एजेंसियों के वित्तीय नेटवर्क को जोड़ने के लिए सीपीएसएमएस (पीएफएमएस) को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस स्कीम को पूर्ववर्ती योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय स्कीम की पहलों में शामिल किया गया था। वर्तमान में पीएफएमएस वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की योजना है और इसे पूरे देश में लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

2.वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिनांक 15.07.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 66 (29) पीएफ-II/2016 के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री ने केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि समय पर धन जारी करने की सुविधा प्राप्त हो और अंतिम उपयोग की जानकारी सहित निधियों के उपयोग की निगरानी की जा सके। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का संचालन व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा किया जाता है, जो भुगतान प्रक्रिया, ट्रैकिंग, निगरानी, लेखा, समाधान और रिपोर्टिंग के लिए एक संपूर्ण समाधान है। यह योजना प्रबंधकों को रिलीज को ट्रैक करने और उनके अंतिम उपयोग की निगरानी के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।

3. जस्ट-इन-टाइम रिलीज को लागू करने और धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करने के निर्देशों का पालन करने के लिए, वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत सभी लेनदेन/भुगतान को कवर करने के लिए पीएफएमएस के उपयोग को सार्वभौमिक बनाने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं की संपूर्ण निगरानी के लिए पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) का अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है।

सभी आईए द्वारा पीएफएमएस के व्यय, अग्रिम और हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग आवश्यक है।कार्यान्वयन योजना में केंद्रीय क्षेत्र की संपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है:-

i. सभी केंद्रीय योजनाओं को मैप/कॉन्फ़िगर कर पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर लाना होगा।

ii. धन प्राप्त करने और उपयोग करने वाली सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को अनिवार्य रूप से पीएफएमएस पर पंजीकृत होना।
iii. भुगतान, अग्रिम और हस्तांतरण करने के लिए सभी पंजीकृत एजेंसियों के लिए पीएफएमएस मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए।
iv. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में व्यय करने वाली सभी विभागीय एजेंसियों को पंजीकरण करना होगा और अनिवार्य रूप से पीएफएमएस मॉड्यूल का उपयोग करना होगा।
v. सभी अनुदान प्राप्त संस्थानों को केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान से भुगतान/हस्तांतरण/अग्रिम के लिए पीएफएमएस मॉड्यूल अपनाना होगा। इससे केंद्र सरकार से धन का दावा करने के लिए ऑनलाइन उपयोगिता प्रमाणपत्र तैयार करने में मदद मिलेगी।
vi. मंत्रालयों को अपने संबंधित सिस्टम/एप्लिकेशन को पीएफएमएस के साथ एकीकृत करने के लिए कार्रवाई करनी होगी।

4.पीएफएमएस (शिवाजी स्टेडियम, नई दिल्ली) की केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के पंजीकरण में सहायता करती है। इसके बाद, मंत्रालयों को विभागीय एजेंसियों के साथ-साथ अनुदान प्राप्त संस्थानों का समर्थन करने के लिए अपने स्वयं के संसाधन व्यक्तियों को तैनात/आवंटित करने की आवश्यकता होती है। पीएफएमएस के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए पदानुक्रम के सभी स्तरों पर कार्यान्वयन की सुविधा के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी और तकनीकी संसाधनों सहित संसाधनों के नए मूल्यांकन की आवश्यकता है।

5. मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए)/लेखा नियंत्रक (सीए) का यह कर्तव्य है कि वे संबंधित मंत्रालय के सचिव/वित्तीय सलाहकार के परामर्श से अपने संबंधित मंत्रालयों में पीएफएमएस को पूर्ण रूप से लागू करने की सुविधा के लिए एक कार्य योजना तैयार करें।

गैर कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी):

- गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) का उद्देश्य नागरिकों / कॉर्पोरेट / अन्य उपयोगकर्ताओं को भारत सरकार (जीओआई) को देय गैर-कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए वन-स्टॉप विंडो प्रदान करना है।
- भारत सरकार के गैर-कर राजस्व में प्राप्तियों का एक बड़ा समूह शामिल है, जिसे अलग-अलग विभागों/मंत्रालयों द्वारा एकत्र किया जाता है। मुख्य रूप से ये प्राप्तियां लाभांश, ब्याज प्राप्तियों, स्पेक्ट्रम शुल्क, आरटीआई आवेदन शुल्क, छात्रों द्वारा फॉर्म/पत्रिकाओं की खरीद और नागरिकों/कॉर्पोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए कई अन्य भुगतानों से आती हैं।
- पूरी तरह से सुरक्षित आईटी वातावरण में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, आम उपयोगकर्ताओं/ नागरिकों को ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंकों में जाने और फिर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की परेशानी से छुटकारा दिलाएगा। यह इन उपकरणों को सरकारी खाते में जमा करने में होने वाली देरी से बचने में भी मदद करता है और साथ ही इन उपकरणों को बैंक खातों में देरी से जमा करने की अवांछनीय कार्य पद्धतियों को भी समाप्त करता है।
- एनटीआरपी इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड जैसी ऑनलाइन भुगतान प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारदर्शी वातावरण में त्वरित भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एनटीआर पोर्टल दिनांक 1 नवंबर 2016 से कार्यात्मक है।
- वित्तीय वर्ष (2024-25) में मंत्रालय के गैर-कर राजस्व का संग्रह एनटीआर ई-पोर्टल पर भारतकोश (https://bhartkosh.gov.in/) के माध्यम से **1012.39 करोड़ रुपये** था।
  एनटीआरपी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न वेबसाइट लिंक http://cga.nic.in//Page/FAQs.aspx पर उपलब्ध हैं।

ट्रेजरी सिंगल अकाउंट्स (टीएसए) मॉड्यूल:

स्वायत्त निकायों को टीएसए प्रणाली के तहत लाने का उद्देश्य स्वायत्त निकायों (एबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों को सरकारी अनुदान'समय पर' जारी करने और पीएसबी में धन जमा करने/एबी/एजेंसियों के पास अप्रयुक्त अनुदान के संचय से बचना है। इससे एबी/एजेंसियों को एकमुश्त नकद हस्तांतरण से भी बचा जा सकेगा और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी खाते से निकासी की सुविधा भी मिलेगी।

टीएसए का उद्देश्य:

- निधि जारी करने के लिए 'जस्ट इन टाइम' सिद्धांत का उपयोग करके स्वायत्त निकायों में धन प्रवाह की दक्षता को बढ़ाना और इस तरह भारत सरकार में बेहतर नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- उधार की मात्रा कम करके सरकार के ब्याज के बोझ को कम करना।
- सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों को जारी की गई धनराशि को उनके बैंक खातों में जमा होने से बचाना।

पिछले वर्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय के स्वायत निकाय यानी प्रसार भारती में से एक में टीएसए प्रणाली लागू की गई थी तथा शेष चार स्वायत्तशासी संस्थाओं अर्थात एसआरएफटीआई, एफटीआईआई, आईआईएमसी तथा पीसीआई में भी वित्तीय वर्ष2022-23 के दौरान टीएसए लागू किया गया है। स्वायत्तशासी संस्थाओं के अलावा एनएफडीसी (एक पीएसयू) में भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान टीएसए लागू किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में टीएसए के कार्यान्वयन का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

स्कीम/स्वायत्त निकाय/पीएसयू	टीएसए के कार्यान्वयन की तिथि	2024-25 के दौरान टीएसए के माध्यम से हस्तांतरित कुल राशि	टीएसए के अंतर्गत अव्ययित शेष राशि वापसी 2024-25 की
सीएस स्कीम			
प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)	01.10.2020	276.02	62.33
फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)	01.01.2023	400.00	75.79
कुल		**676.02**	**138.12**
ओसीईई स्कीम			
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी)	01.11.2022	83.40	0.09
भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई)	01.11.2022	9.48	0.28
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई)	01.12.2022	73.11	0.00
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई)	01.12.2022	53.00	0.00
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	01.01.2023	18.00	0.00
प्रसार भारती (सैलरी)	01.10.2020	2448.81	21.04
कुल		**2685.80**	**21.41**

पीएफएमएस में इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रणाली मॉड्यूल:

श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने 46 वें सिविल अकाउंट्स डे के अवसर पर केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया। यह व्यापक पारदर्शिता लाने और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) और डिजिटल इंडिया इको-सिस्टम' का हिस्सा है। यह आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपना

दावा ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देकर पारदर्शिता, दक्षता और फेसलेस-पेपरलेस भुगतान प्रणाली को बढ़ाएगा, जिसे वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक किया जा सकेगा।

पीएफएमएस का ई-बिल मॉड्यूल सीजीए कार्यालय के पीएफएमएस में विकसित किया गया है। पीएफएमएस, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा सीजीए कार्यालय के माध्यम से प्रबंधित भुगतान प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका उपयोग केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के पीएओ/डीडीओ द्वारा किया जाता है। नई प्रणाली में संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया को कागज रहित अवधारणा में बदलने के लिए केंद्र सरकार प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) शामिल है। ई-बिल प्रणाली का उद्देश्य भुगतान चक्र समय को कम करना और सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है। यह एक नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण है जिसमें दावों को प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए जिम्मेदार दावेदारों और सरकारी अधिकारियों के बीच फिजिकल इंटरफ़ेस को न्यूनतम किया जाएगा।

इस मंत्रालय के देश भर में 14 पीएओ हैं, जिनमें से 08 पीएओ मुख्य लेखा नियंत्रक (सू और प्र) के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और 06 पीएओ प्रसार भारती के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। पीएफएमएस का ई-बिल मॉड्यूल वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीजीए कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यक्रम के अनुसार इस मंत्रालय के 09 पीएओ में शुरू किया गया था, जिसका विवरण निम्न रूप से है:

क्र.सं.	पीएओ का नाम	ई-बिल मॉड्यूल के कार्यान्वयन की तिथि	वित्त वर्ष2023-24के दौरान संसाधित सामान्य बिल			वित्त वर्ष2022-23 के दौरान ई-बिलिंग मोड के माध्यम से संसाधित बिल		
			कुल बिल	टी5 प्लस दिनों से भी कम समय में संसाधित बिल	टी5 प्लस दिनों में संसाधित बिल	कुल बिल	T5 प्लस दिनों से भी कम समय में संसाधित बिल हैं	T5 प्लस दिनों में संसाधित बिल
1	पीएओ (एमएस), दिल्ली	03.08.2022	3903	3844	59	7229	5808	1421
2	पीएओ (डीडी), कोलकाता	26.08.2022	3497	3496	01	461	450	11
3	पीएओ (एफडी), मुंबई	11.11.2022	2332	2323	09	1868	1858	10
4	पीएओ (डीडी), नागपुर	11.11.2022	533	533	0	124	124	0
5	पीएओ (सीबीसी), दिल्ली*	23.11.2022	5024	4996	28	9092	8450	642
6	पीएओ (डीडी), चेन्नई	22.02.2023	4294	4292	02	119	107	12
7	पीएओ (डीडी), गुवाहाटी (पीबी)	05.08.2022	1811	1808	03	1541	1501	40
8	पीएओ (आईआरएलए), दिल्ली	15.05.2023	2654	2645	09	341	341	0

9	पीएओ (एआईआर), लखनऊ	11.05.2023	1295	1262	33	752	739	13

* सीबीसी ने मीडिया से संबंधित बिलों (स्थापना बिलों के अलावा) के संबंध में ई-बिल को जनवरी से चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया है।

नोट :- पीएफएमएस का ई-बिल मॉड्यूल वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इस मंत्रालय के 02 पीएओ (पीएओ, आकाशवाणी, लखनऊ और पीएओ, आईआरएलए, नई दिल्ली) में भी शुरू किया गया है। प्रसार भारती के 05 पीएओ हैं जो किसी भी प्रतिष्ठान से संबंधित बिलों को संसाधित नहीं कर रहे हैं और केवल जीपीएफ और पेंशनरी लाभ से संबंधित बिलों को संसाधित कर रहे हैं। इसलिए, वर्तमान में ये 05 पीएओ ई-बिल प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी पात्र पीएओ (9) में ई-बिल कार्यान्वयन पूरा हो चुका है। यह मंत्रालय अब ई-बिल मोड के माध्यम से संसाधित बिलों का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करेगा।

आईआरएलए व्यवस्था और पीएओ की भूमिका:

1976 में सभी मंत्रालयों के लेखाओं के विभागीकरण के बाद अन्य मंत्रालयों के विभागीय लेखा कार्यालयों के साथ वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) अस्तित्व में आया। आईआरएलए प्रणाली (इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट) का विचार सभी सेवा और भुगतान संबंधी विवरणों को एक केंद्रीकृत प्रणाली में रखने के लिए लाया गया ताकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती की मीडिया यूनिटों के अधिकारी, जिनके पास अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व है, वे अपना वेतन आसानी से निकाल सकें। वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) पूरे भारत के विभिन्न शहरों में स्थित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया यूनिटों कार्यालयों और प्रसार भारती (दूरदर्शन और आकाशवाणी) के कार्यालयों में तैनात आईआरएलए अधिकारियों के सेवा और वेतन रिकॉर्ड का रखरखाव कर रहा है। यह कार्यालय लगभग 1300 सेवारत अधिकारियों को वेतन भुगतान वितरित करता है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार मंत्रालय के लगभग 11400 सेवानिवृत्त अधिकारियों को पेंशन लाभ के भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने के लिए भविष्य पोर्टल/पीएफएमएस की शुरुआत:

भारत में पेंशन प्रणालियों का कम्प्यूटरीकरण, पेंशन प्रबंधन में दक्षता, पारदर्शिता और सुगमता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य पोर्टल भारत सरकार द्वारा पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए पेंशन से संबंधित विभिन्न कार्यों को सरल और स्वचालित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य पेंशन के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को बढ़ाना है।

स्थापना संबंधी जानकारी :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों की स्थापना संख्या, बजटीय आवंटन और व्यय निम्नानुसार है :

प्रभाग/इकाई	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	बीई 2024-25 (₹ करोड़ में)	आरई 2024-25 (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय 2024-25 (₹ करोड़ में)
मुख्य सचिवालय एवं वेतन और लेखा कार्यालय	743	623	47.27	43.49	40.39

डीपीडी	464	193	14.54	12.80	12.47
सीबीएफसी	96	49	3.33	9.04	15.66
एनएमडब्ल्यू	41	12	1.00	1.05	1.05
पीआईबी	1011	642	48.18	42.31	40.94
आरएनआई	82	51	3.99	3.75	3.46
सीबीसी	2322	1353	85.00	82.50	81.98
ईएमएमसी	5	4	0.39	0.30	0.30
अधिशेष स्टाफ	176	176	13.30	6.99	12.52

पेंशन मामलों की स्थिति:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सभी वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा संसाधित पेंशन मामलों की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	पीएओ का नाम और पीएओ कोड	प्राप्त पेंशन मामले	निपटान किए गये पेंशन मामले
1	पीएओ (डीडी) नागपुर (029100)	59	58
2	पीएओ (डीडी) कोलकाता (028750)	13	13
3	पीएओ (आईआरएलए) (028062)	267	267
4	पीएओ (एमएस) (027667)	34	34
5	पीएओ सीबीसी (027973)	34	34
6	पीएओ (एफडी) मुंबई (028825)	156	127
7	पीएओ आकाशवाणी लखनऊ (028139)	85	85
8	पीएओ (दूरदर्शन) चेन्नई (028660)	136	131
9	पीएओ आकाशवाणी नई दिल्ली (027752)	280	277
10	पीएओ आकाशवाणी मुंबई (028233)	255	221
11	पीएओ आकाशवाणी कोलकाता (028438)	333	318
12	पीएओ आकाशवाणी चेन्नई {028554)	255	249
13	पीएओ (दूरदर्शन) नई दिल्ली (027886)	152	139
14	पीएओ (दूरदर्शन) गुवाहाटी (028875)	149	144
	कुल	**2208**	**2097**

नोटः इसमें पिछले वर्ष के लंबित पेंशन मामले और अनंतिम रूप से निपटाए गए मामले भी शामिल हैं।

पीएओ में पेंशन मामले प्राप्त करने की समयसीमा का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं	पीएओ का नाम/पीएओ कोड	प्राप्त मामलों की संख्या			
		सेवानिवृत्ति की तारीख से 4 माह पहले एचओओ से पीएओ को प्राप्त (जैसा कि पेंशन नियमों में निर्धारित है)	सेवानिवृत्ति की तारीख से एक माह पूर्व पीएओ में प्राप्त पेंशन मामले	सेवानिवृत्ति की तारीख से एक माह के भीतर पीएओ में प्राप्त पेंशन मामले	सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद पीएओ में प्राप्त पेंशन मामले
1	पीएओ (डीडीके) कोलकाता	2	5	3	3
2	पीएओ (डीडी) नागपुर	1	33	7	18

3	पीएओ (डीडी) चेन्नई	77	35	12	12
4	पीएओ (एआईआर) मुंबई	3	81	63	108
5	पीएओ (एआईआर) लखनऊ	2	28	36	19
6	पीएओ (एफडी) मुंबई	5	34	55	62
7	पीएओ (सीबीसी), नई दिल्ली	0	8	7	19
8	पीएओ (आईआरएलए) नई दिल्ली	0	3	127	137
9	पीएओ (एमएस) नई दिल्ली	0	12	22	0
10	पीएओ (एआईआर) चेन्नई	3	80	85	87
11	पीएओ (एआईआर) कोलकाता	0	35	65	233
12	पीएओ (एआईआर) नई दिल्ली	1	143	77	59
13	पीएओ (डीडी) गुवाहाटी	14	52	25	58
14	पीएओ (डीडी) नई दिल्ली	6	69	38	39
	कुल	114	618	622	854

नोटः पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने और पीपीओ जारी करने में देरी, पीएओ में पेंशन दस्तावेजों की देरी से प्राप्ति के कारण हुई।

अध्याय–9

महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (दिनांक 30.04.2025 तक)

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	डॉ. अजय एस. सिंह, मुख्य लेखा नियंत्रक	कमरा नं.744, 7वां तल 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23387231 011-23381763(एफ)
02.	श्री दीपक अरोड़ा, सीसीए के निजी सचिव	कमरा नं.748-ए, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23387231(टी) 011-23381763 (एफ) 09717664726
03.	श्री नवनीत कुमार, सीसीए के निजी सहायक	कमरा नं.744, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23381549(टी) 011-23381763 (एफ) 09718882225
04.	श्री जयवीर, एलडीसी	कमरा नंबर744, 7वां तल , 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23381549(टी) 011-23381763 (एफ)
05.	डॉ वीर ध्यानेश्वर तुकाराम, लेखा नियंत्रक	कमरा नं.540, 5वां तल, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-23381124 011-23381544
06.	श्री अमित पांडे, सीए के पीए	कमरा नंबर748-ए, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,	011-23381124 011-23381544 (एफ)

		नई दिल्ली-110001	08112402714
07.	श्री मनंजय कौशिक, वरि. ए.ओ (प्रशासन)	कमरा नंबर744-ए, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23380596 09868447893
08.	श्री राकेश शर्मा, वरि. ए.ओ., (बजट और लेखा)	कमरा नं.702, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23385646 011-23380263 (एफ) 09910806936
09.	श्री वीरेंद्र शर्मा, वरि. ए.ओ. (आंतरिक लेखापरीक्षा मुख्यालय)	कमरा नं.702, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23384279 09897640101
10.	श्री उत्तम कुमार यादव, एएओ (स्था.)	कमरा नंबर 703-ए, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23074286 (टी/एफ) 09717356352
11.	श्री उदित नारायण सिंह, एएओ (प्रशासन)	कमरा नंबर 703, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23074285 09717089807
12.	श्री विश्वनाथ शर्मा, एएओ (बी एंड ए)	कमरा नं. 702, 7वां तल 'ए' विंग, शास्त्री भवन,नई दिल्ली-110001	011-23380263 0 9782123751
13.	श्रीमती हिना,एएओ (बी एंड ए)	कमरा नं. 702, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,नई दिल्ली-110001	011-23380291 (टी/एफ) 09999553825
14.	श्री महेश कुमार, एएओ (आईएडब्ल्यू)	कमरा नं. 702, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,नई दिल्ली-110001	011-23384950 09650396601
15.	(रिक्त), एएओ (आईएडब्ल्यू)	कमरा नंबर 702, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,नई दिल्ली-110001	011-23384950
16.	श्री अनिल कुमार शर्मा एएओ (आईएडब्ल्यू)	कमरा नंबर 702, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23384950 09891526323
17.	श्री विकास गोयल एएओ (आईएडब्ल्यू)	कमरा नंबर 702, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23384950 08920309894

वेतन और लेखा कार्यालय (मुख्य सचिवालय), नई दिल्ली

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री राजेश कुमार, वरि. ए.ओ.	कमरा नं. 701, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23384793 09868447893
02.	सुश्री मोमोता देवी, एएओ	कमरा नं. 701, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23384793 09868149723
03.	श्री जय भारत, एएओ	कमरा नं. 701, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,नई दिल्ली-110001	011-23383542 (टी/एफ) 09711358572

वेतन और लेखा कार्यालय (सीबीसी आदि), नई दिल्ली

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	सुश्री निधि मल्होत्रा, वरि. ए.ओ.	कमरा नं.749, 7वां तल 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24364503 9811123507
02.	श्री मनीष श्रीवास्तव, वरि.एओ	कमरा नं.749, 7वां तल 'सी' विंग, सूचना भवन,नई दिल्ली-110003	011-24364503 9335802526
03.	श्री सुरेंद्र कमार, एएओ	कमरा नं.749, 7वां तल 'सी' विंग, सूचना भवन,नई दिल्ली-110003	011-24364501 8901272189
04.	श्री दीपू कुमार, एएओ	कमरा नं.749, 7वां तल 'सी' विंग, सूचना भवन,नई दिल्ली-110003	011-24364509 9891814026
05	श्री प्रांशू सिंह, एएओ	कमरा नं.749, 7वां तल 'सी' विंग, सूचना भवन,नई दिल्ली-110003	011-24364501 7290830383
06	श्री वैभव शाक्य, एएओ	कमरा नं.749, 7वां तल 'सी' विंग, सूचना भवन,नई दिल्ली-110003	011-24364509 09532997290

वेतन और लेखा कार्यालय (फिल्म प्रभाग), मुंबई

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री डी. सुतार, ए.ओ	24-जी, डॉ. देशमुख मार्ग, पेडर रोड, मुंबई-400026	022-23524728/23551391 9833153441
02.	श्रीमती प्रीति एम. बोरोले,एएओ	24-जी, डॉ. देशमुख मार्ग, पेडर रोड, मुंबई-400026	022-23551392 09869454688
03.	श्रीमती दिशा ओमर, एएओ	24-जी, डॉ. देशमुख मार्ग, पेडर रोड, मुंबई-400026	022-23551394 08076161048
04.	श्री नीरज कुमार, एएओ	24-जी, डॉ. देशमुख मार्ग, पेडर रोड, मुंबई-400026	022-23551394 07503530768

आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, मुंबई

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं

01.	रिक्त	24-जी, डॉ. देशमुख मार्ग, पेडर रोड, मुंबई-400026	022-23551390

वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए), नई दिल्ली

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री प्रीतम सिंह, वरि. ए.ओ.	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362240 9812036606
02.	श्री नरेंद्र कुमार सिंह, वरि. ए.ओ.	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24366303 9453578117
03.	श्रीमती. अंजना चोपड़ा, ए.ओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362287 09810158777
04.	श्री अशोक कुमार, वरि. ए.ओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24366303
05.	श्री दीपक भरद्वाज, एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362305 9999020182
06.	श्री उमेश कुमार शाह, एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362301 9958362490
07.	श्री चंदन गोपाल भार्गव, एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362302 9560470563
08.	श्री पवित्रा प्रताप सिंह देवड़ा, एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003,	011-24362306 9868475195
09.	श्रीमती पिंकी एच मिश्रा, एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24366304 8527926371
10.	श्री संजय सिंह, एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362240 9810478074
11.	श्री सुरेश कुमार वर्मा, एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362240 9968478066
12.	श्रीमती अनिता कुमारी, एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24366303 9953117424

वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी), चेन्नई

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्रीमती पी. प्रमीला, वरि. ए.ओ.	7, कामराजर सलाई, मायलापुर, चेन्नई-600004	044-24985146(टी/एफ)

			07904173845
02.	श्री सी नागार्जुन रेड्डी,एएओ	7, कामराजरसलाई, मायलापुर, चेन्नई-600004	044-29510129 (टी/एफ) 09441022374
03.	श्री अंकित कुमार शर्मा, एएओ	7, कामराजार सलाई, मायलापुर, चेन्नई-600004	044-29510129(टी/एफ) 07568116070

वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी), कोलकाता

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री संजीब कुमार चट्टोपाध्याय, वरि. एओ	आकाशवाणी भवन, ईडन गार्डन, कोलकाता-700001	033-22485968 09477275021
02.	श्री विश्वजीत दत्ता, एएओ	आकाशवाणी भवन, ईडन गार्डन, कोलकाता-700001	033-22485968 09831189010
03.	श्री बिपिन कुमार, एएओ	आकाशवाणी भवन, ईडन गार्डन, कोलकाता-700001	033-22485968 08583928260
04.	श्री उमेश कुमार, एएओ	आकाशवाणी भवन, ईडन गार्डन, कोलकाता-700001	033-22485968 09748204727
05.	श्री मंटू कुमार वर्मा, एएओ	आकाशवाणी भवन, ईडन गार्डन, कोलकाता-700001	033-22485968 08013246258

वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी), लखनऊ

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री मुकलेश रंजन, वरि.ए.ओ.	द्वितीय तल, 18, आकाशवाणी भवन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001	0522-2237420 (टी/एफ) 09451088011
02.	श्री निमित कश्यप, एएओ	द्वितीय तल, 18, आकाशवाणी भवन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001	0522-2237420 09936872686
03.	श्री वी. एस. भटनागर,एएओ	द्वितीय तल, 18, आकाशवाणी भवन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001	0522-2237420 09410818569
04.	श्रीमती अभय सिंह,एएओ	द्वितीय तल, 18, आकाशवाणी भवन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001	0522-2237420 08896036191

वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी), मुंबई

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्रीमती कविता ए. पटोले, वरि.ए.ओ.	प्रथम तल, बीएच, चर्च गेट, मुंबई-400020	022-22029947(टी/एफ) 09820107741
02.	श्रीमती. प्रणाली अमोल सुले,एएओ	पहली मंजिल, बीएच, चर्च गेट, मुंबई-400020	022-22029947(टी/एफ) 09820107741
03.	श्रीमती शास्वती दत्ता	पहली मंजिल, बीएच, चर्च गेट, मुंबई-400020	022-22029947(टी/एफ) 09820107741
04.	श्री वीर चंद्रा सिंह	पहली मंजिल, बीएच, चर्च गेट, मुंबई-400020	022-22029947(टी/एफ) 09820107741

वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी), नई दिल्ली

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री नमो नारायण मीणा, वरि. एओ	कमरा नं. 238, पे एंड अकाउंट्स कार्यालय, आकाशवाणी, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421258
02.	श्री आशीष कुमार, एएओ	कमरा नं. 238, पे एंड अकाउंट्स कार्यालय, आकाशवाणी, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23422151
03.	श्री अमित कुमार एएओ	कमरा नं. 238, पे एंड अकाउंट्स कार्यालय, आकाशवाणी, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421297 9555790262
04.	श्री चंदेर मोहन चावला, एएओ	कमरा नं. 238, पे एंड अकाउंट्स कार्यालय, आकाशवाणी, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-234210560 9873534514
05.	श्री रोहित कुमार, एएओ	कमरा नं. 238, पे एंड अकाउंट्स कार्यालय, आकाशवाणी, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421060 9871232463
		प्रसार भारती सचिवालय	
05.	श्री प्रेमेंद्रा कुमार, वरि. एओ	छठवां तल, टावर-सी, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 08016301556
06.	श्री विनोद कुमार पंडित, वरि. एओ	छठवां तल, टावर-सी, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459

			0 729589175 9
07.	श्री जीतेन्द्र सिंह, एएओ	छठवां तल, टावर-सी, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 09968886441
08.	श्री मुकेश कुमार मीना , एएओ	छठवां तल, टावर-सी, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 07503297545
09.	श्री नवीन कौशिक, एएओ	छठवां तल, टावर-सी, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 08527601357
10.	श्री संतोष कुमार, एएओ	छठवां तल, टावर-सी, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 09891924515
11.	श्री सौरभ सिंहा, एएओ	छठवां तल, टावर-सी, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 08076313682
12.	श्री सुनील कुमार वर्मा, एएओ	छठवां तल, टावर-सी, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 09810561546
13.	श्री मिखैल काजल, एएओ	छठवां तल, टावर-सी, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 09654909372
14.	श्री रजनीश कुमार गुप्ता, एएओ	छठवां तल, टावर-सी, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 09529748194
15.	श्री सुबोध कुमार, एएओ	छठवां तल, टावर-सी, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 09920801565
16.	श्री संजय कुमार, एएओ	छठवां तल, टावर-सी, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 09810599370
17.	श्री दीपक रंगा, एएओ	छठवां तल, टावर-सी, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 08802804814

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री समीर दास, वरि. एओ	एडीजी (ई) बिल्डिंग, दूरदर्शन कैम्पस, आर.जी. बरुआ रोड , गुवाहाटी-781028	0361-2204000(टी) 0361-2235011(एफ) 9435045943
02.	श्रीमती ललित प्रसाद, एएओ	मकान सं-04, समन्नय पथ, बेलटोला, गुवाहाटी-781028	0361-2204000 08787687843
03.	श्री कृपानिधान सारण, एएओ	मकान सं-04, समन्नय पथ, बेलटोला, गुवाहाटी-781028	0361-2204000 07979838446
04.	श्री विद्या नंद चौधरी एएओ	मकान सं-04, समन्नय पथ, बेलटोला, गुवाहाटी-781028	0361-2204000

वेतन और लेखा कार्यालय (दूरदर्शन), चेन्नई

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्रीमती वी.भुवनेश्वरी, वरि.एओ	कमरा नं.319,तीसरा तल, दूरदर्शन केंद्र, स्वामी शिवानंद सलाई, चेन्नई-600005	044-25363553(टी/एफ) 09840075967
02.	श्री गौरव कुमार, एएओ	कमरा नं.319, तीसरा तल, दूरदर्शन केंद्र, स्वामी शिवानंद सलाई, चेन्नई-600005	044-25361998 9467641964
03.	श्रीमती जीतेंद्र नाथ गुप्ता,एएओ	कमरा नं.319, तीसरा तल, दूरदर्शन केंद्र, स्वामी शिवानंद सलाई, चेन्नई-600005	044-25361998 09681431603

आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, चेन्नई

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्रीमती. वी. भुवनेश्वरी, वरि. एओ, आईएडब्ल्यू (दक्षि.क्षे.) (अतिरिक्त प्रभार)	कमरा नं.317, तीसरा तल, दूरदर्शन केंद्र, स्वामी शिवानंद सलाई, चेन्नई-600005	044-25381080 09840075967
02.	श्री आशीष शर्मा, एएओ, आईएडब्ल्यू (दक्षि.क्षे.)	कमरा नं.317, तीसरा तल, दूरदर्शन केंद्र, स्वामी शिवानंद सलाई, चेन्नई-600005	044-25381080 08949223386
03.	श्री अखिलेश प्रताप सिंह, एएओ, आईएडब्ल्यू	कमरा नं.317, तीसरा तल, दूरदर्शन केंद्र, स्वामी शिवानंद सलाई, चेन्नई-600005	044-25381080 9871377252

वेतन और लेखा कार्यालय (दूरदर्शन), कोलकाता

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री पलाश दास, एओ	पहला तल, दूसरी चैनल बिल्डिंग, दूरदर्शन भवन, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता-700095	033-24235130 09563915851
02.	श्री अनुपम कुमार, एएओ	पहला तल, दूसरी चैनल बिल्डिंग, दूरदर्शन भवन, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता-700095	033-24235130 09899805603
03.	श्री ज्योति सुर, एएओ	पहला तल, दूसरी चैनल बिल्डिंग, दूरदर्शन भवन, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता-700095	033-24235130 9875309179

आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, कोलकाता

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री एसके महतो, वरि. एओ	पहला तल, दूसरी चैनल बिल्डिंग, दूरदर्शन भवन, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता-700095	033-24235365 09709033703
02.	श्री राजीव कुमार सिंह, एएओ	5वां तल, दूसरी चैनल बिल्डिंग, दूरदर्शन भवन, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता-700095	033-22435365 08013860063
03.	श्री सोमनाथ दास, एएओ	5वां तल, दूसरी चैनल बिल्डिंग, दूरदर्शन भवन, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता-700095	033-22435365 09831505224

वेतन और लेखा कार्यालय (दूरदर्शन), नागपुर

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री गोपीकुमार मुदलियार पी.जी., वरि.एओ	द्वितीय तल, नया सचिवालय भवन, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001	0712-2543268 0712-2540494 (एफ) 0942268223
02.	श्री पी.वी. खडगी, एएओ	द्वितीय तल, नया सचिवालय भवन, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001	0712-2540494 09421930391

03.	श्री कौशल कीर्ति, एएओ	द्वितीय तल, नया सचिवालय भवन, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001	0712-2540494 9155006093
04.	श्री डी.के. यादव, एएओ	द्वितीय तल, नया सचिवालय भवन, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001	0712-2540494 9582363427

वेतन और लेखा कार्यालय (दूरदर्शन), नई दिल्ली

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री देवेंद्र कुमार, वरि. एओ. (आंतरिक लेखा परीक्षा)	आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421006(टी/एफ) 09654838644
02.	श्री रविन्द्र कुमार निमावत, एओ.	आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421330/23421236(टी/एफ) 09728694880
03.	श्री संजय कुमार, एएओ (आंतरिक लेखा परीक्षा)	आकाशवाणी भवन,नई दिल्ली-110001	011-23421330(टी/एफ) 09810599370
04.	श्रीमती इंदु बाला, एएओ	आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421330(टी/एफ) 09999628931
05.	श्री राजेश कुमार,एएओ	आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421006(टी/एफ) 07678352828
06.	श्री दीपक कुमार, एएओ	आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421006(टी/एफ) 09135217451
07.	श्री दीपक रंगा, एएओ	आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421006(टी/एफ) 08802804814

प्रधान लेखा कार्यालय
मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
7 तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

द्वारा तैयार और डिज़ाइन किया गया